अष्टम माला, खंड 51, अंक 1 Thursday, 20 July, 1989

)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 20 जुलाई, 1989/29 आषाढ़, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पंक्ति	शुद्धि
नीचे से 6	नीचे से छठी पंक्ति के ऊपर "विवरण" शब्द पढ़िये।
नीचे से 7	अनुबन्ध के स्थान पर "अनुबन्ध-।" पढ़िये।
16	"(उधमपुर)" के स्थान पर "(ऊधमपुर)" पढ़िये।
15	"एल०पी०साही" के स्थान पर "एल०पी०शाही" पढ़िये।
प्रथम	"एस०एल०फोतेदार" के स्थान पर "एम०एल०फोतेदार" पढ़िये।
नीचे से 3	"करूपना" के स्थान पर "कल्पना" पढ़िये।
नीचे से 6	"अन्दुल" के स्थान पर "अब्दुल" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 51, चौहत्तरवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 3, गुरुवार, 20 जुलाई, 1989/29 आषाढ़, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41, 44, 46 और 47	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24—167
तारांकित प्रश्न संख्या : 42, 45, 48 से 60 और	24—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 398 से 408, 410 से 434, और 436 से 574	34—167
बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में	168, 172—173, 174—184
सभापटल पर रखे गए पत्र	169—171
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	171
कार्य मंत्रणा समिति	171
72वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	172
170वां प्रतिवेदन, 171वां प्रतिवेदन तथा 172वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	172
59वां प्रतिवेदन	
विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	173
सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना	184—191
श्रीमती शीला दीक्षित	184

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा की बैठक का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	192—203
श्रीमती शीला दीक्षित	192
श्री सोमनाथ चटर्जी	192
नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में	203—209
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 तथा 12 के बारे में	
नियम 377 के अधीन मामले	210—212
(एक) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से अधिक धनराशि उपलब्ध करके बीड़ी कर्मकारों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री नन्दलाल चौधरी	210
(दो) उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिहर सोरन	211

लोक सभा

गुरुवार, 20 जुलाई, 1989/29 आषाढ़, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कच्चे लोहे का आयात

[अनुवाद]

*41. श्री वी० तुलसीराम† :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे लोहे के आयात पर सीमा शुल्क में कमी की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी मात्रा में रद्दी इस्पात एवं कच्चे लोहे का आयात किया गया तथा इसका मूल्य कितना था;

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, कितनी मात्रा में कच्चे लोहे का आयात किया जायेगा;

(ङ) इससे देश में कच्चे लोहे की मांग किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी; और

(च) इसका देश में कच्चे लोहे के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा दिनांक 30 जून, 1989 को जारी की गई अधिसूचना के द्वारा अतिरिक्त सीमा-शुल्क में यथा मूल्य 40 प्रतिशत तक की कमी की गई है।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान विदेश से कच्चे लोहे का शृंखलाबद्ध आयात पोत-लदान लगभग 1.9 लाख टन था, जिसकी कीमत 51.3 करोड़ रुपए थी। उसी वर्ष के दौरान विदेश से

इस्पात गलन स्क्रैप का पोत लदान 20.60 लाख टन था, जिसकी कीमत 549.26 करोड़ रुपए थी।

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान कच्चे लोहे के आयात की मात्रा मांग और देशी उपलब्धता के अन्तर पर निर्भर करेगी।

(ङ) कच्चे लोहे के आयात से इस्पात निर्माण को छोड़कर औद्योगिक उपभोक्ताओं की कुल मांग का लगभग 15 प्रतिशत पूरा होने का अनुमान है।

(च) कच्चे लोहे के आयात के कारण देश में कच्चे लोहे के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो कच्चा लोहा निकलता है, यह सभी जानते हैं कि उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है। हमारे आंध्र प्रदेश में भी लोहा निकाला जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां कुल कितना लोहा प्रतिवर्ष निकलता है, यदि माननीय मंत्री जी के पास फीगर्स हैं तो इस सदन को बताने की कृपा करें। इसके अलावा देश में और कहां-कहां लोहे की खोज की जा रही है, कहां कहां अभी तक हमें सफलता मिली है, उसके बारे में भी बता दीजिये। दूसरे हम विदेशों से रद्दी इस्पात और कच्चे लोहे का आयात भी करते हैं, जैसा इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान 1.9 लाख टन कच्चा लोहा तथा 20.60 लाख टन इस्पात गलन स्क्रैप आयात किया गया, जिसकी कीमत लगभग 51.3 करोड़ रुपये तथा 549.26 करोड़ रुपये क्रमशः थी। यदि कुल आयात की फीगर्स देखी जायें तो एक वर्ष में हमने लगभग 600 करोड़ रुपये लोहे के आयात पर व्यय किये। जब लोहे के आयात पर हमारा इतना फौरेन एक्सचेंज खर्च होता है तो क्या हम अपने देश में लोहे को पैदा करने के लिये ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। यहां लोहा तैयार करने के मुकाबले, बाहर से लोहा आयात करना कितना सस्ता पड़ता है, मंत्री जी कृपया स्पष्ट करें। हम विदेशों से जो लोहा आयात कर रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है और यहां जो लोहा निकाला जाता है, उसकी कीमत कितनी पड़ती है। क्या विदेशों से लोहा आयात करना सस्ता पड़ता है। कृपया तुलनात्मक विश्लेषण करने का कष्ट करें।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : जनाबेवाला, यह प्रश्न पिग आयरन से सम्बन्धित है और इसमें पिग आयरन तथा मैल्टिंग स्क्रैप दोनों शामिल हैं। जहां तक पिग आयरन का सम्बन्ध है; मैं आपको बताना चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : पिग आयरन को हिन्दी में क्या कहते हैं, वह बोलिये।

श्री एम० एल० फोतेदार : पिग के मायने सूअर, और पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा। हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। (व्यवधान) यदि आप कोई और शब्द हिन्दी में पूछना चाहें तो वह भी बतायेंगे। उसके लिये भी तैयार हैं।

[अनुवाद]

महोदय, आप मुझे स्थिति स्पष्ट करने दें। जहां तक कच्चे लोहे का संबंध है, मैंने आंकड़े बता दिये हैं। वह जानना चाहते हैं कि देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है और हमारा आयात कितना है। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि हमारे देश में कुल उत्पादन कितना हुआ है और हमारी मांग

कितनी है। मैंने कहा है कि हम विदेशों से लगभग तीन लाख टन कच्चे लोहे का आयात कर रहे हैं। जहां तक शेष मात्रा का संबंध है हम देश में ही इसका उत्पादन कर रहे हैं। यह हुई पहली बात।

दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है वह गलन स्क्रैप के बारे में है। हम देश में इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम के आधुनिकीकरण से स्क्रैप की मात्रा कम होती जा रही है। हम विदेशों से इसका आयात कर रहे हैं। हमारी नीति यह है कि कम से कम स्क्रैप इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हम ऐसे नए उद्योगों को मंजूरी दे रहे हैं जो स्पांज आयरन का इस्तेमाल करती है। हम देश में ऐसे उद्योगों को अनुमति दे रहे हैं जो आधार सामग्री के रूप में स्पांज आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए स्पांज आयरन उद्योग को भी लाइसेंस दिए गए हैं। स्पांज आयरन का प्रयोग विद्युत आर्क भट्टियों में होता है। हमारी नीति यही है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, जो बात मैंने पूछी है कि अगले तीन वर्ष में आप कितना मगाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया है। यह कहा है कि हमारी मांग और प्रोडक्शन को देखकर हम मगाएंगे, तो मैं अब यह पूछना चाहता हूं कि आपका प्रोडक्शन कितना है और मांग कितनी है। जहां तक अगले तीन साल की बात है, तो उस वक्त तो हमारी सरकार होगी और मंगाने वाले तो हम होंगे, न कि आप। आप तो पूछने वाले होंगे और हम उस वक्त जवाब देने वाले होंगे। जितना फारेन एक्सचेंज आप इस आयरन को मंगाने में खर्च करते हैं, क्या उतने अमाउन्ट में हमारे यहां उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है?

श्री एम० एल० फोतेदार : वैसे तुलसीराम जी, आप देख रहे हैं, आपका जो यह ख्वाब है यह पूरा नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में भी इनकी सरकार नहीं बनेगी, बाहर का तो सवाल ही नहीं है।

सवाल यह है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कंट्री में क्या है और आगे आने वाले 3 साल में हम क्या कर रहे हैं। पिग आयरन को जितना भी हो सकेगा, हम यहां पैदा करना चाहेंगे, लेकिन जो हम अपने यहां पैदा नहीं कर सकते हैं, उसको बाहर से मगाएंगे। जो फौलाद है, जो स्टील है, यह हाई क्वालिटी स्टील है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह अपने देश में ही बने, किन्तु इस पर ज्यादा खर्च आता है। यह हाई वैल्यूड आइटम है। जो पिग आयरन है, यह सस्ता है। इस पर हमारा फारेन एक्सचेंज कम खर्च होता है। इसलिए हम पिग आयरन बाहर से मंगाते हैं। यह हमारी नीति है।

[अनुवाद]

श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा : महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस्पात मंत्रालय ने बहुत-सी योजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम अपने हाथ में लिया है, मैं मंत्री महोदय से, सरकार द्वारा विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र के अधिग्रहण के बारे में जानना चाहता हूं। कर्नाटक के लोग पिछले कई वर्षों से इस ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या निश्चित कार्यवाही की गई है। परामर्शदात्री समितियों में तथा कई अवसरों पर माननीय मंत्री ने इस बारे में आश्वासन दिया है। इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि कर्नाटक में विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र का अधिग्रहण करने की व्यवहार्यता की जांच की जाए। हमने काफी विस्तार और गहराई से व्यवहार्यता की जांच की है। हमारा यह मत है कि यह राष्ट्रीय महत्त्व का संयंत्र है। यह एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिज्ञ, धातुविज्ञानी सर एम० विश्वेश्वरैया का प्रतीक है और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने जवाहरलाल नेहरू की प्रथम शताब्दी के दौरान इसका अधिग्रहण करने का सही निर्णय लिया है। यह पंडितजी तथा स्वर्गीय श्री एम० विश्वेश्वरैया के प्रति सम्मान है। हम इस संयंत्र को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते हैं। हमने इस संयंत्र का अधिग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है और यह आदेश भी दिया है कि इस संयंत्र के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाए। जहां तक इस्पात की महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन का संबंध है यह संयंत्र एक अनूठा संयंत्र है।

श्री बसुदेव आचार्य : फाउन्ड्री यूनिट इसके आधारभूत यूनिट हैं और इन यूनिटों में कच्चे लोहे की सप्लाई कम है। पश्चिम बंगाल में इन यूनिटों को कच्चे लोहे की सप्लाई की स्थिति अत्यंत गम्भीर है। इन यूनिटों को काफी समय से कच्चा लोहा नहीं मिल रहा है। स्पन पाईप के निर्माताओं को भी कच्चे लोहे की सप्लाई न होने से परेशानी हो रही है। उन्हें केशवराम स्पन पाईप यूनिट के बारे में बेहतर जानकारी है क्योंकि मैं कई बार उनसे मिला हूं। वहां पर तालाबन्दी घोषित की गई है जिससे 1000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन देंगे कि फाउन्डरी यूनिटों और पश्चिम बंगाल में स्पन पाईप यूनिटों को कच्चे लोहे की आवश्यक मात्रा की सप्लाई की जाएगी और भविष्य में इन यूनिटों को कच्चे लोहे की सप्लाई न होने से परेशानी नहीं होगी ?

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि फाउन्डरी यूनिटों की हमें अधिक चिंता है क्योंकि माननीय सदस्य के राज्य से अधिक चिंता लोगों को यहां पर है। कुछ समय पूर्व कच्चे लोहे की कुछ कमी थी। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम बाजार में कच्चा लोहा उपलब्ध करा पाने में सफल हुए हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हमने हाल ही में पिछले तीन मास के दौरान— अप्रैल से जून तक कलकत्ता और हावड़ा को लगभग 47,000 टन कच्चा लोहा भेजा है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से अधिक है। पहली जुलाई से 14 जुलाई तक हमने केवल कलकत्ता को 85,000 टन कच्चा लोहा भिजवाया है। अभी कल ही हमने पश्चिम बंगाल को 2000 टन कच्चा लोहा भेजा है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि उन्हें कच्चे लोहे की सप्लाई के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम बाजार को इससे भर देंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, इस्पात मंत्री द्वारा अभी की गई घोषणा कर्नाटक के लोगों के लिए राहत का विषय है। इसलिए कर्नाटक के 4 करोड़ लोगों की ओर से मैं प्रधान मंत्री तथा माननीय इस्पात मंत्री को इस ऐतिहासिक निर्णय पर बधाई देता हूं।

इसके साथ ही मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि श्री विश्वेश्वरैया की याद में यह सही दिशा में एक सही कदम है। यह देश का सबसे पुराना संयंत्र है जो 1923 में स्थापित किया गया था। माननीय मंत्री महोदय ने अभी स्वीकार किया है कि इसका आकार किफायती आकार नहीं है।

यह एक ऐसा संयंत्र है जहां फैरो-सिलिकॉन और फैरो-क्रोमियम स्पेशल इस्पात का निर्माण होता है जिसकी आज देश में कमी है।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संयंत्र का विस्तार करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने अभी यह बात स्वीकार की है कि वह एक विशेष प्रकार के स्टील का निर्माण कर रहे हैं जिसकी सप्लाई कम है। इसलिए, अधिग्रहण के पश्चात् आठवीं योजना अवधि के दौरान इसके विस्तार के बारे में भारत सरकार का क्या कार्यक्रम है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हमने राज्य सरकार को निदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इसका अधिग्रहण किया जाए। मैं इस्पात की मात्रा के बारे में कुछ नहीं कहूंगा बल्कि उसकी क्वालिटी के बारे में कहूंगा। मैंने बताया है कि सामरिक महत्व के सर्वोत्तम इस्पात का उत्पादन इस संयंत्र में किया जाएगा। हम अति आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाएंगे ताकि हम इस्पात की सामरिक महत्व की वस्तु में आत्म-निर्भर हो सके। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू ही नहीं बल्कि सर विश्वेश्वरैया की भी यही इच्छा थी।

श्रीमती वसव राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या सरकार को विजयनगरम इस्पात संयंत्र आरम्भ करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट के बारे में कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां तो सरकार उसे चालू करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक कब विचार करेगी, आठवीं योजना में या इसी योजना में ?

श्री एम० एल० फोतेदार : विजयनगरम इस्पात संयंत्र एक पुराना संयंत्र है···

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : यह अभी तक चालू नहीं हुआ है।

श्री एम० एल० फोतेदार : आप कह सकते हैं यह एक पुराना संयंत्र है। इसे 1977 के पश्चात आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय एक राष्ट्रीय त्रासदी हुई थी और योजना प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। इसलिए 1977 से आज तक इस संयंत्र को आरम्भ नहीं किया जा सका। अब हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप इस बारे में दुखी न हों।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु त्रासदी 1977 में समाप्त हो गई थी।

श्री एम० एल० फोतेदार : यह त्रासदी 1977 में आरम्भ हुई थी। और 3 जनवरी, 1980 को समाप्त हुई थी। यह त्रासदी इस देश में फिर कभी नहीं होगी। मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूं। मुझे आशा है कि कर्नाटक के सभी सदस्यों की इसमें रुचि है। मुझे बताया गया है कि अभी पिछले महीने ही प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। हम सभी भावनात्मक रूप से इस संयंत्र से जुड़े हुए हैं और इसे सही तत्परता से आरम्भ किया जाना चाहिए। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि इस संबंध पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। हम विभिन्न विकल्पों का पता लगा रहे हैं कि कर्नाटक में इस संयंत्र का पुनरोद्धार किस पर किया जाए।

भारतीय शांति सेना को वापस बुलाना

*44. **श्री हेत राम :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत से कहा है कि वह श्रीलंका से भारतीय शांति सेना को जुलाई, 1989 के अंत तक वापस बुला लें;

(ख) यदि हां, तो एक निश्चित तारीख तक भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा की गई एकतरफा घोषणा का क्या परिणाम होगा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत-श्रीलंका समझौते पर अमल करने की समानान्तर प्रक्रिया के बिना अगर हम उतावली में भारतीय शांति सेना को वापस बुला लेते हैं तो इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जिसमें तमिलों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। सरकार ने बार-बार यह सुझाव दिया है कि भारतीय शांति सेना की वापसी का कार्यक्रम परस्पर सलाह-मशविरा करके इस तरह तय किया जाना चाहिए कि एक तरफ भारत श्रीलंका करार पर अमल का काम चले और दूसरी तरफ भारतीय शांति सेना की वापसी।

श्री हेत राम : महोदय, जब श्रीलंका में चुनाव हुए थे तब श्री प्रेमदास की पार्टी के घोषणा पत्र में भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। अब चुनावों के बाद छः महीने बीत चुके हैं। भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने के बारे में भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? दूसरे, भारतीय शांति सेना ने अपना कार्य किस हद तक पूर्ण कर लिया है और यह कब तक बिल्कुल पूरा हो जाएगा ? भारत सरकार श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री के० नटवर सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति को लिखे गए पत्रों को देखा है तो उन्होंने यह देखा होगा कि प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम भारतीय शांति सेना की वापसी के समय के विशेष मुद्दे पर किसी भी समय और किसी भी स्थान पर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य से श्रीलंका के सम्मानित राष्ट्रपति ने जिस विशेष तारीख की सार्वजनिक घोषणा की है वह पूर्णतया अवास्तविक है।

श्रीलंका के तमिलों के जान-माल और आजादी की रक्षा के लिए भारतीय शांति सेना जो कुछ कर रही है वह इस सभा तथा देश को सर्वविदित है। श्रीलंका के तमिल भाईयों तथा बहनों के जान-माल और स्वतन्त्रता को बचाने के लिए भारत के नौ सौ से भी अधिक शूरवीर सैनिकों ने अपने जीवन न्यौछावर कर दिए हैं।

श्री हेत राम : श्रीलंका ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का बहिष्कार किया है और यह भारत के लिए राजनयिक दृष्टि से अत्यन्त हानिकर सिद्ध हुआ है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में घूम रहा है और इससे भारतीय विदेश नीति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या भारत भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने की सोच रहा है। यदि भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में अभी ठहरना है और हम इसे शीघ्र ही वापस नहीं बुला रहे हैं तो हम श्रीलंका के साथ इस समस्या का निपटारा कैसे करेंगे ?

श्री के० नटवर सिंह : मैंने माननीय सदस्य के बहु-आयामी प्रश्न के प्रभाव तथा मुख्य मुद्दे को समझने का पूर्ण प्रयास किया है और मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वह कहते हैं कि

यह भारत के लिए राजनयिक दृष्टि से अत्यन्त हानिकर सिद्ध हुआ है। हां, इससे श्रीलंका को राजनयिक दृष्टि से नुकसान हुआ है, भारत को नहीं··· (व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा कि इस बात से कि श्रीलंका ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की बैठक का बहिष्कार किया, भारत को नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं कि इस बात का कि उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया, हमारे लिए किसी भी तरह से राजनैतिक नुकसान नहीं है। फिलहाल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का अध्यक्ष पाकिस्तान है। पाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट रूप से श्रीलंका सरकार द्वारा बैठक का बहिष्कार करने के फैसले के तरीके पर अपनी नाराजगी जाहिर की है क्योंकि श्रीलंका एक द्विपक्षीय मामले पर चर्चा करना चाहता था जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ के संविधान की भावना के विपरीत है। यह तो एकदम सरल मुद्दा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी पर राष्ट्रपति प्रेमदास की एकतरफा घोषणा ने भारत-श्रीलंका समझौते पर अत्यधिक कुप्रभाव डाला है और इससे जातीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका में हमेशा मौजूद रहे और भारत सरकार इसकी यथाशीघ्र वापसी की भी इच्छुक है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति प्रेमदास और प्रधानमंत्री के दूतों के बीच अनेक वार्ताएं हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इन बैठकों में क्या हुआ और सरकार राष्ट्रपति प्रेमदास को इस स्थिति पर राजी करने के लिए कौन से सकारात्मक उपाय कर रही है कि वापसी का मुद्दा आपसी सहमति के द्वारा ही तय हो जाए।

श्री के० नटवर सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं। यह समझौता दो सार्वभौमिक सरकारों द्वारा किया गया था और कुछ परम्पराएं तथा प्रक्रियाएं और कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका दो सार्वभौमिक देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संदर्भ में पालन होना चाहिए और इन्हें जारी रखना चाहिए। आज से ही नहीं बल्कि समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले दिन से हमारा ध्येय इसका पालन करना रहा है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के दिन से ही यह आपसी सहमति थी कि भारतीय शांति सेना को श्रीलंका सरकार ने तमिल लोगों की सुरक्षा के लिए आमंत्रित किया है। कुछ तमिल गुटों पर भी अपने हथियार सौंपने का दायित्व डाला गया था। अनेक कारणों से यह नहीं हुआ। हम श्रीलंका सरकार को अब तथा 1987, 1988 और 1989 में भी यही कहते रहे हैं कि हम इस कार्य में एक साथ हैं और हमारा उद्देश्य सुन्दर तथा मित्र पड़ोसी द्वीप में जातीय मतभेद को समाप्त करना है ताकि यहां सद्भावना, शांति और मित्रता का वातावरण रहे। अब, समझौते का यह उद्देश्य है। मैं मजबूर होकर और न चाहते हुए यह कहता हूं कि दुर्भाग्य से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस संबंध में अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति की नीतियों से हट जाना चुना। हमने अपने दूतों, अपने उच्चायोग तथा हमारे अन्य सूत्रों से यह कहा है कि हम उनके साथ बैठकर एक समय-अवधि तय करना चाहेंगे। इस अवधि का कार्यक्रम तय किया जा रहा था तभी राष्ट्रपति ने 1 जून को यह घोषणा कर दी कि वह भारतीय शांति सेना को 29 जुलाई तक वापस चले जाने को कहेंगे। हमने अपनी कुछ सेनाएं वापस बुला ली थीं और प्रधान मंत्री ने इस इच्छा से यह घोषणा की कि हम वर्ष के अन्त तक शांति सेना वापस बुला सकते हैं। अब यह प्रक्रिया अचानक रुक गई है। श्रीलंका की सरकार ने एल० टी० टी० ई० के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि एल० टी०टी० तथा श्रीलंका सरकार युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटा है हम उसे जानते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता। मैं यह कहना

चाहता हूं कि ये मामले अत्यन्त गम्भीर, चिंताजनक तथा संवेदनशील हैं और हमें अपने राष्ट्रीय हित तथा इस क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर अत्यन्त सतर्कता, समझ, सूझबूझ तथा संतुलित तरीके से इनसे निपटना है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम अपेक्षित महत्व और गम्भीरता के साथ दिन-प्रतिदिन तथा क्षण-प्रतिक्षण के आधार पर इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदाईवेलू : महोदय, पिछले 2 वर्षों से भारतीय शांति सेना श्रीलंका में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। हालांकि इस मुहिम में हमारे लगभग एक हजार बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी तथापि वे प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। भारतीय शांति सेना वहां मात्र तमिलों की ही नहीं अपितु, श्रीलंका सरकार की सुरक्षा के लिए भी तैनात है। लेकिन महोदय, हाल ही में श्री प्रेमदास जब श्री अी अमृतलिंगम और श्री योगेश्वरन के शवों को सम्मान देने के लिए त्रिंकोमाली गये थे तब उन पर पथराव हुआ। उस समय भारतीय शांति सेना ने उनकी सहायता की।

अब श्रीलंका में स्थिति यह है कि देश में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है और लोग काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार न केवल तमिलों की बल्कि श्रीलंका सरकार की सुरक्षा के लिए भारतीय शांति सेना के और सैनिक श्रीलंका भेजने पर विचार कर रही है।

हाल ही में श्री विजयरत्ने ने यह घोषणा की थी कि उन्हें हमारे विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भारत के साथ बातचीत करने पर सहमति दी थी। इस बातचीत का क्या हुआ ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया या नहीं और क्या यह बातचीत इस महीने की 29 तारीख से पहले होगी या नहीं।

श्री के० नटवर सिंह : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य का हमारे बहादुर सैनिकों जिन्होंने वहां अपने प्राणों की आहूति दी, को श्रद्धांजलि देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

जहां तक उत्तर-पूर्व की स्थिति का प्रश्न है, मैं श्री अमृतलिंगम और श्री योगेश्वरन के शवदाह पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जाफना गया था। यह इस बात के बावजूद था कि एल० टी० टी० ई० ने धमकी दी थी कि जो भी अंतिम संस्कार में भाग लेगा, कठिनाई में पड़ जायेगा, लगभग 20,000 लोग जाफना में उस उदास और दुखद समारोह में उमड़ पड़े जो खुले मैदान में लगभग चार घंटे तक चला था। श्रीलंका सरकार का प्रतिनिधित्व श्री गैमिनी दिसानायके ने किया था जो कि समझौते के प्रणेताओं में से थे। मुख्यमंत्री श्री वर्दराजा पेरूमल भी वहां थे। भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी वहां थे। जिस किसी से भी मैंने बात की प्रत्येक ने कहा कि भारतीय शांति सेना को वापिस नहीं आना चाहिए। भाषणों में जब भी भारतीय शांति सेनाओं के कार्य का उल्लेख किया गया, तालियां बजीं। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय शांति सेना श्रीलंका छोड़ देती है तो वहां जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। इस बारे में दो राय नहीं हैं कि पूर्वोत्तर श्रीलंका में विशेष ग्रुप की कार्यवाही के बावजूद शांति और व्यवस्था बनाए रखी गयी और इसका श्रेय भारतीय शांति सेना को जाता है। पूर्वोत्तर लोगों के प्रति हम अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहे हैं।

जहां तक श्रीलंका के अन्य क्षेत्रों में कार्यवाही करने का प्रश्न है हमारा उत्तर नकारात्मक

है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, यह श्रीलंका सरकार का कार्य है। पूर्वोत्तर के बारे में समझौते में जो कहा गया है वह काफी स्पष्ट है। जहां तक कार्य क्षेत्र के विस्तार का संबंध है हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है जब तक कि कोई विशेष निवेदन नहीं होता है, यदि विशेष अनुरोध होता है तो उस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा कि हम इस कार्य में पड़ना चाहते हैं कि नहीं। यह एक बहुत ही अहम और गंभीर मसला है।

प्रश्न के दूसरे भाग का जहां तक संबंध है, हरारे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हरारे में श्री नरसिंह राव, श्री विजयरत्ने से मिले थे और उन्होंने कहा था कि वह यहां आयेंगे। हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दो दिन पहले एक समाचार छपा था कि वह बगदाद से वापिस आते हुए यहां आयेंगे। लेकिन इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम उनसे कहीं भी किसी भी समय बातचीत करने की तैयार हैं। हमारे उच्चायुक्त यहां आये थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत करा दिया है। वह आज वापिस चले गये हैं। इस तरह बातचीत के द्वार खुले हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हम जानना चाहते हैं कि श्रीलंका सरकार क्या बातचीत करना चाहती है कब, किस जगह और किस तरह और किसी भी स्तर पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि वहां शांति और स्थिरता बहाल होनी चाहिए और जातीय-विवाद समाप्त होना चाहिए जिसने इस सुन्दर द्वीप पर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बना दी है।

श्री बृज मोहन महन्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री ने डी० एम० के० पार्टी की सामान्य परिषद के प्रस्ताव पर विचार किया है जिसमें इस बात पर शंका व्यक्त की गई है कि हमारी सेवाओं की वापसी से तमिलों की सुरक्षा खतर में पड़ जायेगी और यह श्रीलंका में अन्य देशों की सेनाओं के आने का मार्ग खोल देगी जिससे वह हमारी सीमाओं पर घुसपैठ कर सकें।

श्री के० नटवर सिंह : यह सत्य है। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि पूर्वोत्तर के लोगों ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। आखिरकार जब वह दोनों नेताओं, जिनकी निर्मम हत्या की गई थी, की शवयात्रा और शवदाह में भाग लेने आये तो वह –यदि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं – खड़े रहकर अपना समर्थन दे रहे थे और इस तरह उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, वह चाहते हैं कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका में रुके। जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा और मैंने भी इस सम्मानीय सदन में बार-बार कहा कि यदि श्रीलंका में अव्यवस्था और अस्थिरता फैल जाती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया न केवल श्रीलंका में बल्कि पूरे क्षेत्र में होगी और एक बड़े और उत्तरदायी राष्ट्र होने के नाते हमारा यह उत्तरदायित्व है। इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने ऐसा कहा था कि चूंकि वह एक जटिल द्विपक्षीय मसले को उठाना चाहते हैं, इसलिए सार्क के गैर राजनैतिक मंचों पर चल रही प्रक्रिया को हुए आघात के लिए वह उत्तरदायी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सार्क की बैठक स्थगित की गई है। हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वह जानते हैं कि वह एक द्विपक्षीय मसले को नहीं उठा सकते हैं सार्क के सभी सदस्य—बंगलादेश के विदेश मंत्री यहां आये हुए थे –उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यदि ऐसी बातें होती रहेंगी तो सार्क का भविष्य क्या होगा।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हम पहले ही अपने एक हजार जवानों के प्राणों की आहुति दे चुके

हैं। इसके अलावा भारतीय शांति सेना पर हमारा तीन करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च आ रहा है। क्या यह बहुमूल्य बलिदान नहीं है ? क्या यह भारी बलिदान श्रीलंका की जनता से आभार प्राप्त किए बिना ही भारतीय जनता को करना पड़ेगा। आज समाचार-पत्रों में यह दिया है कि सरकार एकपक्षीय आधार पर भारतीय शांति सेना की समयबद्ध वापसी पर विचार कर रही है। क्या आप श्री प्रेमदास या श्रीलंका सरकार के साथ एक सम्मानित समझौता करने की स्थिति में हैं जिससे कि भारतीय शांति सेना की सम्मान और गौरव के साथ वापसी हो सके और श्रीलंका और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों पर हमारे प्रभाव में भी कोई कमी न आये।

श्री सी० माधव रेड्डी : बिना हमारे अपमान के !

श्री के० नटवर सिंह : यह सरकार की नीति है। यह सरकार द्वारा किया गया प्रयास है। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों में आप परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। हमने यह नहीं सोचा था कि श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति इस तरह की घोषणा कर देंगे जो कि उन्होंने उस वक्त की जबकि हम उनके साथ भारतीय शांति सेना की वापसी के लिये समय निर्धारित करने के बारे में बातचीत कर रहे थे।

माननीय सदस्य ने इस पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित प्रश्न उठाया है। जब भारत की तरह के देश से किसी अन्य प्रभुतासम्पन्न देश द्वारा इसकी मदद के लिए कहा जाता है तो यह हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सम्मान हमारे नाम तथा हमारे ध्वज के सम्मान, की बात बन जाती है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह के मामलों में हम बैठकर होने वाले व्यय का बजट तैयार करें, बल्कि इस मामले में हम कुछ दायित्व निभा रहे हैं जिसमें कि, जैसा मैंने कहा कि, देश प्रतिष्ठा, सम्मान, उत्तरदायित्व, ध्वज और भारत के नाम का सवाल निहित है। इस मामले में मैं समझता हूं कि हमें सिर्फ संसद के सदस्यों या राजनयिकों अथवा मंत्रियों की भांति नहीं बल्कि शांति के लिए धर्मयोद्धा बन जाना चाहिए।

असम में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु धनराशि का आबंटन

*46. **श्री भद्रेश्वर तांती** :

श्री अब्दुल हमीद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए असम में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु कोई धनराशि आबंटित की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान, योजना आयोग ने वार्षिक खंड अनुदान के अन्दर असम राज्य के लिए क्रमशः 442 लाख रुपए और 512 लाख रुपए के योजनागत आबंटन का अनुमोदन किया। इसके साथ ही विभिन्न केन्द्रीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत असम में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 723.87 लाख रुपये तथा 334.40 लाख रुपये मुक्त किये गये थे।

श्री भद्रेश्वर तांती : वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिये धनराशि जारी करने के लिये मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में 713.87 लाख रुपये तथा 344.42 लाख रुपये की धनराशि कब, मैं तिथि जानना चाहता हूं, जारी की गई थी। जहां तक मुझे याद है, ये धनराशि बजट के कुछ पहले जारी की गयी थी और इस कारण ही इस धनराशि का उचित रूप में उपयोग नहीं हो पाया। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

मैं सम्बद्ध मंत्री महोदय से उन संस्थानों का नाम भी जानना चाहता हूं जिन्हें धनराशि जारी की गयी थी।

श्री एल० पी० शाही : महोदय, 1987-88 में योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 3 4.52 लाख रुपये; की धनराशि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम को जारी की गयी थी। 1987-88 में योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 71.30 लाख रुपये तथा योजना स्कीम के अन्तर्गत 50.82 लाख रुपए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर को जारी किये गये थे।

1988-89 में योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 40.81 लाख रुपये तथा योजनेत्तर स्कीम के अन्तर्गत 39.32 लाख रुपये जारी किये गये थे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मंत्री महोदय ने पूरी सरकार सम्भाल ली है?

श्री एल० पी० शाही : 1987-88 में योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 2 लाख रुपये तथा योजनेत्तर स्कीम के अन्तर्गत 1.25 लाख रुपये कम्युनिटी पॉलिटेकनीक्स को जारी किये गये थे। 1988-89 में योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 8 लाख रुपये तथा योजनेत्तर स्कीम के अन्तर्गत 1.25 लाख रुपये जारी किये गये थे। 1987-88 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए योजनेत्तर स्कीम के अन्तर्गत 1 लाख रुपये तथा 1988-89 में योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 6.50 लाख रुपये जारी किये गये थे। आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित तकनीक की समाप्ति के लिए 1987-88 की योजना के अन्तर्गत 159 लाख रुपये और 1988-89 की योजना के अन्तर्गत 97.50 लाख रुपये; उन क्षेत्रों में जहां तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, 1987-88 में योजना के अन्तर्गत 33 लाख रुपये तथा 1988-89 में 10 लाख रुपये; संस्थानिक कार्यक्रम के लिये 1988-89 में 5 लाख रुपये राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति के लिए 1987-88 में योजनेतर स्कीम के अन्तर्गत 0.98 रुपये, 0.7 लाख रुपये ··· (**व्यवधान**) ···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसको टेबल पर रख दीजिए।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं उनसे उत्तर चाहता हूं। क्या वे धनराशि जारी किये जाने की तिथि बतायेंगे···क्या यह 29 मार्च था? (**व्यवधान**)

श्री एल० पी० शाही : महोदय, मैं सूचना सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री भद्रेश्वर तांती : नहीं, महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अध्यक्ष का विनिर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्पेसिफिक डेट भी आ जाएगी।

[अनुवाद]

श्री भक्तेश्वर तांती : मैं चाहता हूं कि यहां तिथि बताई जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमने धनराशि जारी करने में देर की है। ये सभी संस्थान हैं···(**व्यवधान**)

श्री भक्तेश्वर तांती : कृपया तिथि बताइए।

श्री पी० शिव शंकर : कृपया मेरी बात सुनें। आपको धैर्यपूर्वक मेरी भी बात सुननी चाहिए।

श्री भक्तेश्वर तांती : हममें पर्याप्त धैर्य है।

श्री पी० शिव शंकर : विभिन्न संस्थानों का संचालन एवं नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जब भी वे धनराशि व्यय करते थे तथा धनराशि के भुगतान किये जाने की मांग करते थे, धनराशि उन्हें जारी की जाती रही है। हम उन तिथियों का उल्लेख करेंगे और मैं इस सभा में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा।

श्री भक्तेश्वर तांती : इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तिथि का उल्लेख यहां किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : उनका उल्लेख यहीं किया जायेगा, यहां सभा पटल पर उन्हें प्रस्तुत किया जायेगा, बाहर नहीं। आप चिन्ता न करें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या आज नहीं बताया जायेगा? (**व्यवधान**) इसे आज ही सभा पटल पर प्रस्तुत करें।

श्री भक्तेश्वर तांती : क्या वे तिथियां आज बतायेंगे? महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पता कर के देंगे, अभी नहीं होगी तो क्या हो सकता है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : वे सिर्फ उस तिथि को जानना चाहते हैं जब आप इसे सभा पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं जल्द से जल्द इसे प्रस्तुत करूंगा यदि मेरे मंत्रालय में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध होगा, तो मैं···(**व्यवधान**) क्या आप कृपया शान्त होंगे? यदि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो मुझे यह बात यहीं समाप्त करनी होगी। (**व्यवधान**) मैंने कहा है कि मैं यथा शीघ्र इस कार्य को करूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इतनी गर्मी मत किया करो, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई हो जाता है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को आवंटन

[अनुवाद]

*47. श्री सैयद शाहबुद्दीन :†

श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वियन के संबंध में राज्य सरकारों को भेजे गये मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जवाहर रोजगार योजना से चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितने श्रमिक दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वियन के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को आवंटित संसाधनों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला अनुबन्ध संलग्न है। अब यह आवंटन 2100 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान के आधार पर बढ़ाये जा रहे हैं। संशोधित राज्य-वार रोजगार लक्ष्य भी इसी अनुबन्ध में दर्शाए गये हैं।

2. राज्यों को जारी की गई तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं में चर्चा की गई मार्गदर्शिकाओं (प्रारूप) की प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। इसकी प्रतियों को संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के पतों पर पहले ही भेज दिया गया है। इसकी मुख्य विशेषताओं को अनुबन्ध-2 में संक्षिप्त रूप में दिया गया है।

अनुबन्ध-1

कॉलम 3-6 (लाख रुपये में) कॉलम-7 (लाख श्रम दिन में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	केन्द्रीय आवंटन	कुल उपलब्ध राशि (राज्यों के अंशदान सहित)	प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन	कुल संभावित उपलब्ध राशि (राज्यों के अंशदान सहित)	रोजगार लक्ष्य (कालम-6 के आधार पर)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	11875.20	14844.00	15455.61	19319.51	772.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	193.35	241.69	245.72	307.15	9.60
3.	असम	3339.18	4173.98	4223.12	5278.90	155.26
4.	बिहार	23795.20	29744.00	30969.53	38711.91	1221.29
5.	गोवा	303.00	378.75	303.00	378.75*	10.52
6.	गुजरात	6111.67	7639.59	6363.83	7954.79	279.12
7.	हरियाणा	1293.60	1617.00	1538.11	1922.64*	49.94
8.	हिमाचल प्रदेश	922.80	1153.50	922.80	1153.50*	38.45
9.	जम्मू और कश्मीर	1346.19	1682.74	1346.19	1682.74*	54.66

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	7433.60	9292.00	9674.86	12093.58	487.89
11.	केरल	4497.59	5621.99	5255.99	6569.99	213.40
12.	मध्य प्रदेश	15747.20	19684.00	20495.03	25618.79	1118.72
13.	महाराष्ट्र	12750.00	15900.00	16555.12	20693.90	739.07
14.	मणिपुर	353.38	441.73	353.38	441.73*	15.96
15.	मेघालय	281.60	352.00	366.50	458.13	15.27
16.	मिजोरम	115.20	144.00	149.93	187.41	3.35
17.	नागालैण्ड	310.40	388.00	403.99	504.99	16.83
18.	उड़ीसा	7779.20	9724.00	10124.65	12655.81	608.82
19.	पंजाब	1241.61	1552.01	1286.93	1608.66	28.88
20.	राजस्थान	10075.39	12594.24	10075.39	12594.24*	435.79
21.	सिक्किम	121.60	152.00	158.26	197.83	7.07
22.	तमिलनाडु	10662.40	13328.00	13877.15	17346.44	834.46
23.	त्रिपुरा	382.80	478.50	433.14	541.43	18.88
24.	उत्तर प्रदेश	33298.76	41623.45	41364.90	51706.13	1566.85

1	2	3	4	5	6	7
25.	पश्चिम बंगाल	13283.20	16604.00	17288.13	21610.16	643.54
26.	अंडमान-निकोबार	164.80	164.80	164.80	164.80*	4.37
27.	चण्डीगढ़	40.77	40.77	40.77	40.77*	0.94
28.	दादरा, नगर हवेली	83.80	83.80	83.80	83.80*	3.70
29.	दिल्ली	129.28	129.28	187.42	187.42	4.34
30.	दमन व द्वीप	52.40	52.40	52.40	52.40*	1.43
31.	लक्षद्वीप	81.75	18.75	18.75	18.75*	2.27
32.	पाण्डिचेरी	157.80	157.80	157.80	157.80*	6.96
	कुल	168194.72	210065.75	210000.00	262307.82	9370.31

*मरुस्थली जिलों की विशेष रोजगार समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के आबंटन पहले बढ़ाये गये थे।

अनुबन्ध-2

जवाहर रोजगार योजना की विशेषताएं

उद्देश्य

जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य के दो पहलू हैं—प्रथम पहलू प्राथमिक उद्देश्य के लिए और दूसरा पहलू गौण उद्देश्य के लिए। बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त फायदेमंद रोजगार के सृजन को कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में रखा गया है।

लक्षित समूह के कुछ वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय

2. योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को रोजगार के लिए वरीयता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार अवसरों में 30 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। योजना के अन्तर्गत खानाबदोष जातियों के लिए विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव है कि उनके लिए अन्य कार्यक्रमों के समन्वय से इस योजना के अन्तर्गत विशेष समन्वित परियोजनायें तैयार की जायेंगी।

संसाधनों के आवंटन हेतु मानदण्ड

3. केन्द्र से राज्यों के लिए सहायता ग्रामीण गरीबी के प्रभाव के आधार पर दी जाएगी।

4. चूंकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों में केन्द्र और राज्यों द्वारा 80:20 के अनुपात में अंशदान किया जाना है, अतः संसाधनों में राज्य का हिस्सा 20/80 अर्थात् केंद्रीय रिलीज का 1/4 होगा।

राज्य से जिलों के लिए संसाधनों का वितरण

5. राज्य से जिलों को संसाधनों का आवंटन पिछड़ेपन के फार्मूले के आधार पर किया जाना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य श्रमिकों में प्रतिशत के रूप में कृषि मजदूरों को 20 प्रतिशत बल, कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिशत के आधार पर 60 प्रतिशत बल और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की प्रत्येक यूनिट से होने वाली कृषि उपज के मूल्य के आधार पर हिसाब लगाई गई प्रतिकूल कृषि उत्पादकता को 20 प्रतिशत बल दिया जाना है।

6. जिले से ग्राम पंचायतों के लिये संसाधनों का वितरण प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। ग्राम पंचायतों के लिए निधियों के आवंटन के प्रयोजन हेतु 1000 से कम की आबादी वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र की जनसंख्या को 1000 माना जायेगा।

7. प्रत्येक जिले के लिये आवंटित निधियों का कम से कम 80 प्रतिशत भाग जिले में ग्राम पंचायतों/मण्डलों (जोकि सबसे निचला निर्वाचित निकाय है) को वितरित किया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत निधियों का उपयोग अन्तः खण्ड/ग्राम कार्यों के लिए जिला स्तर पर किया जा सकता है।

जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी

8. निधियों के जिला अंश के बारे में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद की होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होगी।

संसाधन जुटाना

9. यदि दो या उनसे अधिक जिले/ग्राम/पंचायत सम्बन्धित जिले/पंचायत के सामूहिक लाभ के लिए कार्य शुरू करने हेतु एक साथ निधियां जुटाने का निर्णय लेते हैं तो इस व्यवस्था की अनुमति होगी। तथापि, जिला/ग्राम पंचायत के लिए आबंटित संसाधनों को उस यूनिट की भौगोलिक सीमाओं के भीतर यूज किया जाएगा और उसे किसी भी हालत में किसी अन्य जगह पर उपयोग नहीं किया जाएगा।

राज्य अंश की रिलीज

10. भारत सरकार आमतौर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को अपना अंश वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में रिलीज करती है। राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को अपना हिस्सा केन्द्रीय अंश की रिलीज के एक माह के भीतर रिलीज कर दें।

ग्राम पंचायतों को निधियों की रिलीज

11. ग्राम पंचायतों के लिये निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा केन्द्रीय अनुदान के प्राप्त होने के एक माह के भीतर वितरित की जायेगी। इसी तरह निधियों का राज्य अंश भी ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय अंश के प्राप्त होने के एक माह के भीतर वितरित किया जाएगा।

जवाहर रोजगार योजना की निधियों से सम्बन्धित बैंक खाते

12. जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित निधियां (केन्द्रीय अंश और राज्य अंश) जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ग्राम पंचायतों के अलग बचत बैंक अथवा डाकघर में रखी जायेगी। वह राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक अथवा कोई सहकारी बैंक हो सकता है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा निधियों की निकासी

13. ग्राम पंचायत के खाते से भुगतान के लिये निधियां चैक द्वारा निकाली जायेगी। चैक पर पंचायत के मुखिया तथा उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विशेष तौर पर प्राधिकृत किया गया हो। प्रत्येक धनराशि के भुगतान को ग्राम पंचायत की बैठक में प्राधिकृत किया जाना चाहिए और इसके बारे में ग्राम सभा को उसकी अगली बैठक में सूचित किया जाना चाहिए। किसी अन्य प्रयोजन के लिये निधियों की निकासी अप्राधिकृत मानी जाएगी।

किये जाने वाले कार्य

14. आमतौर पर किये जा सकने वाले कार्यों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लाभ के कार्यों की सूची मार्गदर्शिकाओं में दी गई है। सामाजिक वानिकी के बारे में प्रावधान भी मार्गदर्शिकाओं में दर्शाये गये हैं।

इंदिरा आवास योजना

15. पहले के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन इन्दिरा आवास योजना

की मूल भावनाओं को बनाये रखा गया है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले मकानों का कोई डिजाईन निर्धारित नहीं किया जा रहा है, सिवाय इसके कि योजना के अन्तर्गत मकानों का कुर्सी क्षेत्र 17-20 वर्ग मीटर होना चाहिए और मकानों की लागत मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।

मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक

16. किसी भी हालत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गैर-मजदूरी घटक 50% से अधिक नहीं होंगे। परिकलन के प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद को उन्हें आबंटित की गई निधियों के अंश के बारे में यूनिट के रूप में समझा जाएगा।

भुगतान की जाने वाली मजदूरी

17. योजना के अन्तर्गत मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी होगी।

जिला स्तर पर आबंटनों का निर्धारण

18. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा प्राप्त कुल आबंटन (केन्द्र-राज्य अंश) में से इन्दिरा आवास योजना के लिए 6 प्रतिशत निधियां निर्धारित की गई हैं। इन्दिरा आवास योजना के लिये आबंटनों को कम करने के बाद कम से कम 80 प्रतिशत निधियां ग्राम पंचायतों को वितरित की जायेगी। शेष राशि जोकि किसी भी हालत में 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा अपने पास रखी जाएगी। जिले को प्रशासनिक व्यय पर 5 प्रतिशत से अधिक निधियां खर्च नहीं करनी है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के पुराने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों जिन्हें किसी विभाग द्वारा हाथ में नहीं लिया गया है, के रखरखाव पर 10 प्रतिशत से अधिक निधियां खर्च नहीं की जानी है। शेष संसाधनों में 35 प्रतिशत निधियां आर्थिक रूप से उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियों के लिये, 25 % निधियां सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिये, 15 प्रतिशत निधियां 10 लाख कुओं की योजना सहित अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यों के लिये और 25 प्रतिशत निधियां सड़कों तथा भवनों सहित अन्य कार्यों के लिये निर्धारित की जायेगी। निधियों के जिला अंश के बारे में अन्तर्क्षेत्रीय स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।

ग्राम स्तर पर निधियों का निर्धारण

19. ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त की गई निधियों में से प्रशासन पर व्यय की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत और परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर 10 प्रतिशत होगा। शेष राशि में से कम से कम 15 प्रतिशत निधियां 10 लाख कुओं की योजना सहित अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यों पर खर्च की जाएगी। यह एक अनिवार्य निर्धारण है। जैसाकि जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों के जिला अंश के मामले में है, यह निर्धारित किया गया है कि 35 प्रतिशत व्यय आर्थिक रूप से उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियों, 25 प्रतिशत व्यय सामाजिक वानिकी कार्यों और 25 प्रतिशत व्यय सड़कों तथा भवनों सहित अन्य निर्माण कार्यों पर हो सकता है। लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति व्यय के अलावा क्षेत्रीय व्यय निदर्शी है। यदि ग्राम पंचायत चाहे, तो आर्थिक रूप से उत्पादक स्वरूप के

क्षेत्र, सामाजिक वानिकी क्षेत्र और अन्य कार्यों की श्रेणी की निधियों के अन्तर्क्षेत्रीय स्थानांतरण की अनुमति होगी ।

जिला स्तर पर कार्य की योजना

20. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित निधियों के अपने अंश के 1.5 प्रतिशत के बराबर शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगी । तथापि, 1989-90 के लिये यह कार्य 30 जून, 1989 तक पूरा कर लिया जायेगा। तब तक कोई कार्य हाथ में नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि यह वार्षिक कार्य योजना का भाग बन जाये ।

21. वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय नये कार्यों को शुरू करने से पहले अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जायेगा जो 2 वर्षों के भीतर पूरा न हो सकता हो ।

ग्राम स्तर पर कार्य योजना

22. विभिन्न ग्राम पंचायतों/मण्डलों के क्षेत्राधिकार के गांवों के विकास की योजनाओं पर ग्राम पंचायत की बैठकों में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए और लिये जाने वाले अन्तिम निर्णयों में वर्ष विशेष के दौरान शुरू किये जाने वाले निर्माण कार्यों की योजना का निर्धारण किया जाना चाहिए। कार्य की योजना तैयार करते समय गांव में कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों/जनजातियों, महिलाओं तथा ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के लिये उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ग्राम सभा को वर्ष में कम से कम 2 बार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति से अवगत कराया जाना चाहिए ।

ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण

23. कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन की देखरेख, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिये ग्राम पंचायत की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । इस समिति में कमजोर वर्गों का कम से कम एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाए।

जवाहर रोजगार योजना का सामाजिक परीक्षण

24. योजना का सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। इन बैठकों में ग्राम समुदाय का कोई भी सदस्य भाग ले सकेगा जो योजना के कार्यान्वयत के बारे में कोई भी मुद्दा उठा सकता है।

कार्यक्रम के पर्यवेक्षण/निगरानी के लिये राज्य स्तर पर समिति

25. राज्य स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समिति की होगी। इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रतिनिधि को नियमित रूप से आमंत्रित किया जायेगा ।

कार्यक्रम के पर्यवेक्षण/निगरानी के लिये केन्द्र स्तर पर समिति

26. समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने, मार्गदर्शिकाएं निर्धारित करने और समन्वित ग्रामीण

विकास कार्यक्रम की निरन्तर निगरानी, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र स्तर पर स्थापित समिति जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित वैसे ही कार्यों को भी देखेगी।

ठेकेदारों पर रोक

27. ठेकेदारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये लगाये जाने की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किसी बिचौलिये अथवा ऐसी किसी मध्यस्थ एजेंसी को नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि भुगतान की जाने वाली मजदूरी के पूरे लाभ मजदूरों को ही मिलें और ऐसे ठेकेदारों, बिचौलियों अथवा मध्यस्थ एजेंसी को अदा किये जाने वाले कमीशन के कारण निर्माण कार्यों की लागत न बढ़ सके।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरा पहला सवाल जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित किये जाने के बारे में है। अनुबन्ध के पैरा 8 के अनुसार कार्यान्वित किये जाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। पैरा 28 के अनुसार निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं किया जाएगा और यदि कोई मध्यस्थ या बिचौलिया नहीं रहता है तो कमीशन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा··· (**व्यवधान**)

स्पष्टतः किसी भी सरकारी विभाग द्वारा इन्हें शुरू नहीं किया जा रहा था। मैं समझता हूं कि विचार यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के अन्तर्गत एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय कर लिए जाने के पश्चात् इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये किसी भी लाभार्थी का नाम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में दिया जा सकता है। यदि किसी सक्षम लाभार्थी अर्थात् उस क्षेत्र के किसी निवासी को ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ उस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वयं ग्राम पंचायत, जिसके कार्यपालिका में मूल रूप से मुखिया तथा ग्राम पंचायत सेवक सम्मिलित हैं, इस परियोजना को कार्यान्वित करने नहीं करेंगे। यदि परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य अन्तिम रूप से किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंप दिया जाता है और पंचायत के अधिकारियों के साथ उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे रूप में ठेके की पद्धति को पुनः लागू किया गया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मार्गदर्शी सिद्धांत बहुत स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा परियोजना का चयन किया जायेगा और इसमें कोई भी लाभार्थी नहीं होगा। यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है।

उदाहरणार्थ, अगर सड़क निर्माण का कार्य करना है तो सड़क का चयन पंचायत समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। इसकी देख-रेख भी इसी के द्वारा की जानी चाहिए। इस परियोजना को पूरा करने के लिए किसी ठेकेदार को स्वीकृति नहीं है, किसी बिचौलिए को अनुमति नहीं है, यह पंचायत समिति के द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिए। अतः पंचायत समिति के अलावा किसी भी कार्य निष्पादन एजेंसी को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। यह एकमात्र संशोधन, जो माननीय प्रधान मंत्री, अर्थात् भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह ग्राम पंचायत की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है जिसे कार्यान्वित किया गया है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं माननीय मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बिहार

राज्य में कोई पंचायत सक्षम नहीं है जो इस योजना को कार्यान्वित कर सके। बिहार में प्रत्येक पंचायत को बिहार सरकार के निर्देश पर, ग्राम सभा द्वारा एक निर्वाचित व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है। तो क्या वह ठेकेदार नहीं हुआ ? मेरा दूसरा प्रश्न संसाधन की कमी से सम्बन्धित है जिसमें इस योजना के कथित लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वतः प्रधानमन्त्री द्वारा पूरे जोर शोर के साथ सम्पूर्ण देश में प्रचार किया गया। वर्ष 1989-90 के दौरान पंचायत पर खर्च की जाने वाली औसत धन राशि 2 लाख रुपये के लगभग होगी। इसका करीब 25 प्रतिशत विशेष मदों जैसे--पुरानी सम्पत्ति का रखरखाव, पुरानी योजनाओं को पूरा करने इत्यादि के लिए एवं जिला स्तर की योजनाओं के लिए अलग रखा गया है। अतः औसतन पंचायत को 1,50,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी तथा औसतन पंचायत की जनसंख्या करीब 5,000 लोगों की है और इसमे करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो गरीबो की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य ऐसे प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना है, आजीविका प्रदान करना है। अगर साल में 1,50,000 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं और 20 रुपये न्यूनतम मजदूरी दर है तो भी इससे मात्र 7,500 कार्य दिवसों का निर्माण हो सकेगा। पांच सौ परिवारों में विभाजन के पश्चात, आप 500 गरीब परिवारों में से एक व्यक्ति को 15 दिन के लिए रोजगार प्रदान करेंगे। प्रत्येक परिवार को अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम 200 दिन रोजगार आवश्यक हैं। इसका मतलब है कि इस महान् सद्भावना और 1,50,000 रुपये की इस बड़ी धनराशि से 300 परिवारों के मात्र 40 व्यक्ति अपनी जीविका अर्जन करने में सक्षम होंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन-राशि को इस सीमा तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं जिससे ग्राम पंचायत के प्रत्येक गरीब परिवार का एक व्यक्ति साल में कम से कम 200 दिनों तक जीविका अर्जन कर सके।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रारंभ में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है और, ग्राम पंचायतों में लोगों का प्रतिनिधित्व है। यहां पर माननीय सदस्य ने यहां तक कहा है कि बिहार की पंचायत समितियां कार्य निष्पादन करने की स्थिति में नहीं है, जो गलत है --मुझे ऐसा करते हुए खेद है --और (**व्यवधान**) ···कृपया ध्यान दें -कि माननीय सदस्य ने बिहार के लोगों का अपमान किया है।

श्री वसुदेव आचार्य : पिछले 15 वर्षों में इस सम्बन्ध में कोई चुनाव नहीं हुए ··(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत खराब बात है। श्री आचार्य आप एक नेता है।

श्री वसुदेव आचार्य : पिछले 15 सालों में कोई चुनाव नहीं हुआ है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस एकल व्यवस्था के तहत हम लोगों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। गांवों के लोग रोजगार समस्या में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे, वह भी विकास कार्यों में···(**व्यवधान**)। कृपया ध्यान दें। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस धन का जिले में शत-प्रतिशत आवंटन करने पर, इसका 20 प्रतिशत भाग जिला स्तर पर खर्च होगा और 80 प्रतिशत भाग पंचायत स्तर पर खर्च किया जाएगा। जिला स्तर पर उपलब्ध 100 प्रतिशत में से, 125 करोड़ रुपये का आवंटन -कृपया ध्यान दें - यानी 6 प्रतिशत इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगा, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। (**व्यवधान**) जिला स्तर पर उपलब्ध इस धनराशि में से 5 प्रतिशत प्रशासनिक खर्च पर, और 10 प्रतिशत पहले से निर्मित सम्पत्ति की देख-रेख पर खर्च किया

जाएगा। पंचायतों को आवंटित की गयी धनराशि में से, इंदिरा आवास योजना के लिए अलग से राशि रखे जाने के बाद, इसका 80 प्रतिशत भाग पंचायत और जिला-परिषद् पर खर्च किया जाएगा। इसमें एक ही शर्त है। इसमें क्षेत्रवार आवंटन का कोई निर्देश नहीं है। पंचायत के लिए स्वीकृत धनराशि का 15 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। यही एक मात्र शर्त है। (व्यवधान)

महोदय, कुछ पंचायतों, जैसे असम में कुछ बड़ी पंचायतों को करीब 7 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। केरल के कुछ बड़ी पंचायतों को 4 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी। अगर पंचायत में सौ के करीब लोग हैं तो उस पंचायत को कम धनराशि मिलेगी। अतः महोदय, पंचायत के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। पहले यह कभी नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि 55 प्रतिशत गांवों को हम एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत लाने में सक्षम हुए हैं। अब, इस योजना के तहत हम सम्पूर्ण देश के शत-प्रतिशत गांवों को लाने की कोशिश कर रहे हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं, जरा आप लोग सुनने की कृपा करियेग सुनने की मेहरबानी कीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : पहले उन्होंने अंग्रेजी में कंफ्यूजन क्रिएट किया, अब आप हिंदी में कीजिये।

श्री भजन लाल : अब आप इतने सीनियर मैम्बर और पुराने लीडर हैं, मैं तो आपसे कुछ कह नहीं सकता। आप लोग यहां जो बैठे हैं, तकरीबन कंफ्यूजन की बातें ही कर रहे हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। वैसे यहां मंत्री जी ने आपको बिल्कुल ठीक शब्दों में बताया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपये रखे गये हैं··· (व्यवधान) ··जब हम इस योजना को "जवाहर रोजगार योजना" के नाम से चला रहे हैं तो हमारे अपोजीशन के लोग इतने घबरा गये हैं ··(व्यवधान) · हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बहुत ही शानदार फैसला लिया है जो देश के गरीब लोगों के हित में है और जिससे गरीब लोगों को काम मिलेगा। इस योजना के तहत एक परिवार से एक व्यक्ति को हर हालत में रोजगार मिलेगा··· (व्यवधान)···आप जरा सुनने की कृपा तो कीजिये। इस योजना के तहत हम एक साल में 2623 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिलेगा। (व्यवधान) ···आप सुनने की कृपा कीजिये तब तो काम चले। भारत सरकार के बजट में 2100 करोड़ रुपये का इस वर्ष हमने प्रावधान किया है, 20 परसेंट हिस्सा अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को शामिल करना है, और इस तरह यह राशि 2623 करोड़ रुपये कुल बनती है। इस योजना के अंतर्गत हम एक परिवार से एक व्यक्ति को 100 दिन से लेकर 200 दिन तक रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा इन्होंने अभी बिहार के बारे में कहा, जहां कहीं भी पंचायत नहीं है, या लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइन्दे नहीं हैं, वहां डी० आर० डी० ए० के जरिये हम यह पैसा खर्च करेंगे। पंचायती राज ऐक्ट अभी इस सदन के सामने आने वाला है, उसके तहत सारे देश में हम एक जैसी व्यवस्था पंचायतों की बनायेंगे, ताकि सारे मुल्क में समय पर पंचायतों के चुनाव हो सकें और बाकायदा गरीब लोगों को काम मिलता रहे। लेकिन हमारे अपोजीशन के भाई, सारी मर्यादाओं और मान्यताओं को तोड़ कर जिस तरह हाउस को चलाना चाहते हैं, उसका मुझे बड़ा खेद है। यदि इन्हें

कोई बात कहनी है तो इस सदन की मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं, नियम हैं, उसके अंतर्गत कहें। जब हाउस के हमने नियम बना रखे हैं तो उन नियमों के अंतर्गत भी अपनी बात की जा सकती है, लेकिन इन्होंने कल से सदन में अजीब वातावरण बना रखा है। जब हम गरीब लोगों को राहत देने की बात करते हैं, गरीब लोगों को रोजगार देने की योजना लागू करते हैं तो इनके पेट में तकलीफ होती है, क्योंकि ये जानते हैं कि आगे हम आने वाले नहीं हैं। इसी कारण शायद ये बौखलाये हुए हैं और तरह-तरह की बातें कहने पर तुले हुए हैं। मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके नियमों के अंतर्गत रहकर बातें करें। आप इन्हें नियम सिखाइये, इनकी क्लास आपको लेनी पड़ेगी। पहले तो ये लोग कहा करते थे कि रिपोर्ट पेश करो, जब हमने रिपोर्ट पेश कर दी तो कहते हैं कि इस पर डिस्कशन भी कराओ ···(व्यवधान)···आखिर इसमें है क्या। कागजों को जला कर यों कहते फिरना कि पता नहीं इसमें क्या है, कहां तक उचित है। अभी सारी रिपोर्ट सामने आयी है। सरकार का इसमें क्या कसूर है, रिपोर्ट आने के बाद ही वह सारे प्वाइंट्स आपके सामने रखेगी। फिर तो आप कह सकते हैं कि सरकार दोषी है। सरकार ने इस मामले में जितनी उदारता दिखायी है कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको नियमों का पालन करना चाहिये, मर्यादाओं में रहना चाहिये। सारे देश के लोग आपकी तरफ देखते हैं कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट क्या कहती है। आज हमने गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है ? आप क्यों सारे कार्यक्रमों की मुखालफत करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ से प्रभावित राज्य

[हिन्दी]

*42. **श्री सरफराज अहमद :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की बाढ़ से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उन्हें कुल कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार द्वारा किए गए पुनर्वास और सहायता कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश ने चालू दक्षिण-पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान बाढ़ों और भारी वर्षा के कारण हुई क्षति की रिपोर्ट दी है। इन राज्यों द्वारा जान और माल को हुई क्षति की सूचना उनके प्रारम्भिक मूल्यांकन पर आधारित है जो संलग्न विवरण में दे दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न राहत उपाय किए हैं जिनमें राहत शिविर, स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, खाद्य पैकेटों और अन्य आवश्यक जिंसों का वितरण शामिल है।

2. अभी तक किसी भी प्रभावित राज्य से बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। इन सभी राज्यों के पास तत्काल राहत कार्य आरम्भ करने के लिए मार्जिन धनराशि होती है। भारत सरकार इस स्थिति पर निकट से निगरानी रख रही है।

विवरण

भारी वर्षा और बाढ़ों के कारण हुई क्षति (मानसून–1989)

(अस्थायी) राज्य सरकार की सूचनानुसार

क्र० सं०	राज्य	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसलें (लाख में)	जन हानि (संख्या)	मारे गये पशु (संख्या)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	(पश्चिम कामंग, पूर्वी कामंग, तावांग)	—	1.2	—	24	—	—
2.	असम प्रथम प्रकोप 18-6-89 से 23-6-89 तक	6 (कामरूप, धुबी, जोरहाट, दारंग, बारपेटा और सोनितपुर)	0.19	0.62	0.06	—	3	35
	दूसरा प्रकोप 1-7-89 से निरंतर	8 (कामरूप, धुबी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, उत्तरी लखीमपुर, नौगांव, और सिबसागर)	1.76	4.78	0.49	4	—	1141
3.	बिहार	(कटिहार)	—	0.36	0.3	—	—	84
4.	केरल	7 (इदुक्की, क्यूलोन, त्रिचुर, मालीपुरम, अलीप्पी, कोट्याम, और त्रिवेन्द्रम)	—	—	0.02	33	—	5759

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	उत्तर प्रदेश	3 (बहराईच, गोरखपुर और गोन्डा)	0.24	1.50	0.06	4	—	—
6.	आन्ध्र प्रदेश	8 (कुड्डप्पा, अनन्तपुर, प्रकासम, पश्चिम गोदावरी, नालगोंडा, वारंगल, खमाम और चित्तूर)	—	—	—	67	—	2063

टिप्पणी : "—" सूचना प्राप्त नहीं हुई को दर्शाता है ।

भारत-पाक वार्ता

[अनुवाद]

*45. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

श्री तम्पन थामस :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच सरकारी स्तर की पिछली वार्ता कब हुई;

(ख) इसमें किन मुद्दों पर विचार किया गया था; और

(ग) दोनों देशों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में पाकिस्तान का क्या रुख रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच बातचीत का पिछला दौर 17-18 जून, 1989 को इस्लामाबाद में हुआ था।

(ख) आपसी हित के अनेक द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे लम्बे अर्से से चली आ रही उन संदेहों और गलतफहमियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे जो भारत-पाक संबंधों को बिगाड़ रहे हैं और साथ ही मैत्री तथा सहयोग के आधार पर स्थायी संबंधों की नींव तैयार करेंगे। इस बात को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि पारस्परिक अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के आधार के रूप में शिमला समझौते की संगतता निरन्तर बनी हुई है।

एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण

*48. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर: क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से तीव्र गति के यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में कुछ भागों में एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य के कार्यक्रम को किस तिथि तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा तथा इसे किस तिथि तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अधिक यातायात वाले मार्गों के लिए ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने का इरादा है ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा तक पहली एक्सप्रैस वे का निर्माण कार्य पहले ही हाथ में ले लिया है। इस एक्सप्रैस वे की लम्बाई 93 कि० मी० है।

संबंधित राज्य सरकारों से निम्नलिखित तीन स्टों के साथ-साथ एक्सप्रैस वे के सर्वेक्षणों, जांचों तथा व्यवहार्यता अध्ययनों से संबंधित प्राक्कलन भेजने के लिए कह दिया गया है : —

क्र० सं०	रूट	लम्बाई
1.	बम्बई-पुणे	145 कि० मी०
2.	बदोदरा-बम्बई	423 कि० मी०
3.	मद्रास-बंगलौर	325 कि० मी०
	कुल :	893 कि० मी०

इनके निर्माण के लिए अभी समय ढांचा बताया नहीं जा सकता।

भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया जाना

*49. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सात-सूत्री योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ग्रामीण गरीबों को भूमि तक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से कुछ भूमि सुधार उपायों को तेजी से कार्यान्वित करने वाले कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मद निम्नलिखित हैं :—

(1) भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को उनके कब्जे वाले आवास स्थलों के संबंध में मालिकाना हकूक देना।

(2) अधिकतम सीमा कानूनों से बचाई गई भूमि के फर्जी लेन देन का पता लगाना।

(3) मौखिक काश्तकारों/बटाईदारों को रिकार्ड में लाना।

(4) भूमि के अनुसूचित जाति/जनजाति के आवंटियों के संबंध में कब्जे का पता लगाना।

(5) भविष्य में भूमि के आवंटन में महिलाओं के लिए आरक्षण करना।

(6) मुकदमेबाजी में फंसी हुई फालतू घोषित भूमि के शीघ्र वितरण का उपाय करना।

चूंकि भूमि राज्य का विषय है, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा।

गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना

*50. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
डा० सुधीर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस पर आधारित दो उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब होने के कारण इनके ठेकेदार ने निर्माण लागत में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो मांगी गई अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना को स्थापित करने में हुए विलम्ब का मुख्य कारण परियोजना के मूल स्थान को सवाई माधोपुर से स्थानान्तरित करके कोटा जिले में गडेपन नामक नए स्थान पर ले जाना है ताकि पर्यावरणात्मक मार्गदर्शनों का अनुपालन हो सके। बबराला परियोजना के मामले में विलम्ब, प्रवर्तक के उत्पाद पद्धति में परिवर्तन करने तथा परियोजना की वित्तीय लाभप्रदता में सुधार करने के लिए मैसर्स टाटा फर्टिलाइजर्स लि० को मूल कम्पनी के साथ मिलाने के प्रस्ताव के कारण हुआ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[हिन्दी]

* 51. **श्री हरीश रावत** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योग का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में सरकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत

[अनुवाद]

*52. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री शांतिलाल पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल व्यापार और पारगमन सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं का समाधान करने के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बातचीत के लिए कोई तारीख निश्चित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) 16 जून, 1989 को विदेश मंत्री ने नेपाल सरकार के विदेश मंत्री को जो पत्र भेजा था उसमें सरकार ने दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श किए जाने वाले भारत-नेपाल संबंधों के सभी संगत पहलुओं को शामिल करके एक व्यापक कार्य-सूची का प्रस्ताव किया गया था। 26 जून के अपने उत्तर में नेपाल के विदेश मंत्री ने इस कार्यसूची में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। इनकी जांच की जा रही है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष जल्दी ही ईमानदारी के साथ निस्संकोच और सौहार्दपूर्ण बातचीत शुरू कर देंगे क्योंकि इसी से शेष सभी मसलों को तय किया जा सकता है।

बिहार के समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल की आपूर्ति

*53. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अभी भी ऐसे अनेक समस्याग्रस्त गांव हैं जहां पेय जल की सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1989 को ऐसे गांवों की संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे गांवों में पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(क) 30 जून, 1989 को बिहार में 210 "बिना स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांव हैं जिन्हें अभी स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना है।

(ग) इन सभी समस्याग्रस्त गांवों को 1989-90 अर्थात् सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में स्वच्छ पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

कोचीन शिपयार्ड का कार्य-संचालन प्रबंध

*54. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कार्य-संचालन प्रबंध की स्थिति अब काफी खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप कम्पनी को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) बोर्ड

के दो प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों अर्थात् डी०डब्ल्यू०टी० के संदर्भ में किए गए जहाज निर्माण और की गई जहाज मरम्मत के मूल्य को देखने से पता चलता है कि कोचीन शिपयार्ड के कार्य संचालन में 1987-88 की तुलना में 1988-89 में कोई गिरावट नहीं आई। तथापि, कम्पनी को 1987-88 में 25.86 करोड़ रु० का घाटा हुआ था जो 1988-89 में बढ़कर 26.94 करोड़ रु० हो गया।

अन्य बातों के अलावा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित जहाजों के लिए अलाभकर मूल्य निर्धारित किया जाना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दिए गए ऋणों पर भारी ब्याज देयता घाटे के मुख्य कारण हैं।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपचारी उपायों में मूल्य निर्धारण फार्मूला में संशोधन करने, पूंजीगत आधार की पुनः संरचना करने, ब्याज स्थगन 31-3-1989 तक सभी ऋणों की अदायगी स्थगित करने, नकद घाटों की प्रतिपूर्ति करने, आयात शुल्क रियायतें देने इत्यादि की जांच की जा रही है।

पाराद्वीप पत्तन के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

*55. **श्री के० प्रधानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया की मैसर्स हयून्डाई कारपोरेशन ने पाराद्वीप पत्तन के समेकित विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार और रेल मंत्रालय ने भी खानों और पत्तन को जोड़ने वाली रेल लाइनों के विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) परियोजना की कुल अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में खानों के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) भेजी है। रेल मंत्रालय ने दाइतरी और बांसपानी के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए पहले से तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को नया रूप दे दिया है लेकिन वे पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजने के लिए आंकड़े एकत्र कर रहे हैं।

(घ) चूंकि अन्तिम रूप से तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी नहीं गई है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

चकमा आदिवासियों को बंगलादेश वापिस भेजना

[हिन्दी]

*56. **श्री विनेश गोस्वामी** :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश से कोई बातचीत की है कि वह गत अनेक वर्षों से भारत में रह रहे चकमा आदिवासियों को वापस ले लें;

(ख) यदि हां, तो यह बातचीत कब हुई थी और क्या मई-जून, 1989 के दौरान अनेक और चकमा आदिवासी अवैध रूप से भारत आ गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समय हमारे देश में कुल कितने चकमा आदिवासी रह रहे हैं; और

(घ) सरकार का इन लोगों को एक निर्धारित अवधि में वहां वापस भेजने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार बंगलादेश की सरकार के साथ निरन्तर राजनयिक सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि उसे ऐसे उपाय करने के लिए राजी किया जाए जिनसे शरणार्थियों के अन्दर स्वेच्छा से अपने घरों को लौटने के लिए विश्वास पैदा हो। बंगलादेश के विदेश मंत्री की 7 जुलाई, 1989 की हाल ही भारत यात्रा के दौरान भी उनसे इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। मई, 1989 से 22,000 से अधिक शरणार्थी त्रिपुरा में आ चुके हैं।

(ग) 4 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार त्रिपुरा में शरणार्थियों की कुल संख्या 65849 थी।

(घ) हालांकि बंगलादेश की सरकार का कहना है कि शरणार्थियों के लौटने के लिए वहां पर स्थिति अनुकूल है किन्तु शरणार्थियों को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है और इसलिए उन्होंने वापस जाने के लिए मना कर दिया है। सरकार इस प्रयोजन के लिए बंगलादेश की सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए रखेगी। शरणार्थियों की वापसी के लिए कोई समय सीमा निश्चित करना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह बंगलादेश द्वारा ठोस कार्रवाई किए जाने पर निर्भर करता है।

सिंगापुर से भारतीय आप्रवासियों का निर्वासन

[अनुवाद]

*57. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1989 में सिंगापुर सरकार द्वारा आप्रवासी अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद वहां से कितने भारतीय आप्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा;

(ख) इस समय ऐसे कितने भारतीय सिंगापुर की जेलों में हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हें रिहा कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1752 भारतीयों ने 23 मई,

1989 तक भारतीय हाई कमीशन में स्वयमेव अपना पंजीकरण करा लिया था। उसके बाद इन सभी को देश प्रत्यावर्तित कर लिया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 60 भारतीय आप्रवासन अपराधों के लिए सिंगापुर की जेलों में हैं।

(ग) जिन 10 भारतीयों को अवैध प्रवेश अथवा निश्चित समयावधि से अधिक समय तक ठहरने के लिए सिंगापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलग-अलग अवधियों के लिए कारावास की और तीन-तीन बेंत लगाने की सजा दी थी, उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने में आवश्यक सहायता दी गई थी। 16 जून, 1989 को भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित सिंगापुर हाई कमीशन को एक स्मरण पत्र दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें दी गई सजाओं पर अपनी चिन्ता दोहराई थी और कुछ ऐसे उपाय भी सुझाए थे जो इस समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों सरकारों को करने चाहिए। उनकी अपीलें रद्द हो जाने के बाद इनमें से 9 लोगों ने माफी के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दी थी और उन्हें बेंत खाने की सजा से माफ कर दिया गया है। फिर भी, उन्हें कारावास की सजा काटनी होगी। सजा माफ करने के लिए 10वें भारतीय की अपील सिंगापुर के हाई कोर्ट में अभी अनिर्णीत है और भारत सरकार इस मामले में आवश्यक सहायता कर रही है।

17 जुलाई, 1989 को सिंगापुर की सरकार ने दूसरी बार और अन्तिम रूप से आम माफी की घोषणा की ताकि सभी आप्रवासन अपराधी जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जो अपने मुकदमें की सुनवाई या देश प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे, बिना कोई सजा पाए 18 जुलाई से 8 अगस्त, 1989 के बीच देश प्रत्यावर्तित किए जा सकें।

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सप्लाई क्षमता

*58. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजधानी में उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना को दूध सप्लाई क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सप्लाई की वर्तमान क्षमता कितनी है और इसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सप्लाई क्षमता कब तक बढ़ाई जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना को दूध के रख-रखाव की क्षमता को करीब 4.12 लाख लीटर टोण्ड दूध प्रतिदिन (औसत) के वर्तमान विपणन स्तर से बढ़ाकर 5.00 लाख लीटर प्रतिदिन के विपणन स्तर तक लाया जा रहा है।

(ग) जैसे ही पैकेजिंग/रेफ्रीजिरेशन की क्षमता स्थापित हो जायेगी और आवश्यक संचालन कर्मचारी तैनात हो जाएंगे। विपणन स्तर में भी वृद्धि हो जाने की आशा है।

फसल बीमा के लिए पंचायतों को इकाई बनाना

*59. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार फसल बीमा के प्रयोजन हेतु जिलों के स्थान पर पंचायतों को इकाई बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यों को एक जिला/तहसील/तालुक/खंड अथवा अन्य छोटे समीपवर्ती क्षेत्र को फसल बीमा की इकाई के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते कि उनके पास पिछले 5 वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हों तथा प्रत्येक मौसम के अन्त में इकाई क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक बीमाकृत फसल हेतु अपेक्षित संख्या में फसल कटाई के परीक्षण करने की भी क्षमता हो। एक बार अपेक्षित सांख्यिकी आंकड़े सृजित हो जाने पर पंचायत/पटवार सर्किल को फसल बीमा के लिए इकाई के रूप में बनाना सम्भव हो जाएगा।

नीम का कीटनाशक के रूप में प्रयोग

*60. **श्री पी० एम० सईद :**

डा० जी० विजय रामाराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "नीम-ए नैचुरल पेस्टीसाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए नीम पर आधारित कीटनाशकों के उत्पादन हेतु अनुसंधान और विकास कार्य को तेज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) नीम के विभिन्न सक्रिय मिश्रणों (यौगिकों) का पता लगाने तथा उनको अलग करने पर अनुसंधान किया गया है। रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम से बने मिश्रणों के इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा देश के अन्य केन्द्रों में अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फल प्रसंस्करण उद्योग को सहायता

*398. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल प्रसंस्करण उद्योग के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारण, महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के सिन्धुदुर्ग तथा रत्नगिरि जिलों में भारी मात्रा में फलों के उत्पादन का उपयोग नहीं हो पाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस फल प्रसंस्करण उद्योग के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख):

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक योजना स्कीम है जिसके अधीन सरकारी/सहकारी क्षेत्र में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों/सहकारी अभिकरणों को वित्तीय सहायता दी जाती है। कोंकण क्षेत्र में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पारादीप पत्तन के जरिए आयात किए गए उर्वरक

399. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पारादीप पत्तन के जरिये उर्वरकों का आयात कर रही , और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88, 1988-89 के दौरान पारादीप पत्तन के जरिये विभिन्न देशों से उर्वरक की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है और वर्ष 1989-90 के दौरान इसका कितना आयात किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88 — शून्य

1988-89 — शून्य

1989-90 — लगभग 1,00,000 टन

खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग

400. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में भारत और चीन किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तों का तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) इस्पात और खान मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने 24 अप्रैल से 5 मई, 1989 के दौरान चीन जनवादी गणराज्य का दौरा किया। दौरे के अन्त में, 5 मई, 1989 को, भारत गणराज्य और जनवादी चीन गण-राज्य के प्रतिनिधियों के बीच भूविज्ञान तथा खनिज स्रोत क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक परामर्शी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। परामर्शी ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

परामर्शी ज्ञापन

भारत गणराज्य के इस्पात और खान मंत्री महामहिम श्री माखन लाल फोतेदार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जनवादी चीन गणराज्य के भूविज्ञान और खनिज संसाधन मंत्री श्री जु जुन के

निमंत्रण पर 24 अप्रैल से 5 मई, 1989 के दौरान चीन का दौरा किया। भारतीय शिष्ट-मंडल की सूची संलग्न है।

श्री माखन लाल फोतेदार ने इस दौरे में भूविज्ञान और खनिज संसाधन मंत्री श्री जू जुन और धातु उद्योग मंत्री श्री क्वी युआनजिंग के साथ मैत्री और सदभावपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श किया। भारतीय शिष्ट-मंडल ने बीजिंग में भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, भूवैज्ञानिक उपकरण फैक्टरी तथा शाउद आइरन एंड स्टील कार्पोरेशन, शंघाई में बोआशन जनरल आइरन एंड स्टील वर्क्स तथा भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के समुद्री भूविज्ञान सर्वेक्षण ब्यूरो, तथा जियांग्जी प्रांत में डेक्सिंग तांबा खानों, अयस्क प्रसाधन संयंत्र एवं प्रयोगशाला, लघु स्तरीय खान और जिहआशन टंगस्टन खान का भी निरीक्षण किया था।

चीन जनवादी गणराज्य के स्टेट काउंसिलर श्री जोऊ जियाहुआ ने भारत गणराज्य के इस्पात और खान मंत्री महामहिम श्री एम० एल० फोतेदार की अगवानी की।

दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श के अनुसरण में यह सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच परस्पर हित के सहयोग की संभावनायें हैं तथा इस संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया :

(1) भूविज्ञान, भू-रसायन तथा भू-भौतिकी

(2) खनिज गवेषण तथा खनिजों का बहुपयोजनीय उपयोग

(3) जलीय भूविज्ञान एवं भूपर्यावरण

(4) खनिजों के विकास एवं संरक्षण हेतु खान विनियमन

(5) परस्पर हित के यथा-सहमत अन्य क्षेत्र

साथ ही, खनिज गवेषण, भूवैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना, साहित्य, प्रतिदर्शी एवं अन्य मानक नमूनों के आदान-प्रदान द्वारा तथा परस्पर हित की शोध परियोजनाओं में परस्पर लाभ हेतु भागीदारी द्वारा आम सहमति विकसित करने की भी सहमति हुई थी।

भागीदारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों तथा आदान-प्रदान एवं सहयोग के स्वरूप और पद्धतियों के निर्धारण एवं विचार हेतु विशेषज्ञों एव शिष्ट-मंडलों के दोतरफा दौरों के बारे में भी दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी। इन भावी दौरों और भागीदारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का समय और अन्य ब्यौरे भारत के इस्पात और खान मंत्रालय के खान विभाग तथा चीन गणराज्य के भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग द्वारा मिलकर तय किये जाएंगे।

दोनों पक्षों ने भेंट-वार्ता के प्रति संतोष व्यक्त किया तथा भूविज्ञान एवं खनिज संसाधान सेक्टरों में सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध कायम करने और विकसित करने की सदेक्षा व्यक्त की।

बीजिंग में 5 मई, 1989 में सम्पन्न ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर जनवादी चीन गण-राज्य के भूविज्ञान और खनिज संसाधन मंत्री श्री जू जुन तथा भारत गणराज्य के इस्पात और खान मंत्री श्री एम० एल० फोतेदार उपस्थित थे।

जनवादी चीन गण-राज्य के भूविज्ञान और खनिज संसाधन मंत्रालय के लिये प्रतिनिधि

ह०/-
(जिया गुओची)
वाइस मिनिस्टर

भारत गण-राज्य के इस्पात और खान मंत्रालय के लिये प्रतिनिधि

ह०/-
(बी० के० राव)
सचिव
खान विभाग

भारतीय शिष्टमण्डल की सूची

शिष्टमण्डल के नेता

श्री माखन लाल फोतेदार	इस्पात और खान मंत्री

शिष्टमंडल के सदस्य

श्री बी० के० राव	सचिव, खान विभाग
श्री सी० वी० रंगानाथन	चीन में भारत के राजदूत
श्री यू० के० मुखोपाध्याय	संयुक्त सचिव, इस्पात विभाग
श्री डी० के० राय	वरिष्ठ उपमहानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
श्री एस० आर० जैन	उपाध्यक्ष, स्टील आथारिटी आफ इंडिया
श्री एस० के० चौधरी	मुख्य खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो
श्री डी० के० बंधोपाध्याय	उप महाप्रबंधक, (धातुकर्म सेवाएं) हिंदुस्तान कापर लिमिटेड
श्री एम० एस० नागर	निदेशक (तकनीकी), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड
श्री एस० के० गोयल	प्रथम सचिव (आर्थिक तथा वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास
श्री एस० कृष्णन	मंत्री (इस्पात और खान) के निजी सचिव

अमरीकी जन सम्पर्क फर्मों की सेवायें किराये पर लेना

401. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अमरीका में अपनी ओर से प्रचार करने के लिए अमरीकी जन सम्पर्क फर्मों की सेवायें किराये पर ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन फर्मों की सेवायें किराये पर ली गई;

(ग) इस समय किन-किन फर्मों की नियुक्ति सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) इन फर्मों के साथ प्रस्तावित ठेका करने पर अनुमानतः कितनी लागत आने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस काम के लिए किसी भी जन-सम्पर्क को नहीं रखा गया है।

(ग) और (घ) चूंकि किसी जन-सम्पर्क फर्म से काम लेने के प्रश्न पर अभी विचार शुरू हुआ है अतः ऐसे मसलों पर किसी खास ढंग से विचार नहीं किया गया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा भूटान सप्ताह पर किया गया व्यय

402. **श्री राज कुमार राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने हाल ही में भारत में भूटान सप्ताह आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो विमान यात्रा, भोजन और आवास व्यवस्था, परिवहन और प्रचार पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या मुद्रण कार्य सरकार द्वारा काली सूची में रखे गये मुद्रणालय से कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हवाई यात्रा 10,100.00 रु०

भोजन/आवास 1,78,493.20 रु०

परिवहन 21,333.40 रु०

प्रचार 2,18,७14.38 रु०

(ग) विदेश मंत्रालय अथवा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने प्रश्न में उल्लिखित प्रेस को काली सूची में नहीं रखा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों की बढ़ती क्षमता

403. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों की क्षमता दुगुनी करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण करने तथा इसकी क्षमता दुगुनी किए जाने का प्रस्ताव है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की मंजूरी दे दी गई है परन्तु राउरकेला तथा बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों की क्षमताओं में थोड़ी वृद्धि के साथ उनका आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

	इकाई	अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता में की गई परिकल्पित वृद्धि
1.	"इस्को"	प्रतिवर्ष 10 लाख टन से प्रतिवर्ष 21.5 लाख टन तक
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	प्रतिवर्ष 16 लाख टन से प्रतिवर्ष 18.76 लाख टन तक
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	प्रतिवर्ष 18 लाख टन से प्रतिवर्ष 19 लाख टन तक
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	प्रतिवर्ष 40 लाख टन से प्रतिवर्ष 45 लाख टन तक

(ग) इस सम्बन्ध में किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं :—

(1) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को)

जापानी परामर्शी कम्पनियों के एक संघ के साथ आधारभूत इंजीनियरिंग अध्ययन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए लागत अनुमान का भी पता लगाया जाएगा। निवेश सम्बन्धी निर्णय अध्ययन पूरा हो जाने तथा उसकी जांच के बाद ही लिया जाएगा।

(2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य आरम्भ हो गया है। कुल 6 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों में से 5 टर्न-की अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए संविदाओं पर और कुल 10 देशी पैकेजों में से 7 टर्न-की पैकेजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। शेष पैकेजों को भी शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(3) राउरकेला इस्पात संयंत्र

प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण योजना के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी गई है और चरण-1 के लिए मंजूरी जुलाई, 1988 में ही दी जा चुकी है। चरण-1 के आधुनिकीकरण संबंधी 6 मुख्य पैकेजों के लिए आर्डरों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। स्थल पर समर्थकारी कार्य यथा-निर्धारित रूप से हो रहे हैं। लोक निवेश बोर्ड ने परियोजना के चरण-II को स्वीकृति दे दी है। निवेश संबंधी निर्णय लिया जा रहा है।

(4) बोकारो इस्पात संयंत्र

सोवियत रूस की वी०/ओ० त्यांजप्रोमेक्सपोर्त को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिसके अगस्त, 1989 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उसके बाद ही निवेश संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम में नवोदय विद्यालय खोलना

404. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) योजना के अनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, औसतन प्रति जिला एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण नये नवोदय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया में सरकार के लिए गति को धीमी करना जरूरी हो गया है। अतः त्रिवेन्द्रम जिले में अभी एक नवोदय विद्यालय खोला जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में जन कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संबंधी विकास परिषद द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को धन दिया जाना

405. **श्री श्री० भूपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जन कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संबंधी विकास परिषद (काउंसिल एडवांसमेंट आफ पीपुल एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलोजी) के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों और अनुसंधान संस्थाओं को धनराशि दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के क्या नाम हैं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितना धन दिया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) जन कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संबंधी विकास परिषद द्वारा उन स्वयंसेवी संगठनों को धन स्वीकृत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ने इस विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में 176 स्वयंसेवी संगठनों और अनुसंधान संस्थाओं को अब तक 503.84 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृति की है जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यक्रमों का संवर्धन	11	19.39
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास	18	36.61
3.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन	48	16.93
4.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8	10.90
5.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	26	94.49
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	18	42.22
7.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	27	186.27
8.	कापार्ट की सहायता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजनाओं को उन्नत बनाना	19	92.13
9.	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं	1	4.90
		176	503.84

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन से उन क्षेत्रों में जहां ये योजनाएं स्वीकृत की गई थीं, समन्वित ग्रामीण विकास हुआ है।

(घ) लीक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद (कापार्ट) ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं की इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में कापार्ट द्वारा जांच की जाती है और जिन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप पाया जाता है, उन्हें कापार्ट द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है।

शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि मुहैया कराना

406. श्री जी० भूपति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार समूचे देश में शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु किन्हीं स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि मुहैया कराती रही है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं, उनके द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इन स्वैच्छिक संगठनों के लिए धनराशि प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों तथा उन्हें दिए गए अनुदानों की राशि के बारे में ब्यौरे शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।

(ग) इन परियोजनाओं से शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा-विकास आदि में, मुख्य रूप से शिक्षा का सुलभीकरण करके सहायता मिली है। उनसे सरकारी कार्यक्रमों में जनसहभागिता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है।

(घ) सहायता योजनाओं में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर, उनके प्रस्तावों की जांच करने के बाद उनकी अनुदानों को सिफारिश करने के लिए सहायता-अनुदान समितियों द्वारा विचार किया जाता है।

स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा

407. **श्री जी० भूपति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं; आरम्भ की गई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर यथा-शीघ्र रख दी जायेगी।

उड़ीसा में नवोदय विद्यालय खोलना

408. **श्री हरिहर सोरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के किरीबुर में एक नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक खोले जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) :

(क) योजना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान औसतन एक नवोदय विद्यालय प्रति जिला खोला जाएगा। एक ऐसा नवोदय विद्यालय 1986-87 में किओनझार जिले के गांव हाडागढ़ में पहले ही से स्थापित किया जा चुका है। अतः किओनझार जिले के किरीबूर में उसी जिले के अन्दर एक अन्य नवोदय विद्यालय स्थापित करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रुग्णता

410. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित, विशेष रूप से लघु क्षेत्र में अनेक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक रूप से अक्षम और रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास इसके बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बटोटे-किश्तवार राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए धनराशि का आवंटन और व्यय

411. **मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर) :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में बटोटे-किश्तवार राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राज्यों को धन काआवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग वार नहीं किया जाता बल्कि राज्य-सरकारों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं, उनकी ग्राह्यता तथा राशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यों की देख-रेख में राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में पूरे राज्य के लिए किया जाता है। इस आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य-सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित राशि और सूचित किया गया खर्च इस प्रकार है :

वर्ष	अंतिम आवंटन	सूचित किया गया खर्च (लाख रु० में)
1986-87	485.00	484.89
1987-88	725.00	663.40
1988-89	650.00	449.91

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य-सरकार की देख रेख में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान 300.00 लाख रु० का आवंटन किया जा चुका है।

लघु उद्योग एककों को लोहे और इस्पात का आवंटन

412. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 में लघु उद्योग एककों को लोहे और इस्पात को राज्यवार कितनी मात्रा आवंटित की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा विपरित की गई; और

(ग) कच्चे माल के रूप में इस्पात का उपयोग करने वाले लघु एककों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) लघु औद्योगिक एकक सम्बन्धित राज्य लघु उद्योग निगमों से तथा उत्पादकों से भी मांग पंजीयन पर लोहा और इस्पात प्राप्त करते हैं। उनको राज्य-वार या कैलेंडर वर्ष-वार आवंटन करने की कोई पद्धति नहीं है।

(ग) ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या निर्धारित करने के लिए मानदंड

413. **श्री राघवाचार्य प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) ये मानदंड कब से लागू किये गये हैं :

(ग) क्या चालू शैक्षिक सत्र के लिए अध्यापकों की मूल संख्या और संशोधित संख्या इन मानदंडों के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ संख्या प्रत्येक कक्षा में सेक्शनों की संख्या, पढ़ाये जा रहे विषयों, और प्रत्येक विषय के लिए आवंटित पीरियडों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

(ख) ये मानदंड केन्द्रीय विद्यालय योजना के अस्तित्व में आने से लागू हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों की वर्ष 1989-90 की स्टाफ संख्या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में घाटा

414. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को गत तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या घाटे के कारणों को जानने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में से दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान लि० ने अपने कार्यचालन से मुनाफा दिखाया है, जैसा कि नीचे उल्लेख है :

	करोड़ रु० में मुनाफा/(घाटा)
1986-87	(8.87)
1987-88	16.12
1988-89	73.43 (अनन्तिम)

* सरकारी ऋण पर ब्याज छोड़कर।

31-3-1989 को हिन्दुस्तान कापर लि० का संचयी घाटा 61.03 करोड़ रुपए (अनन्तिम) था।

(ग) और (घ) विगत में हिन्दुस्तान कापर लि० को घाटा होने के मुख्य कारण इस प्रकार है :

(1) अलाभप्रद बिक्री मूल्य।

(2) निम्न ग्रेड अयस्क।

(3) कार्यचालन का निम्न स्तर।

(4) परोत्पादों की न्यून प्राप्ति।

(5) ऊंची आदान लागतें।

हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा अपने कार्य निष्पादन में और सुधार लाने हेतु किए गए महत्वपूर्ण उपाय है --क्षमता का इष्टतम उपयोग, ऊर्जा खपत में कटौती, श्रमशक्ति का कुशल नियोजन, कड़ा बजटीय अंकुश, विद्यमान प्रद्रावकों और शोधनशालाओं की खामियां दूर करना और आधुनिकीकरण करना तथा नई प्रौद्योगिकी अपनाना।

झूम खेती

415. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झूम खेती पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ राज्यों में पहले कोई प्रायोगिक योजना आरंभ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या झूम खेती पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों में इस समय कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झूम खेती के नियंत्रण के लिये आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में केन्द्रीय क्षेत्र में तहत एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गयी थी। इस योजना तहत 2500 झूमिया कृषक परिवारों को 216.76 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1-4-1979 से यह योजना राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गयी थी। तथापि, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संबंध में यह योजना, केन्द्रीय क्षेत्र के तहत 1986-87 तक जारी रखी गयी थी।

(ग) और (घ) झूम खेती के नियंत्रण के लिये एक योजना वर्ष 1987-88 में शुरू की गयी है जिसमें राज्य योजना को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और त्रिपुरा में झूम खेती करने वाले 25,000 परिवारों को बसाये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये 75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसे वर्ष 1987-88 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भीतर खर्च किया जायेगा। सातवीं योजना के अन्तिम तीन वर्षों (87-88 से 89-90 तक) के लिए 45 करोड़ रुपये का एक परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

समेकित बाल-विकास सेवा परियोजनाएं

416. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित कुछ नई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सेवाओं से बच्चों के लिए विशेष रूप से पिछड़े ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में, क्या लाभ प्राप्त हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए आवंटित नई केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं को राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ग) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण—1

वर्ष 1989-90 के लिए नई आई० सी० डी० सी० परियोजनाओं का राज्यवार आवंटन

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	परियोजना की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	29
2.	असम	6
3.	बिहार	43
4.	गुजरात	19
5.	हरियाणा	10
6.	हिमाचल प्रदेश	9
7.	जम्मू और कश्मीर	15
8.	कर्नाटक	28
9.	केरल	6
10.	मध्य प्रदेश	48
11.	महाराष्ट्र	33
12.	मणिपुर	4
13.	मेघालय	6
14.	नागालैण्ड	4
15.	उड़ीसा	29
16.	पंजाब	12
17.	राजस्थान	26
18.	*सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	33
20.	त्रिपुरा	5
21.	उत्तर प्रदेश	83
22.	वैस्ट बंगाल	36
23.	*अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—

1	2	3
24.	*गोआ	—
25.	अरुणाचल प्रदेश	11
26.	*चण्डीगढ़	—
27.	*दादर और नागर हवेली	—
28.	दिल्ली	2
29.	*दमन और द्वीप	—
30.	*लक्ष्यद्वीप	—
31.	मिजोराम	3
32.	*पाण्डेचेरी	—
	कुल :	500

तारांकित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पहले ही पूर्णरूपेण आई० सी० डी० एस० योजनायें चालू हैं।

विवरण—2

समेकित बाल विकास सेवा योजना से प्राप्त लाभ

समेकित बाल विकास सेवा योजना में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को निम्नलिखित सामूहिक सेवायें प्रदान की जाती हैं :—

1. पूरक पोषाहार
2. रोग प्रतिरोधन
3. स्वास्थ्य जांच
4. स्वास्थ्य संदर्भ सेवाएं
5. स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा, और
6. स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए)

2. स्वतंत्र रूप से किए गए कुछ मूल्यांकन अध्ययनों से गुणता के ठोस परिणाम देखने में आये हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि :—

(1) गम्भीर रूप से कुपोषण के मामलों में पर्याप्त कमी हुई है।

(2) सर्वाधिक खतरासन्न आयु वर्ग अर्थात् 0-3 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभागियों की संख्या, पहले के किसी भी बाल कल्याण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या से अधिक है, पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों में लगभग 45% बच्चे 3 वर्ष से कम आयु के हैं।

(3) समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में रोग प्रतिरोधन सेवायें प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या गैर समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा काफी अधिक होती है, कभी-कभी तो यह संख्या 3-4 गुणी अधिक होती है।

(4) समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर और जन्म दर में कमी और अधिक संख्या में लोगों द्वारा परिवार नियोजन स्वीकारा जाना देखा गया है जैसा कि नीचे संक्षिप्त विवरण में दिया गया है :—

मद	समेकित बाल विकास सेवा क्षेत्रों के आंकड़े	राष्ट्रीय (एस० आर० एस०) आंकड़े
शिशु मृत्यु दर (1987)	82.6	95.0
जन्म दर (1981)	24.2	33.3
गर्भ धारण दर (1981)	1.8	2.8

(5) हृष्ट-पुष्ट शिशुओं का जन्म होने, रोग प्रतिरोधन द्वारा अपंगता की अधिकाधिक रोकथाम विटामिन ए की कमी और रक्तक्षीणता की रोकथाम जैसे अन्य अनुकूल परिणाम भी देखने में आये हैं।

राज्यवार साक्षरता-दर

417. **श्री मतिलाल हंसदा :**

डा० फूलरेणु गुहा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951, 1961, 1971 और वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता की दर क्या थी;

(ख) इस अवधि के दौरान महिलाओं में राज्यवार साक्षरता की दर क्या थी;

(ग) इसी अवधि के दौरान राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता कर दर पृथक-पृथक रूप से क्या थी; और

(घ) महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट कार्यक्रम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) 1951, 1961, 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार, सभी लोगों और महिलाओं की राज्यवार साक्षरता दरें दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) 1961, 1971 तथा 1981 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार साक्षरता-दरें दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता दरें उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए किए गए/किए जा रहे विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं :—

—प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम-से-कम 50% महिलाओं के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए

बड़ी संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षुओं को गतिशील बनाना, (अर्थात 50% प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र महिलाओं के लिए होने चाहिए);

—न्यूनतम अर्हताओं में छूट देकर अनुदेशकों, जन शिक्षण निलायमों के प्रेरकों जैसे बड़ी संख्या में प्रौढ़ शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति;

—ऐसे अनुदेशकों की सतत् शिक्षा के प्रबंध करना ताकि उन्हें अच्छे सक्षम शिक्षकों के रूप में सुविधा सम्पन्न बनाया जा सके;

—बड़ी संख्या में स्वैच्छिक एजेंसियों, विशेष रूप से वे जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, की सहभागिता;

—श्रमिक विद्यापीठों द्वारा महिला कार्यकर्ताओं पर अधिक ध्यान;

—महिला-समानता और उन्हें अधिकार प्रदान करने को प्रोन्नत करने वाले प्रभावी एजेंटों के रूप में महिला शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन और प्रशिक्षण;

— महिलाओं के लिए एक प्रौढ़ कार्यक्रम तैयार करना जिसे नवीन कौशलों, उनके मौजूदा कौशलों को स्तरोन्नत करने और नए आय बढ़ाने वाले कार्यकलापों के साथ जोड़ा जाएगा;

—साक्षरता कौशलों को धारण करने के लिए अवसरों का सृजन और प्रावधान तथा इस अध्ययन का उनकी जीवन-स्थितियां सुधारने के लिए प्रयोग;

—केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण बोर्डों की प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ सहभागिता;

—2 मार्च, 1989 से प्रसारित की जा रही "खिलती कलियां" शीर्षक वाली महिला-साक्षरता तथा अधिकार प्रदान करने से संबंधित 24 शृंखलाओं का निर्माण।

2. सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता की प्रोन्नति को प्राथमिकता प्रदान की है। इस संबंध में किए गए विशेष उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी है कि वे—

—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों वाले जिलों को शामिल करने को प्राथमिकता प्रदान करें;

—यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम सहभागिता क्रमशः 30% और 16% होनी चाहिए;

—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलें।

(ii) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के तहत विशिष्ट निधियां निर्धारित की जा रही हैं।

(iii) साक्षरता की प्रोन्नति का पता पांच राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन के रूप में लगाया गया है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 1995 तक 15-35 आयु-वर्ग के 8 करोड़ निरक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सभी व्यक्ति 1951	महिलाएं	सभी व्यक्ति 1961	महिलाएं	सभी व्यक्ति 1971	महिलाएं	सभी व्यक्ति 1981	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	भारत	15.83	7.63	24.02	12.95	29.45	18.69	36.23	24.82
1.	आंध्र प्रदेश	13.11	6.42	21.19	12.03	24.57	15.75	29.94	20.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	7.13	1.42	11.29	3.71	20.79	11.32
3.	असम	17.48	7.16	26.98	15.11	28.15	18.63	—	—
4.	बिहार	11.47	4.04	18.40	6.90	19.94	8.72	26.20	13.62
5.	गुजरात	—	—	30.45	19.10	35.79	24.75	43.70	32.30
6.	हरियाणा	—	—	19.93	9.21	26.89	14.89	36.14	22.27
7.	हिमाचल प्रदेश	4.86	2.04	21.26	9.49	31.96	20.23	42.48	31.46
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	11.03	4.26	18.58	9.28	26.67	15.88
9.	कर्नाटक	19.34	9.27	25.40	14.19	31.52	20.97	38.46	27.71
10.	केरल	40.38	31.22	46.85	38.90	60.42	54.31	70.42	65.73
11.	मध्य प्रदेश	9.50	3.09	17.13	6.73	22.14	10.92	27.87	15.53
12.	महाराष्ट्र	21.39	10.80	29.82	16.76	39.18	26.43	47.18	34.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मणिपुर	10.73	2.35	30.42	15.93	32.91	19.53	41.35	29.06
14.	मेघालय	14.29	10.26	26.92	21.15	19.49	24.56	34.08	30.08
15.	नागालैंड	8.98	4.55	17.91	11.34	27.40	18.65	42.57	33.89
16.	उड़ीसा	10.98	3.96	21.66	8.65	26.18	13.92	34.23	21.12
17.	पंजाब	13.66	7.21	26.74	17.41	33.67	25.90	40.86	33.69
18.	राजस्थान	7.18	2.56	15.21	5.84	19.07	8.46	24.38	11.42
19.	सिक्किम	6.59	1.22	12.33	4.26	17.74	8.90	34.05	22.20
20.	तमिलनाडु	20.88	10.19	31.41	18.17	39.46	26.86	46.76	34.99
21.	त्रिपुरा	13.18	4.71	20.24	10.19	30.98	21.19	42.12	32.00
22.	उत्तर प्रदेश	10.77	3.60	17.65	7.02	21.70	10.55	27.16	14.04
23.	पश्चिम बंगाल	21.54	11.11	29.28	16.98	33.20	22.42	40.94	30.25
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.93	11.41	33.63	19.37	43.59	31.11	51.56	42.14
25.	चंडीगढ़	—	—	51.06	42.00	61.56	54.35	64.79	59.31
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	9.48	4.05	14.97	7.84	26.67	16.78
27.	दिल्ली	30.19	23.42	52.79	42.55	57.61	47.75	61.54	53.07
28.	गोवा दमन और द्वीप	—	—	30.75	23.02	44.75	35.09	66.66	47.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	लक्षदीप	16.14	5.59	23.27	10.98	48.66	30.56	55.07	44.65
30.	मिजोरम	34.73	24.12	44.01	34.70	53.79	46.71	59.88	54.91
31.	पांडिचेरी	—	—	37.43	24.64	46.02	34.62	55.85	45.71

*1. 1951 की जनगणना में दादर व नगर हवेली, गोवा, दमन व दीव तथा पांडिचेरी को छोड़ दिया गया है, जो भारत में नहीं थे। इसी प्रकार इसमें जम्मू व काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों को छोड़ दिया गया है जहां 1951 में कोई जनगणना नहीं की गई थी।

2. 1951 की जनगणना के आंकड़े 10% नमूने पर आधारित हैं और इसमें 0—4 आयु-वर्ग शामिल है।

3. 1951 के महाराष्ट्र के आंकड़ों में गुजरात शामिल है। इसी प्रकार 1951 के पंजाब के आंकड़ों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ शामिल हैं।

@ 1981 के आंकड़ों में असम को छोड़ दिया गया है जहां 1981 की जनगणना के समय अशांत स्थिति के कारण जनगणना नहीं की जा सकी।

टिप्पणी

1. 1971 और 1981 के लिए साक्षरता दरों की गणना कुल जन जनसंख्या के आधार पर की गई है जिसमें 0—4 आयु-वर्ग शामिल है।
2. भारत तथा जम्मू और काश्मीर लिए 1971 तथा 1981 की गणना में पाकिस्तान तथा चीन के गैर-कानूनी कब्जे वाले क्षेत्रों की जनसंख्या को छोड़ दिया गया है जहां जनगणना नहीं की जा सकी।

विवरण-2

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1961		1971		1981	
		अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	10.27	8.53	14.67	11.30	21.38	16.35
1.	आंध्र प्रदेश	8.47	4.41	10.66	5.34	17.65	7.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	36.28	5.20	37.14	14.04
3.	असम	24.41	23.58	25.79	26.03	—	—
4.	बिहार	5.96	9.16	6.53	11.64	10.40	16.99
5.	गुजरात	22.46	11.69	27.74	14.12	39.79	21.14
6.	जम्मू और कश्मीर	4.72	—	11.97	—	22.44	—
7.	हरियाणा	—	—	12.60	—	20.15	—
8.	हिमाचल प्रदेश	8.46	8.63	18.82	15.89	31.50	25.93
9.	केरल	24.44	17.26	40.21	25.72	44.96	31.79
10.	कर्नाटक	9.06	8.15	13.89	14.85	20.59	20.14
11.	मध्य प्रदेश	12.89	5.10	12.49	7.42	18.97	10.68
12.	तमिलनाडु	14.66	5.91	21.82	9.02	29.67	20.46
13.	महाराष्ट्र	15.78	7.21	25.27	11.74	35.55	22.29
14.	उड़ीसा	11.57	7.36	15.61	9.46	22.41	13.96
15.	पंजाब	9.64	16.46	16.12	—	23.86	—
16.	राजस्थान	6.44	3.97	9.14	6.47	14.04	10.27
17.	उत्तर प्रदेश	7.14	—	10.20	14.59	14.96	20.45
18.	पश्चिम बंगाल	13.58	6.55	17.80	8 92	24.37	13.21
19.	मणिपुर	22.37	27.25	26.44	28.71	33.63	39.74
20.	मेघालय	—	—	20.38	26.45	25.78	31.55
21.	नागालैंड	25.40	14.76	—	24.01	—	40.32
22.	सिक्किम	—	—	17.42	—	28.06	33.13

1 2	3	4	5	6	7	8
23. त्रिपुरा	13.42	10.01	20.51	15.03	33.89	23.07
24. मिजोरम	—	—	—	—	84.44	59.63
संघ शासित क्षेत्र						
25. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	11.10	—	17.85	—	31.11
26. दिल्ली	20.86	—	28.15	—	39.30	—
27. दादरा और नगर हवेली	26.60	4.40	33.18	8.90	51.20	16.86
28. पांडिचेरी	11.11	—	18.70	—	32.36	—
29. चंडीगढ	—	—	24.38	—	37.07	—
30. गोवा, दमन और द्वीप	—	—	26.14	12.73	38.38	26.48
31. लक्षद्वीप	—	22.27	—	41.37	—	53.13
32. उत्तर पूर्वी फ्रन्टियर एजेंसी	—	20.09	—	—	—	—

* असम को छोड़कर जहां 1981 की जनगणना के समय अशांत स्थिति के कारण जनगणना नहीं की जा सकी।

1 पाकिस्तान और चीन के गैर-कानूनी कब्जे वाले क्षेत्रों के लोगों को छोड़कर जहां जनगणना नहीं की जा सकी।

मिजो जिला शामिल है जो अब एक राज्य बन गया है।

टिप्पणियां

1. भारत और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के ये आंकड़े उन द्वीप समूहों की जराचा और सेन्तीनल जनजातियों के आंकड़ों से अलग है।

   इन आदिवासियों से 1971 की जनगणना के दौरान संपर्क नहीं किया जा सका।

2. नागालैंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई जाति अधिसूचित नहीं की गई थी।

3. हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई जनजाति अधिसूचित नहीं की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में सुलभ शौचालयों का निर्माण

418. श्री टी० दास मौड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए वर्ष-वार कितनी राशि दी गई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया और ये किन-किन गांवों में बनाये गये;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री(श्री जनार्दन पुजारी) :(क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश को 1987-88 के दौरान 32.00 लाख रुपए और 1988-89 के दौरान 58.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरा 1058 गांवों में 27425 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया था।

(ग) और (घ) 1989-90 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 102.60 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में खेल-परिसर

419. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में खेल-परिसर स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस खेल-परिसर परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में खेल परिसर बनाने की योजना बना रहे हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेल परिसर की कुल लागत नहीं बताई गई है, उन्होंने कहा है कि यह एक दीर्घकालीन परियोजना है जो चरणों में शुरू की जायेगी और राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

तमिलनाडु में केन्द्रीय सड़क निधि परियोजना

420. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु को केन्द्रीय सड़क निधि में से वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से वर्ष 1989-90 के लिए धन मांगा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से तमिलनाडु को कोई भी राशि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि 1840.59 लाख रु० के लिए अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत के मुकाबले 1840.14 लाख रु० की सीमा तक धन पहले ही रिलीज किया जा चुका है।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यों को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है :—

(i) थान्जापुर-तिरूचि रेलवे लाइन के 355/12-13 कि० मी० पर थान्जापुर पर मौजूदा रेलवे ऊपरिपुल का पुनर्निर्माण। (150 लाख रु०)

(ii) कम्बम-कंम्बम मेटू (मदुराई जिले में) में सुधार (27.00 लाख रु०)

(iii) रा० रा० 45 में त्रिची बाइपास तक समानान्तर सर्विस रोड। (157.71 लाख रु०)

(iv) रा० रा०-7 पर सथूर बाइपास तक समानान्तर सर्विस रोड। (37.73 लाख रु०)

(v) रा० रा०-4 पर पूनामल्ली बाइपास तक समानान्तर सर्विस रोड। (82.03 लाख रु०)

(vi) रा० रा०-7 के 89/4 कि० मी० से 94/0 कि० मी० तक और ईस्टर्ली बाइपास सड़क के 0/4 कि० मी० से 2/722 कि० मी० तक के राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपासों पर समानान्तर सर्विस रोड। (88.14 लाख रु०)

(vii) रा० रा०-5 पर रैड हिल्स बाइपास तक समानान्तर सर्विस रोड। (31.34 लाख रु०)

चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

421. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ग्यारवीं और बारहवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के संबंध में कार्यान्वित करने की दिशा में आगे कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इनके वेतनमानों को कालेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों तक बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 2-3-88 और 12-5-88 को सभा पटल पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अभिगृहीत में संघ साशित प्रदेशों के स्कूलों और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों जैसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन इत्यादि के शिक्षकों के वेतनमान दिनांक 12-8-87 से संशोधित कर दिए गए थे। ये वेतनमान कक्षा XI और XII में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी लागू होते हैं। इन वेतनमानों में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त उन कालेज शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित किए जाते हैं जो डिग्री कक्षाओं और इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। अत: उन्हें वही वेतनमान, जो कालेज शिक्षकों के लिए लागू हैं, स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

हल्दिया पत्तन पर और अधिक माल गोदियों के निर्माण का अनुरोध

422. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह हल्दिया पत्तन पर माल की मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए वहां और अधिक माल-गोदियों का निर्माण करे जिससे वहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया डॉक में ड्रेजिंग संबंधी कतिपय समस्याओं की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। अतिरिक्त कार्गो बर्थों का कोई जिक्र नहीं किया गया था।

हल्दिया के केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन

423. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय, हल्दिया के लिए कोई स्थायी भवन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हल्दिया केन्द्रीय विद्यालय के लिए एक स्थायी भवन का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) हल्दिया स्थित केन्द्रीय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है, जिसे परियोजना क्षेत्र में खोला गया था, जिसके लिए भवन की व्यवस्था प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा की जानी है। ऐसी रिपोर्ट है कि अधिग्रहण के लिए भवन तैयार है।

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य उद्योग का विकास

424. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए उस राज्य को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश को तीन वर्षों के दौरान इस प्रायोजन हेतु आवंटित की गई धनराशि का वार्षिक ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आंध्र प्रदेश में मत्स्य उद्योग विकास के लिये भारत सरकार, निम्नलिखित केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है :—

(1) बड़े/छोटे पत्तनों, मछली अवतरण केन्द्रों और मत्स्य औद्योगिक संपदा का विकास ।

(2) खारे पानी में मछली (एक्वाकल्चर) का विकास ।

(3) सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना ।

(4) मछुवारों के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि ।

(5) पारस्परिक जलयानों का मोट रीकरण और तट पर उतरने वाले जलयानों के प्रचालन को शुरू करना ।

(6) मछली पालन (एक्वाकल्चर) का विकास । (मछुवारा विकास अभिकरण) ।

(7) डिम्पोना उत्पादन के लिये मूलभूत सुविधाओं का विकास ।

(ख) आंध्र प्रदेश में मत्स्य उद्योग के विकास के लिये पिछले तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्मुक्त की गयी धनराशि
1985-86	203.85
1986-87	139.09
1987-88	235.44

केरल में साक्षरता कार्यक्रम

425. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के कोट्टायम में साक्षरता अभियान की सफलता की जानकारी है जैसाकि 29 जून, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में खबर छपी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा अभियान राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था अथवा केन्द्र सरकार द्वारा;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोक साक्षर किए गए और उनकी साक्षरता की वर्तमान दर क्या है;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां ।

(ख) साक्षरता अभियान विश्वविद्यालय के रा० से० यो० यूनिट द्वारा शुरू किया गया था और इस मंत्रालय द्वारा कुल अनुदान 1,67,300 रुपए संस्वीकृत किया गया था ।

(ग) सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला कि निरीक्षर नागरिकों की संख्या लगभग 2200 थी जो साक्षरता अभियान में पूर्णत : शामिल किए गए थे ।

साक्षरता अभियान का उद्देश्य नौसिखियों को साधारण छोटे पत्रों को लिखने तथा पढ़ने और दो अंकों के सरल अंकगणित के अतिरिक्त व्यक्तियों के नाम और पते पढ़ने और लिखने के योग्य बनाना था ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे शुरूआत के तौर पर कुछ खण्डों में सम्पूर्ण निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करें । इनका उल्लेख नीचे किया गया है :

बिहार	(i) रा० का० सा० का०/रा० प्रौ० शि० का० के अन्तर्गत 70 खण्ड, और
	(ii) स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से 50 खण्ड ।
उत्तर प्रदेश	(i) उत्तराखण्ड के 8 जिले और
	(ii) रा० का० सा० का०/रा० प्रौ० शि० का० के अन्तर्गत 75 खण्ड ।
राजस्थान	(i) बीकानेर और सीकर जिले और
	(ii) 100% साक्षरता योजना के अंतर्गत 300 ग्राम ।
पश्चिम बंगाल	(i) कलकत्ता शहर और
	(ii) खण्डों की संख्या का 1/3
केरल	सम्पूर्ण राज्य
कर्नाटक	(i) मार्च, 1990 तक 20 तालुक
	(ii) फरवरी, 1991 तक 40 अतिरिक्त तालुक
महाराष्ट्र	(i) सिंधुदुर्ग और वर्धा जिले
	(ii) प्रति जिला 1 अतिरिक्त तालुक
उड़ीसा	(i) 1000 पंचायतें
गुजरात	सम्पूर्ण राज्य

केरल में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना

426. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार केरल में चावल का उत्पादन बढ़ाने की कोई कार्य-योजना, केन्द्रीय खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने केरल के तीन जिलों अर्थात एर्नाकुलम, त्रिचूर और पालघाट को विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-चावल के तहत शामिल करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) केरल को विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-चावल के तहत शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य का कोई भी जिला इस उद्देश्य के लिए स्थापित किये गए कृत्यक दल द्वारा निर्धारित किये गए मानदण्डों पर खरा नहीं उतर पाया।

उड़ीसा में पेय जल की कमी

427. **श्री हरिहर सोरन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्मियों के दिनों में उड़ीसा के कुछ भागों में, विशेषकर आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में, पेय जल की समस्या बड़ी गम्भीर हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना चला रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में प्रत्येक गांव में स्वच्छ पेय जल कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उड़ीसा के दूरदराज तथा आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई को तेज करने के लिए, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) तथा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत कोरापुट, फूलबनी के जिलों, गंजम के पांच खण्डों तथा मयूरभंज के आदिवासी जिले में तीन मिनी-मिशन परियोजना शुरू की गई है। इन जिलों के लिए 11.45 करोड़ रुपए की कुल लागत से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई हैं, जिसमें से अब तक 4.35 करोड़ रुपए की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है।

राज्य में अतिरिक्त लौह की समस्याओं से निपटने के लिए 1500 लौह दूर करने वाले संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। जल की बेहतर क्वालिटी प्राप्त करने के लिए, फूलबनी, मयूरभंज, गंजम, क्योंझर, कोरापुट तथा कालाहाण्डी जिलों में छह स्थिर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला और एक

मोबाइल जल जांच प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए 7.06 लाख रुपए की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात् 31-3-1990 तक राज्य में सभी समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के मनोविज्ञान संकाय का योगदान

428. **श्री जी० भूपति :**

श्री मानिक रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के मनोविज्ञान संकाय का वर्ष 1985 से प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का मनोविज्ञान संकाय ग्रामीण विकास के संदर्भ में मानवीय व्यवहार से संबंधित है। इस संकाय द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण इन क्षेत्रों की विशालता और प्रभाव के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में व्यवहारिक पद्धति को समझने से संबंधित है। यह विकास और प्रतिक्रिया पर मानवीय क्षेत्रों के प्रभाव पर विशेष अनुसंधान करता है। अनुसंधान और प्रशिक्षण विकास हेतु विधाओं के निर्धारण के लिए निर्देशित किए जाते हैं।

1985 से, मनोविज्ञान संकाय ने 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 प्रायोजित को सम्मिलित करते हुए) आयोजित किए हैं। और 10 अनुसंधान अध्ययनों (प्रायोजित को सम्मिलित करते हुए) को पूर्ण किया है। इस समय 7 अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर हैं, जिनमें से 3 प्रायोजित परियोजनाएं हैं।

अब यह आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के एक मंडल में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सामाजिक प्रयोगशाला/कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम की गतिविधियों का समन्वय कर रहा है।

यह दो कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाओं जैसे (क) समन्वित मूल आवश्यकता और परिस्थिति विज्ञान ओत से संबंधित ग्रामीण सामुदायिक के विकास में कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम और (ख) ऐशिया और प्रशान्त क्षेत्र हेतु समन्वित ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामुदायिक सूचना और योजना पद्धति का संचालन कर रही है।

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

429. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) :

(क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को बाराबंकी जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए किसी भी निर्धारित प्रायोजित एजेंसी से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

राज्यों को सूखा राहत सहायता

430. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान खरीफ की फसल को हुई क्षति के परिणामस्वरूप किन-किन राज्यों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को सहायता दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राजस्थान और उड़ीसा राज्यों ने खरीफ 1988-89 के दौरान सूखे की वजह से हुई क्षति की सूचना दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। मध्य प्रदेश के लिए 14.01 करोड़ रुपए और राजस्थान के लिए 15.05 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ताकि राज्य सरकारें सूखा राहत उपाय कर सकें। उड़ीसा सरकार से सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था।

खाद्यान्न उत्पादन

[अनुवाद]

431. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1988-89 के लिए निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) इस वर्ष का उत्पादन गत तीन वर्षों के उत्पादन की तुलना में कम है या अधिक ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1988-89 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 172 मिलियन मीटरी टन होने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले तीन वर्षों के उत्पादन से काफी अधिक है जैसा कि नीचे दिया गया है—

वर्ष	खाद्यान्नों का उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1988-89 (प्रत्याशित)	172.0
1987-88	138.4
1986-87	143.4
1985-86	150.4

कच्चे लोहे का आयात

[हिन्दी]

432. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोहे की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का कच्चे लोहे का आयात करने का विचार है;

(ख) यह आयात किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में किया जाएगा; और

(ग) उक्त आयात किन शर्तों पर किया जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां।

(ख) देश-वार आयात की मात्रा तथा देश, जिनसे आयात किया जाएगा वह प्रतियोगी मूल्यों पर गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्धता पर निर्भर करेगा। कच्चे लोहे का आयात सामान्यतया ब्राजील, चीन तथा पौलेण्ड से किया जाता है। तथापि, इस्पात निर्माण के लिए विद्युत चाप भट्टी की इकाइयों हेतु सोवियत रूस से दो लाख टन के मूल ग्रेड कच्चे लोहे का आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) जब कभी इस प्रकार के आयातों के संबंध में समझौता किया जाता है तथा उसे अन्तिम रूप दिया जाता है, तो आयात की शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा माध्यम अभिकरण, खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा की गई पेशकश की स्वीकार्यता पर निर्भर करेंगी।

आंवला उर्वरक संयंत्र

[अनुवाद]

433. श्री कृष्ण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली के निकट "इफको" के आंवला उर्वरक संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मूल अनुमानित लागत की तुलना में कितनी कार्यान्वयन लागत आई है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) संयंत्र, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 7.26 लाख टन यूरिया की है, को समयसूची के अनुसार चालू किया गया था और उसने 16 जुलाई, 1988 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया था। परियोजना की मूल अनुमानित अनुमोदित लागत 730 करोड़ रुपए थी जबकि उसे 665.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया गया।

उड़ीसा में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का रखरखाव

434. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इन स्थानों के संरक्षण और सुधार के लिए कोई विकास योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। इन स्मारकों की आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक अनुरक्षण और रखरखाव के अतिरिक्त उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की, प्रत्येक मामले में उसकी आवश्यकता के अनुसार वृक्षारोपण करके, क्षेत्रों को समतल करके, तार लगाकर/चार दीवारी करके इन क्षेत्रों के विकास सहित विशेष मरम्मत तथा वार्षिक मरम्मत और रखरखाव के अन्तर्गत संरक्षण कार्यों के जरिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देख-भाल की जाती है। इस समय चल रहे महत्वपूर्ण संरक्षण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

चालू कार्यों के ब्यौरे

(क) **जगन्नाथ मन्दिर, पुरी** : इस मंदिर और इससे सटे हुए उप मंदिरों के प्लास्टर उतारने के साथ-साथ इनका संरक्षण और परिरक्षण।

(ख) **सूर्य मंदिर, कोणार्क** : क्षतिग्रस्त अभिस्तान और जगमोहन के चारों ओर के चबूतरे की मरम्मत।

(ग) **लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर** : प्रांगण के क्षतिग्रस्त फर्श का जीर्णोद्धार तथा छोटे मंदिरों का संरक्षण।

(घ) **उदयगिरि खांडागिरि गुफाएं** : पोड़ियों का निर्माण, गुफा न० 9-10 के सामने गिरी हुई अहाता दीवार का पुनर्निर्माण, गुफा नं० 5 में पत्थरों का खड़ंजा बिछाना, विद्यमान फूली हुई धातु सुरक्षा-भित्तियों आदि की मरम्मत।

(ङ) **अशोक के शैल फरमान, धौली** : तार लगाना और तीन भाषाओं (हिन्दी, उड़िया और अंग्रेजी) में फरमान के अनुवाद का प्रदर्शन।

(च) **विष्णु मूर्ति, रासोल** : संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर तार लगाना, स्थल, उपगमन मार्ग में सुधार करना तथा रासायनिक सफाई आदि करना।

(छ) **भीमेश्वर महादेव मंदिर, बाजारकोट** : आस-पास के क्षेत्रों का सीमांकन और तार लगाना और उसे समतल बनाना।

(ज) **पाश्चिम सोमनाथ मंदिर परिसर, बौद्ध नगर** : स्मारक के चारों ओर के क्षेत्र को तार लगाना, विद्यमान चार दीवारी को रंग करना, मंदिर से संलग्न क्षतिग्रस्त रसोई की मरम्मत और जीर्णोद्धार, उग्रतारा आदि के फर्श का सुदृढ़ीकरण।

(झ) **नीला महादेव सिद्धेश्वर मंदिर, गंदाराधी** : संरक्षित क्षेत्र को तार लगाना, मंदिर की दीवारों के भागों की मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त हुई भोगशाला के स्थान पर भोगशाला का निर्माण करना, आदि।

(ञ) **अशोक शैल फरमान, जोगदा** : संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन और सीमा स्तम्भ-लगाना।

(ट) **पापानासी तालाब, भुवनेश्वर** : दक्षिणी दीवार के गिरे हुए भाग का जीर्णोद्धार तथा क्षेत्र को तार लगाना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रौद्योगिकी सहयोग

436. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग से कितने खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना की गई है;

(ख) किन-किन देशों ने प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जुलाई, 1988 से स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग प्राप्त प्रस्ताव

क्रम सं०	भारतीय फर्म का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम
1	2	3
1.	डी० सी० फूड लि०	कैंटाबर, ए० जी० स्विटजरलैंड
2.	एशिया आहार लि०	नेस्टक लि०, स्विटजरलैंड
3.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन	पेप्सिको इंक यू०एस० ए०

1	2	3
4.	उशाता-टे बायोटक इंडस्ट्री लि०	स्टारकोस गम्भ वेस्ट जर्मनी
5.	सनसिप लि०	स्विडिश नैच ए० बी० स्वीडन
6.	क्लीन फूड्स कारपोरेशन लि०,	स्विडिश नैच ए० बी०, स्वीडन
7.	एस० पी० आई० बे० रेजिज (प्रा०) लि०	बी० ए० एफ०- ए० जी- ए० जी०, वेस्ट जर्मनी
8.	जवारी एग्रो केमिकल लि०	पिल्सबरी क० यू० एस० ए०
9.	गोइट्ज (आई०) लि०,	अभी निर्धारित किया जाना है।
10.	रॉन् मैरिटाइम, कोचीन	नाना शिपिंग क० ग्रीस
11.	अटचया मैरिन लि०, कुड्डालौर	गोल्डन ईगल रिसोंसिस प्रा० लि० आस्ट्रेलिया
12.	ईस्ट कोस्ट मत्स्य उद्योग लि०, भुवनेश्वर	गोल्डन ईगल रिसोंसिस प्रा० लि आस्ट्रेलिया
13.	चोलामण्डल मैरिन एनसिलरि प्रा० लि०, मद्रास	पेरागान पैसिफिक ट्रेडिग कं० यू० एस० ए०
14.	गौतम कन्स्ट्रक्शन एण्ड फिशरीज प्रा० लि०, मद्रास	मरालबन एस० ए० डे० सी० वी० हुमबर्गो, मेक्सिको, डी० एफ०

बीजिंग में भारतीयों की जान-माल की क्षति

437. **श्री आर० एम० भोये :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजिंग से हाल ही में भारतीय छात्र, प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और भूतपूर्व भारतीय राजनयिक भारत लौट आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भारतीय स्वदेश लौट आये हैं और अभी भी कितने वहां रह रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में भारतीयों की जान-माल की क्षति के सम्बन्ध में कोई जानकारी लायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) बीजिंग में हाल ही में हुए प्रदर्शनों और मार्शल लॉ की घोषणा के बाद भारतीय राजदूतावास में कार्यरत कार्मिकों के आश्रित, भारतीय छात्र और अपने परिवार सहित एक अध्यापक, जो सरकारी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत चीन गये थे, और चीन की यात्रा पर गया भारतीय लेखकों का एक शिष्टमंडल भी भारत लौट आया है।

(ख) भारत लौटने वालों की कुल संख्या 95 थी। इस समय, बीजिंग में जो भारतीय रह रहे हैं उनमें मुख्यत: राजदूतावास में काम करने वाले कर्मचारी और कुछ ऐसे लोग हैं जो निजी रूप से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-रूस टीका परियोजना

438. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशुओं के लिए थोसारियासिस नामक टीके के उत्पादन के लिए भारत-रूस संयुक्त उपक्रम की स्थापना की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और टीके का उत्पादन कब तक शुरू होगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा बजट में कटौती

439. श्री भक्तम ओराम मूर्ति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब विश्व के 44 प्रतिशत निरक्षर व्यक्ति हमारे देश में रहते हैं;

(ख) वर्ष 1951, 1961 और 1971 में निरक्षरता की प्रतिशतता क्या-क्या थी;

(ग) क्या सरकार ने उस वर्ष शिक्षा के लिए आबंटन में कुल बजट परिव्यय की प्रतिशतता की दृष्टि से कटौती कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पो० शाहो) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में वर्ष 1951, 1961 और 1971 में निरक्षरों की अनुमानित संख्या क्रमशः 30.00 करोड़, 33.4 करोड़ और 38.7 करोड़ थी।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, संघ सरकार द्वारा शिक्षा पर कुल बजट आबंटन की प्रतिशतता में वृद्धि दर्शाई गई है जो नीचे दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है :—

वर्ष	केन्द्रीय सरकार शिक्षा पर बजट आबटन की प्रतिशतता
1984-85	1.6%
1985-86	1.7%
1986-87	1.8%
1987-88	2.2%

भारत-श्रीलंका समझौते का कार्यान्वयन

440. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका समझौते के अनुसार उत्तरी एवं पूर्वी प्रान्तों में सत्ता का हस्तान्तरण कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार समझौते को पूरी तरह से लागू करने कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत परिकल्पित सत्ता हस्तान्तरण पर तमिलों के महत्वपूर्ण हित के कई क्षेत्रों अथवा श्रीलंका सरकार के उत्तर-पूर्वी प्रान्त में संतोषजनक रूप से अमल नहीं हुआ है।

(ख) भारत सरकार श्रीलंका की सरकार से बराबर यह कहती रही है कि वह इस समझौते को शीघ्रतापूर्ण कार्यान्वित करें। हमने यह भी कहा है कि श्रीलंका के संविधान में तेरहवें संशोधन से तमिलों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है।

बराद्वार (मध्य प्रदेश) में डोलामाइट खानों को पुनः चालू किया जाना

[हिन्दी]

441. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत समय में मध्य प्रदेश के बराद्वार से निकाले गये डोलामाइट का राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रयोग में लाया जाता था;

(ख) इस्पात डोलामाइट खान, बारद्वार को पुनः चालू करने के लिये राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर० एस० पी०) बारद्वार की बन्द खानों को खोलने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। तथापि राउरकेला इस्पात सयंत्र के नियंत्रण से परे बहुत से कारणों से ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं। खानों को चलाने के लिये उपयुक्त पार्टी के चयन के लिए पूर्व में जो टेंडर मांगे गए थे, समझौता-वार्ता के बाद उनको रद्द कर देना पड़ा था क्योंकि उनमें से किसी भी पार्टी को निर्धारित विशेषज्ञताओं के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद नये टेंडर जारी किए जाने थे किन्तु न्यायलय के आदेश के कारण इस कारवाई को स्थगित कर दिया गया। निषेधादेश अब रद्द कर दिए गए हैं। प्राप्त बोलियों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है, जिसके बाद ही खानों को पुनः खोले जाने की सम्भावना है।

पुराने वाहनों से धुएं आदि की निकासी के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किया जाना

[अनुवाद]

442. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पुराने वाहनों को काम में न लाने सम्बन्धी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन वाहनों से धुएं की निकासी सम्बन्धी कोई मानक निर्धारित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मोटरयान अधिनियम, 1988, धारा 59 के तहत सरकार को विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों की आयु सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है लेकिन मोटर वाहनों की आयु सीमाएं निर्धारित करने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए निम्नलिखित धुआं उत्सर्जन मानक निर्धारित किया गया है :—

(क) पैट्रोल से चलने वाले सभी यान पहिए वाले यानों के लिए आइडलिंग सी० ओ० (कार्बन मोनोक्साइड) उत्सर्जन सीमा परिमाण के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) पैट्रोल से चलने वाले सभी दो और तीन पहिए वाले यानों के लिए आइडलिंग सी० ओ० उत्सर्जन सीमा परिमाण के अनुसार 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) डीजल से चलने वाले सभी यानों के लिए धूम्र घनत्व निम्न प्रकार होगा :—

परीक्षण पद्धति	हल्का अवशोषण गुणांक एम	अधिकतम धूम्र घनत्व	
		वॉश यूनिट	हार्टिज यूनिट
1	2	3	4
(क) विनिर्माता द्वारा घोषित अधिकतम इंजन रेट गति 60% से 70% की गति पर पूर्ण भार	3.1	5.2	75
(ख) मुक्त त्वरण	2.3	—	65

ये मानक 1-10-89 से लागू होंगे ।

व्यापक फसल बीमा योजना की समीक्षा

443. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री बीरेन्द्र सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने व्यापक फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिए गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना में किए सुधारों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह संशोधित योजना कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) खरीफ 1988 से बृहत फसल बीमा योजना में निम्नलिखित संशोधन किये थे :—

1. बीमित राशि प्रति किसान 10,000 रुपए तक सीमित होगी चाहें किसान ने कितना भी ऋण लिया हो ।

2. कुल बीमित राशि फसल ऋण के 100% तक सीमित होगी ।

इन परिवर्तनों के अतिरिक्त रबी 1988-89 से विभिन्न फसलों के लिए क्षतिपूर्ति का स्तर निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया था :—

श्रेणी	उपज में विभिन्नता	क्षतिपूर्ति
निम्न	15% तक	90%
मध्यम	16% से 30% तक	80%
उच्च	30% से अधिक	60%

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित मामले

444. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक विभिन्न अनिर्णित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों को सुलझाने के लिए नये सिरे से वार्ताएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये वार्ता किस तिथि और किस स्थान पर होगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान दोनों ही विभिन्न विपक्षीय मामलों को सुलझाने के लिए निरन्तर बातचीत करते हैं जिसमें भारत के विरुद्ध उग्रवादी गतिविधि में पाकिस्तान का हाथ उसके द्वारा चोरी-छिपे शस्त्रोन्मुखी नाभिकीय कार्यक्रम चलाने की कोशिश और उसके द्वारा अपनी उचित सुरक्षा आवश्यकताओं से कहीं अधिक अत्युन्नत हथियार लेने के मसले भी शामिल हैं।

खारा-पानी मत्स्य उद्योग विकास एजेंसियों का विकास

445. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितनी खारा-पानी मत्स्य उद्योग विकास एजेंसियां स्वीकृत की जायेंगी; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) "समेकित खारापानी मछली फार्म विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अब तक 10 खारापानी मछली पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं, जिनमें समुद्रवर्ती राज्य आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल किए गए हैं। चूंकि खारापानी मछली पालक विकास एजेंसियों की स्थापना का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, इसलिए 1989-90 के दौरान देश में स्वीकृत की जाने वाली खारापानी मछली पालक विकास एजेंसियों की संख्या राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

भारत उत्सव के लिए जापान को भेजी गई कला-वस्तुएं

446. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत उत्सव के तत्वावधान में जापान को कुल कितनी कला-वस्तुएं भेजी गई थीं;

(ख) उन कला-वस्तुओं की संख्या कितनी है जो क्षतिग्रस्त रूप में वापस लौटी हैं; और

(ग) क्या क्षतिग्रस्त कला-वस्तुएं समुचित भारतीय देख-रेख के बिना ही जापान के संग्रहालय अधिकारियों को सौंप दी गई थीं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) भारत उत्सव के तत्वावधान में कुल 503 कला-वस्तुएं जापान भेजी गई थीं।

(ख) 24 कला-वस्तुएं।

(ग) जी, नहीं।

पंजाब राज्य के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

447. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने 1988 में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए पंजाब के होशियारपुर जिले में बहुत से स्थानों का दौरान किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय दल द्वारा जिन स्थानों का दौरा किया गया उनका ब्यौरा क्या है तथा पंजाब के लिए मांगी गई केन्द्रीय सहायता और राज्य को वास्तव में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) एक केन्द्रीय दल ने 1988 के दौरान बाढ़ और भारी वर्षा से हुई हानि का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों अर्थात पटियाला, रोपड़, होशियारपुर, लुधियाना, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट और जलन्धर के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 857.94 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की थी। बाढ़ राहत के लिए 150.30 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय सीमा स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा बताए गए 31-3-1989 तक के व्यय के आधार पर 77.09 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है जिसमें मार्जिन धनराशि का केन्द्रीय हिस्सा शामिल है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति

448. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में परामर्श देने के लिए गठित की गई उच्च शक्ति समिति ने अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सुझाव केन्द्रीय विद्यालय संगठन की विभिन्न कर्मचारी एसोसियेशनों को भेज दिए गए हैं और क्या द्विपाक्षिक वार्ता के माध्यम से उनके विचार प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) क्या उपरोक्त सुझाव अब तक पूर्णरूपेण या आंशिक रूप में स्वीकृत कर लिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० साहो) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सुझावों का सारांश दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) नियमानुसार इन सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हिदायतें दे दी गयी हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर समिति के दृष्टिकोणों का सारांश

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन को छात्रों के कार्य निष्पादन की व्यापक सतत मूल्यांकन पद्धति को तैयार करना तथा उसे कार्यान्वित करना चाहिए तथा शैक्षिक सत्र 1989-90 से कक्षा I-VIII तक पूर्ण रूप से ग्रेडों को अपनाना चाहिए।

2. विद्यमान प्रयोगशालाओं के स्थान में, प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में विज्ञान किटें तथा रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा तैयार की गई उपकरण किटें प्रदान की जानी चाहिए तथा क्रियाकलाप कोण के जरिए मूलभूत सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा कक्षा I-VIII के छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार प्रयोग करने तथा माडल निर्मित करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहन करना चाहिए।

3. पुस्तकालय की पुस्तकों की सूचियां तैयार करते समय, स्कूल को स्थानीय रुचि की कुछ पुस्तकों का प्रबन्ध करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।

4. स्काउटिंग तथा गाइडिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा यथासंभव सीमा तक प्रत्येक स्कूल में सक्रियता से इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

5. सभी कक्षाओं में दाखिले के लिए मूलभूत मानदण्ड होना चाहिए अर्थात प्रति कक्षा में छात्रों की संख्या 35 होनी चाहिए। वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यह संख्या 40 अथवा 45 तक बढ़ाई जा सकती है।

6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन को और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तथा जिनमें विशिष्ट श्रेणियों में पदधारी पर लघु दंड देने के अधिकार शामिल हैं, प्रधानाचार्य को प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रत्यायोजन अधिकार तैयार करने चाहिए।

7. सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियम समय की परीक्षा रहे हैं और इस प्रकार उन्हें पूरी तरह त्याग देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन इन्हें तथा अन्य सरकारी नियमों को उपयुक्त संशोधनों को, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, निगमित करते हुए अपना सकता है और उसे अपनाना चाहिए।

8. शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए, जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बल दिया गया है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अपनी कामचलाऊ प्रशिक्षण विंग की अपेक्षा अधिक बेहतर सुविधा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शै० अ० प्र० परि० के

क्षेत्रीय कालेज के० वि० सं० के लगभग 25,000 शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता और क्षेत्रीय कालेजों की अपनी अन्य वचनबद्धताएं भी होती हैं।

9. के० वि० सं० को शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 5 संस्थान शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने चाहिए। वे जि० शि० प्र० सं० के ढांचे के अनुरूप हो सकते हैं लेकिन पूर्व-सेवा और गैर औपचारिक/प्रौढ़ शिक्षा विंग नहीं हैं।

10. क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यालय के प्रमुख का स्तर सहायक आयुक्त से उप-आयुक्त तक बढ़ाते हुए तथा सभी अधिकारियों का स्तर सहायक आयुक्तों तक बढ़ाते हुए अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

11. स्कूलों में लेखों की लेखा परीक्षा हर वर्ष एक सनदी लेखापाल के माध्यम से कराई जानी चाहिए।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के समुचित कार्याचालन हेतु सुविधाएं

449. **श्री मुहीराम सेकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने संघ को समुचित रूप से चलाने के लिए कई सुविधाओं की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पो० शाही) : (क) और (ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने निम्नलिखित सुविधाओं की मांग की है :—

(I) अपेक्षित फर्नीचर सहित कार्यालय के लिए स्थान।

(II) आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान।

(ग) जब केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने भवन में चला जाएगा, जो कि निर्माणाधीन है, तो संघ के कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा। तथापि, वैयक्तिक संघों के लिए अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

पत्तन और गोदी कर्मचारी संघों द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर

450. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पत्तन और गोदी कर्मचारी संघों ने सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटना में आधुनिक अन्तर्देशीय पत्तन

451. डा० सी० पी० ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में एक आधुनिक अन्तर्देशीय पत्तन की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विकास के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इलाहाबाद-हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भगीरथी-हुगली) के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु डच विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है। अध्ययन के क्षेत्र में अन्य कार्यों के साथ-साथ पटना में आधुनिक अन्तर्देशीय पत्तन सुविधाओं की व्यवहार्यता का अध्ययन भी शामिल है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निरक्षरता उन्मूलन

452. डा० ए० के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर निर्धारित क्षेत्रों में निरक्षरता का पूर्णतः उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित क्षेत्रों के नाम, पते और आबादी क्या-क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कार्य-योजना की रूपरेखा क्या है;

(घ) आज की तारीख तक प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में क्या अनुमानित व्यय आयेगा और संसाधन कहां से जुटाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15-35 आयु-वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राज्य सरकारों और क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाएं जिसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों को उत्तरोत्तर रूप में लेने से पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में निरक्षरता-उन्मूलन हो।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर इस मन्त्रालय ने तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे शुरू-शुरू में कुछ क्षेत्रों में पूर्ण-निरक्षरता-उन्मूलन के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करें, जैसाकि नीचे सुझाव दिया गया है :

बिहार : (i) आर० एफ० एल० पी०/एस० ए० ई० पी० के अन्तर्गत 70 खण्ड, और

(ii) स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से 50 खण्ड।

उत्तर प्रदेश : (i) उत्तराखण्ड के 8 जिले, और

(ii) आर० एफ० एल० पी०/एस० ए० ई० पी० के अन्तर्गत 75 खण्ड।

राजस्थान : (i) बीकानेर और सीकर जिले, और

(ii) 100% साक्षरता योजना के अन्तर्गत 300 गांव।

पश्चिम बंगाल : (i) कलकत्ता शहर, और

(ii) खण्डों की 1/3 संख्या

केरल सम्पूर्ण राज्य

कर्नाटक : (i) मार्च, 1990 तक 20 तालुक

(ii) फरवरी, 1991 तक 40 अतिरिक्त तालुक

महाराष्ट्र : (i) सिन्धुदुर्ग और वर्धा जिले

(ii) प्रति जिला अतिरिक्त तालुक

उड़ीसा : 1000 पंचायतें

गुजरात : सम्पूर्ण राज्य

चूंकि राज्य सरकारों को ही उपर्युक्त सुझाव पर विचार करना है और कार्रवाई योजना शुरू करने से पूर्व विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्णय लेना है, अतः इस स्तर पर न तो क्षेत्रों (जिनका अन्ततः राज्यों द्वारा पता लगाया जाना है) की जनसंख्या के बारे में सूचना संग्रह करना संभव है और न ही प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित व्यय का अनुमान लगाना। यह व्यय स्पष्टतया राज्यों तथा विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों (जिनकी संख्या 700 से अधिक है) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और वांछित सहभागिता तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण भिन्न-भिन्न होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दस्तावेज में 1987-90 के लिए वित्तीय आवश्यकताएं 550 करोड़ रुपये आंकी गयी हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के बाद दी जाती है परन्तु यह निर्धारित समय में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

453. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत वर्ष कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) महाराष्ट्र में चालू वर्ष के दौरान कुल कितने किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा और इन मार्गों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है जहां पर रेल लाइन नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा और इनका निर्माण कार्य पूरा करने सम्बन्धी लक्ष्य क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों को स्तरोन्नत करना एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नए निर्माण कार्य में रिएलाइनमेंट्स, बाई पासेस, डाइवर्शन्स और मिसिंग लिंक्स शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में इस श्रेणी में पूरा किया गया निर्माण कार्य चल रहे थे।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक 4 कि० मी० पर काम पूरा हो चुका है। अन्य 48 कि० मी० पर काम चल रहा है।

(ग) चल रहे 48 कि० मी० में से लगभग 14 कि० मी० पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काम पूरा हो जाने की सम्भावना है अर्थात थाने-भिवन्डी डाइवर्शन पर 9 कि० मी० और पुणे-वेस्टर्ली डाइवर्शन पर 5 कि० मी०।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मानदण्ड अलग है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद से जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या

454. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1989 से 30 जून, 1989 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद से कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक महीने कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने पासपोर्ट जारी किए गए, कितने अस्वीकृत किए गए और इस समय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(घ) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद कम्प्यूटरीकृत है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा;

(ङ) क्या गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, कच्छ अथवा सौराष्ट्र क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर पासपोर्ट उप-कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जनवरी से जून, 1989 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद द्वारा 52,049 पासपोर्ट जारी किए गए।

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक माह में पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

जनवरी	—11180
फरवरी	—5000
मार्च	—10580
अप्रैल	—9030
मई	—7370
जून	—8215
कुल	51375

(ग) जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 52049 है। आवेदकों के दो पासपोर्ट अस्वीकार कर दिए गए और 30 जून, 1989 तक 13745 मामले इसलिए विचाराधीन थे कि तब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं पाई थी।

(घ) पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद में अभी कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है। इस कार्यालय में कम्प्यूटर लगाने के लिए कदम उठाये गये हैं। स्थल तैयारी पहले ही पूर्ण कर ली गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) गुजरात राज्य द्वारा अब तक जारी किये गये कुल पासपोर्टों की संख्या को देखते हुए गुजरात में अन्य पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

खनन अभियन्ता

455. **श्री विष्णु मोदी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनन अभियन्ताओं की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(ग) इस समय खनन इंजीनियरों में प्रशिक्षण देने वाले कितने संस्थान/महाविद्यालय हैं;

(घ) क्या खनन इंजीनियरी प्रशिक्षण हेतु और संस्थान/महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई व्यापार संधि के सम्बन्ध में नेपाल का प्रस्ताव

456. **डा० इला सामन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1989 में समाप्त हुई संधि के स्थान पर नई व्यापार संधि करने के संबंध में नेपाल के प्रारूप प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विषयों पर दोनों सरकारों के अधिकारियों की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) प्रारूप संधि के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) नई व्यापार संधि का नेपाल का प्रारूप "अति अनुकूल राष्ट्र" आधार के बहुत करीब है किन्तु इसमें सीमावर्ती व्यापार और प्राथमिक उत्पादों के व्यापार के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

(ख) एक।

(ग) भारत सरकार व्यापार और पारगमन के सम्बन्ध मे नेपाल के साथ एक एकीकृत संधि चाहती है। व्यापार संधि का जो मसौदा नेपाल ने तैयार करके दिया है, खुद उसमें असंगति नजर आती है। क्योंकि एक ओर तो उसमें दुर्लभ मुद्रा में "अति अनुकूल राष्ट्र" के आधार पर व्यापार की बात की गई है और दूसरी ओर रुपये के आधार पर सीमावर्ती व्यापार के लिए विशेष व्यवस्था की बात कही गई है।

हज शिष्टमण्डल में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए योग्यतायें

457. **श्री अजीज कुरैशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज शिष्टमण्डल में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यतायें क्या हैं;

(ख) क्या उन्हें शिष्टमण्डल में शामिल किए जाने के लिए कोई शैक्षिक अथवा अरब/मध्य-पूर्व के मामलों में रुचि अथवा इस क्षेत्र में विभिन्न लोगों द्वारा किये गये किसी अन्य शैक्षिक एवं सांस्कृतिक योगदान जैसे अन्य योग्यताओं पर विचार किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) हज सद्भावना शिष्टमण्डल में शामिल होने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। तथापि, सरकार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त और अपने हज-यात्रियों के कल्याण में सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रख्यात मुसलमानों को सदस्य के रूप में चुनती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्याज के मूल्यों में गिरावट

458. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज के मूल्यों में इतनी अधिक गिरावट आयी है कि देश के कुछ भागों में किसानों को अपनी उपज को फेंकने पर मजबूर होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्याज की खरीद हेतु राज्य सरकारों को राज-सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष राज्य सरकारों को अब तक कुल कितनी राजसहायता दी गई है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्याज की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) इस वर्ष के दौरान मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत प्याज की खरीद के

प्रस्ताव केवल महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सरकारों से ही मिले थे। इस योजना के अंतर्गत खरीद कार्य में होने वाली हानि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन की जाती है। भारत सरकार की केन्द्रीय मुख्य एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने महाराष्ट्र में 30,650 मीटरी टन तथा गुजरात में 4,078 मीटरी टन प्याज की खरीद की है।

(घ) नेफेड ने केन्द्रीय सरकार की एक माध्यम-एजेन्सी के रूप में 1 अप्रैल, 1989 से 30 जून, 1989 तक 79,370 मीटरी टन प्याज का निर्यात किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पूरे राष्ट्र के लिए एक पाठ्यक्रम का विकास

459. **श्री सी० गंगा रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पूरे देश के स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के लिए कोई एक ऐसा पाठ्यक्रम विकसित किया है जिसमें ऐसी शिक्षायें शामिल हों जिनसे विद्यार्थियों में "भारतीय होने" का अनुभव करने की भावना पैदा हो जाए;

(ख) यदि हां, तो इन समान पाठ्यक्रम अवयवों तथा पाठ्यक्रम दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों से यह कहा गया है कि वे स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम, दिशा निर्देश, पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा के प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तरों के लिए पाठ्यचर्या के सामान्य कोर घटकों में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए अनिवार्य विषय-वस्तु भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, प्रजातन्त्र, धर्म-निरपेक्षवाद, स्त्री-पुरुषों की समानता, वातावरण का संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को हटाना, छोटे परिवार के मानदंडों का अनुपालन करना और वैज्ञानिक भावना उत्पन्न करना शामिल है।

पाठ्यचर्या—कार्य ढांचे में उपर्युक्त उल्लिखित सामान्य कोर घटकों के अलावा निम्नलिखित बुनियादी विशेषतायें सम्मिलित हैं :

(i) विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास पर बल।

(ii) शिक्षा के प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर सभी साझकरों के लिए सामान्य शिक्षा का एक व्यापक आधार।

(iii) शिक्षा के प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अध्ययन की एक सामान्य योजना।

(iv) स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अध्ययन निष्कर्षों को परिभाषित करने पर बल।

(v) विषय-वस्तु/घटकों के चयन और अध्ययन अनुभवों को लचीला बनाने का प्रावधान।

(vi) पाठ्यचर्या के आदान-प्रदान के लिए शिक्षु केन्द्रित और कार्यकलाप आधारित पद्धति को अपनाने पर बल।

(vii) परीक्षा-प्रणाली को पुनर्व्यवस्थित करना और सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को लागू करना।

(viii) सभी अध्ययनकर्त्ताओं को उनके अध्ययन पद्धतियों/माध्यमों से संबंधित पाठ्यचर्या की उपलब्धता को लागू करना।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से सम्बन्धित प्रारूप पर आधारित पाठ्यचर्या दिशा-निर्देश और स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य-पुस्तकों सहित अनुदेशीय पैकेज विकसित किये हैं। ये उन राज्य/संघ क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गये हैं जिनसे इन सामग्रियों का प्रयोग करने और अपनी पाठ्यचर्या/पाठ्य-पुस्तकों को संशोधित करने का आग्रह किया गया है।

(घ) अधिकांश राज्यों/संघ क्षेत्रों ने पाठ्यचर्या को प्रारम्भ करने और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के प्रारूप पर आधारित पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकों के विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यचर्या और पाठ्य-पुस्तकों के विकास की दिशा में कार्रवाई शुरू की है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विकसित संशोधित शैक्षणिक सामग्रियों को एक चरणबद्ध तरीके से स्कूल प्रणाली में लागू किया जा रहा है।

कोचीन शिपयार्ड की प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन

460. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान कोचीन शिपयार्ड की प्रबंध व्यवस्था में काफी परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच

461. **हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस वर्ष दिल्ली में सरकारी स्कूलों और आल इंडिया सेन्ट्रल बोर्ड के अधीन चल रहे स्कूलों के दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराने सम्बन्धी कितने-कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थियों, जो फेल/कम्पार्टमेंट प्राप्त थे, को पुनः जांच की वजह से अच्छे नम्बरों से पास घोषित किया गया;

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण के क्या कारण हैं और इसके कार्यकरण को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उन प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच स्वतः कराने का प्रस्ताव है जिनमें विद्यार्थी फेल हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) दिनांक 12-7-89 की यथास्थिति के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अखिल भारतीय तथा दिल्ली परीक्षाओं के लिए पुनर्जांच करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित थी :—

1. दिल्ली माध्यमिक (कक्षा—X)	418
2. अखिल भारतीय माध्यमिक (कक्षा—X)	1380
3. दिल्ली सीनियर (कक्षा—XII)	1478
4. अखिल भारतीय सीनियर (कक्षा—XII)	3895

(ख) जिन छात्रों ने परीक्षा दी, अनुतीर्ण हुए और कम्पार्टमेंट में रखे गए, उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बोर्ड के कार्यकरण में कोई त्रुटि नहीं है।

(घ) और (ङ) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्जांच की स्वीकृति देता है।

विवरण

परीक्षा में बैठने वाले अनुतीर्ण, कम्पार्टमेंट में रखे गए छात्रों की संख्या

भाग लेने वाले छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	कम्पार्टमेंट	उत्तीर्ण प्रतिशतता
अखिल भारतीय सीनियर 63300	53344	5081	4554	84.2
दिल्ली सीनियर 49131	39922	3600	5303	81.2
अखिल भारतीय सैकेन्डरी 112018	95817	8666	7265	85.5
दिल्ली सैकेन्डरी 88592	48101	23737	16235	55.2

जहां तक अच्छे छात्र का सम्बन्ध है बोर्ड ने ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले 1/8 उम्मीदवारों को ए 1 ग्रेड दिया जाता है।

[आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई परिसम्पत्तियां

462. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितनी सामुदायिक परिसम्पत्तियों की स्थापना की गई;

(ख) 31 मार्च, 1989 को निर्माणाधीन कार्यों की संख्या कितनी थी; और

(ग) इन अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग

463. डा० फूलरेणु गुहा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	सम्बद्ध महत्वपूर्ण स्थान
2	आसन्नसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, बरदवान, कलकत्ता
6	कलकत्ता, खड़गपुर
31	दार्लखोला, सिल्लीगुड़ी, दालगांव, फलोकटा, पटलाखोवा, कूच बिहार ।
31 क	सेवोक, तीस्ता बाजार ।
31 ब	गलगलिया, बागडोगरा, चालसा, गेयरकाटा ।
32	पुरुलिया
34	कलकत्ता, बारासन्त, शान्तिपुर, बरहामपुर, मालदा, गजौल, रायगंज, दालखोला ।
35	बारासन्त, बोनगांव
41	कोलाघाट, काथासरिया, हल्दिया ।

गोवा में महिलाओं के लिए "शार्ट-स्टे होम" योजना का कार्यान्वयन

464. श्री शांताराम नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में महिलाओं और लड़कियों के लिए "शार्ट-स्टे होम" योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो गोवा में इस योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1978-79 से एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया गोवा चांच द्वारा तलेयगोवा, गोवा में एक गृह चलाया जा रहा है। संस्थान द्वारा अब तक 425 महिलाओं/बच्चों को पुनर्वासित किया गया है। गृह के रख-रखाव के लिए अब तक 11 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है।

बीज प्रमाणीकरण मानक

465. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों, अनाजों, तिलहनों और सब्जियों की विभिन्न फसलों के बीजों के न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक क्या है;

(ख) क्या प्रमाणीकृत बीजों में निर्धारित प्रतिशत के अंकुरण न होने अथवा अन्य न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक पूरे न होने की स्थिति में किसानों के लिए कोई तृतीय पक्षकार गारंटी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) अनाजों, दालों, तिलहनों और सब्जियों की फसलों सहित विभिन्न फसलों की अधिसूचित किस्मों के लिये न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक निर्दिष्ट किए गए हैं। भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 1988 नामक पुस्तिका में मानकों का ब्यौरा प्रकाशित किया जाता है।

(ख) से (घ) कोई तृतीय पार्टी गारंटी नहीं है। प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है। प्रमाणित बीज के प्रत्येक डिब्बे आदि पर मार्किंग/लिबल लगाना अनिवार्य है, जिसका निर्धारण बीज अधिनियम, 1966 में दिया गया है। टैग/लेबल पर उल्लिखित मानकों के वैध अवधि के अन्दर सही होने के जिम्मेवारी उस व्यक्ति की है, जिसका नाम प्रमाणित बीज के डिब्बे आदि पर लगे लेबल पर उल्लिखित हो। यदि कोई व्यक्ति बीज अधिनियम, 1966 के किसी प्रावधान या उसके अधीन बने किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसका दोष सिद्ध हो जाने पर उसे निम्न-लिखित दण्ड दिया जा सकता है :—

(I) पहले अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक का जुर्माना, और

(II) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले कभी दोषी पाया जा चुका हो तो उसे 6 मास तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या ये दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

केरल में साक्षरता कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

466. **प्रो० के० वी० थामस** :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए केरल से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) केरल को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) किन जिलों में यह कार्यक्रम चलाने जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी हां।

(ख), (घ) और (ङ) प्रस्ताव का उद्देश्य 1991 तक केरल के सभी 14 जिलों में प्रौढ़ निरक्षरता (15.45 आयु वर्ग) का उन्मूलन करना है और इसका 40 परियोजना क्षेत्रों में प्रसार करने का प्रस्ताव है।

(ग) अन्तिम निर्णय के लिए जांच हेतु प्रस्ताव को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जा रहा है।

आपरेशन फ्लड-तीन

[हिन्दी]

467. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या कृषि मंत्री आपरेशन फ्लड के बारे में 6 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को बिहार डेरी फेडरेशन से आपरेशन फ्लड-तीन के अन्तर्गत सहरसा (बिहार) को शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सहरसा में आपरेशन फ्लड कब से आरम्भ हो जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) बिहार डेयरी संघ ने एक निश्चयार्थक राज्य योजना प्रस्तुत की है जिसमें आपरेशन-फ्लड-III के अन्तर्गत सहरसा जिले के लिये प्रस्ताव भी शामिल है। विश्व बैंक/यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए करार के अनुसार आपरेशन-फ्लड-III में दुग्धशाला संघों की वित्तीय व्यावहारिकता की गहराई से की गई समीक्षा के आधार पर धन लगाया जायेगा। राज्य सरकार ने सहरसा के लिए धन लगाने का कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजा है।

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

468. **श्री राम भगत पासवान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं और इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय कितने-कितने हैं और कुल जनसंख्या की तुलना में इनकी प्रतिशतता क्या है; और

(घ) बिहार में ऐसे कितने नए विद्यालय खोलने की मांग की गई है तथा इस मांग को कहां तक पूरा किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को बिहार राज्य में निम्नलिखित केन्द्रों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(i) झाझा

(ii) बर्काकिना

(iii) पतौरी (शाहपुर) जिला समस्तीपुर

(iv) दरभंगा

(v) सी० आर० पी० एफ० रांची

(vi) हरनाबोगन

अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

1. इस समय बिहार राज्य में 52 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं ।

2. केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां पर कम से कम 1000 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रह रहे हों और जब उस खोले जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय में शुरू-शुरू में दाखिला लेने के लिए विभिन्न कक्षाओं में कम से कम 200 बच्चे (बड़े नगरों के मामले में 500 बच्चे) दाखिला लेने के इच्छुक हों । केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव मंत्रालयों अथवा भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, पात्र वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के संगठन जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हों, प्रायोजित किया जाना चाहिए ।

(क) मुफ्त अथवा सामान्य लागत पर 15 एकड़ भूमि

(ख) जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने स्थान का निर्माण नहीं कर लेता तब तक केन्द्रीय विद्यालय चलाने के लिए अस्थाई स्थान ।

(ग) कम से कम 50% कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थान की व्यवस्था करना जहां वैकल्पिक स्कूल से उचित दूरी के अन्दर उपलब्ध न हो ।

3. इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों अथवा उच्च शिक्षण की संस्थाओं, यदि कोई हों, में परियोजना क्षेत्र में खोले जाते हैं, यदि

(i) पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध हों;

(ii) उपर्युक्त बताए गए मानदंड के अनुसार अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हों; और

(iii) उपक्रम/संस्था केन्द्रीय विद्यालय पर होने वाले सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत हो।

4. केन्द्रीय विद्यालय चूंकि केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिविल तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में प्रयोजित प्राधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्र में खोले जाते हैं अत: ये स्कूल भौगोलिक विचारधाराओं पर नहीं खोले जाते अत: केन्द्रीय विद्यालय संगठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों के स्थान संबंधी सूचना अवश्य रखता है।

नये क्षेत्रों में नारियल की खेती

[अनुवाद]

469. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के नये क्षेत्रों में नारियल की खेती को प्रोत्साहन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों/राज्यों को चुना गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) नारियल की खेती के विकास के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर और गुजरात को नए क्षेत्रों के रूप में चुना गया है।

भारतीय नौवहन निगम के समक्ष नये जहाजों की सुपुर्दगी के लम्बित प्रस्ताव

470. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री भारतीय नौवहन निगम के समक्ष नये जहाजों की सुपुर्दगी के लम्बित प्रस्ताव के बारे में 20 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के समक्ष नये जहाजों की सुपुर्दगी के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े थे और प्रस्ताव भेजने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अपनी कार्यचालन सम्बन्धी क्षतियों को कम करने के लिए बहुउद्देशीय पोत अर्जित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जहाजों की सुपुर्दगी के लिए भारतीय नौवहन निगम को निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

प्रत्येक 15000 डी डब्ल्यू टी के	(1) देवू कारपोरेशन, कोरिया।
छ: प्रोडक्ट टैंकरों की खरीद	(2) यूगो-इन्ट्रं को, यूगोस्लाविया।
प्रत्येक 1450 टी० ई० यू० क्षमता	(1) देवू कारपोरेशन, कोरिया।
के तीन ग्लस ओप्शन वन प्लस वन	(2) हुंडाई हैवी इन्डस्ट्रीज, कोरिया।

सैल्यूलर जहाज की खरीद

(3) यूगो-इन्ट्रैको, यूगोस्लाविया।

(4) थाइसन, पश्चिम जर्मनी।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन निगम के पास बड़ी संख्या में बहुद्देशीय जहाज हैं जो कंटेनर और सामान्य कार्यों की ढुलाई करने में सक्षम हैं।

सरकार द्वारा पाली भाषा के विद्वानों को सम्मान एवं पुरस्कार दिया जाना

471. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिये जाने वाले सम्मान एवं पुरस्कार के मामले में संस्कृत के विद्वानों के साथ-साथ पाली भाषा और साहित्य के विद्वानों को शामिल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो किस सम्भावित तिथि तक निर्णय लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) इस योजना के अन्तर्गत, पाली भाषा और साहित्य के अध्येताओं को वार्षिक मान्यता और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान करने के लिए उन्हें संस्कृत अध्येताओं के साथ पहले से ही शामिल कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुदूर-पूर्व एशियाई देशों के बारे में अध्ययन को प्रोत्साहन

472. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार सुदूर-पूर्व एशियाई देशों (चीन, जापान, दोनों कोरिया) की भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार किन-किन विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन संस्थाओं में इनके अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इस बारे में आठवीं योजना के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां इस तरह के अध्ययन आरम्भ किए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व के विभिन्न देशों और क्षेत्रों के इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल, संस्कृति, भाषा इत्यादि से सम्बन्धित क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम को प्रोन्नत करने

के लिए कुछेक चुनिन्दा विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। आयोग इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी और जापानी क्षेत्र अध्ययन केन्द्र को सहायता दे रहा है।

(ग) आयोग के पास इस समय दूरस्थ एशियाई देशों का क्षेत्र अध्ययन शुरू करने के लिए और अधिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशी भाषाओं का शिक्षण बन्द करने के सम्बन्ध में ज्ञापन

473. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के जिन 18 स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं उनके प्रधानाचार्यों ने उनके मंत्रालय और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, शैक्षिक वर्ष 1989 में विदेशी भाषाओं का शिक्षण बन्द करने सम्बन्धी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्णय बोर्ड के विरोध में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो आवश्यक कार्यवाही कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) रिकार्ड के अनुसार, न तो मंत्रालय में और न ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना

474. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तेलीचेरी और बडागरा में नए केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं अथवा खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना का कार्य किस सीमा तक पूरा हुआ है;

(घ) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केरल राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(i) पालायड (जिला कन्नानोर)

(ii) कोट्टायम

(iii) त्रिचुर

इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

नौका दौड़ को प्रोत्साहन

475. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नौका दौड़ खेल को विकसित करने का विचार है;

(ख) क्या केरल की नौका दौड़ स्तर की अन्य राज्यों/देशों की नौका दौड़ के स्तर के साथ तुलना करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) क्या नौका दौड़ खेल को प्रोत्साहन देने के लिए केरल को कोई सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस समय क्याकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे उन जलीय खेलों के विकास पर बल दिया जा रहा है जिन्हें एशियाई या ओलम्पिक खेलों में शामिल किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) (i) कोचीन में 17-9-89 को हुई प्रथम इन्दिरा गांधी मेमोरियल नौका दौड़ आयोजित करने के लिए इन्दिरा गांधी मेमोरियल नौका दौड़ सोसायटी तथा (ii) बैंकाक में 1988 और 1989 में थाईलैंड अन्तर्राष्ट्रीय स्वान नौका दौड़ में भाग लेने के लिए केरल नौका दौड़ा और एमैच्योर रोइंग एसोसिएशन को सहायता दी गई है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

476. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण किए जाने के सम्बन्ध में कठोर शर्तें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त मंत्रालय द्वारा रखी गई सभी शर्तों को पूरा करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी० एस० पी०) के आधुनिकीकरण के संबंध में दिनांक 9-5-89

को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देते समय कुछ शर्तें/प्रतिबंध लगाए हैं। इन शर्तों/प्रतिबन्धों में ये शामिल हैं, वायु गुणवत्ता का प्रबोधन, श्रमिक बस्तियों में स्वच्छता के साथ-साथ आदान-सामग्री की गुणवत्ता, हरित पट्टी का प्रावधान, छोड़े गए निरर्थक द्रवों का नियंत्रण, निकलने वाले उत्सर्जकों तथा ठोस छीजनों एवं बहार जाने वाले द्रवों का सही व्ययन और इन प्रयोजनों के लिए धन की व्यवस्था।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड/दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों कार्यान्वियन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से इन प्रतिबन्धों/शर्तों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ आगे बातचीत की जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में छात्रों का दाखिला

[हिन्दी]

477. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में चालू शैक्षिक सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले हेतु कितने छात्रों ने आवेदन किया था;

(ख) इनमें से कितने छात्रों को प्रवेश मिला;

(ग) कितने छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया; और

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि छात्रों को अगले वर्ष दाखिले के लिए कोई कठिनाई न हो और इस संबंध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पो० शाही) : (क) से (घ) छात्र सामान्यतया एक से अधिक पाठ्यक्रमों तथा एक से अधिक कालेजों में साथ-साथ आवेदन करते हैं। क्योंकि चालू शैक्षिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया अभी चालू है, अत: प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों तथा प्रवेश न पा सकने वाले छात्रों की ठीक-ठीक संख्या नहीं बताई जा सकती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि 51,679 छात्र जिन्होंने 1989 में दिल्ली से वरिष्ठ माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा (कक्षा-XII) 40 प्रतिशत या अधिक से पास करने वाले छात्र विभिन्न स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य हैं। इसकी तुलना में नान-कालिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड तथा पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा स्कूल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की 54,586 प्रवेश क्षमता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1989-90 के शैक्षिक सत्र से 500 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले दिल्ली के कालेजों में विभिन्न नए पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। 1987-88 के दौरान, दिल्ली प्रशासन ने दाखिलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तीन नए कालेज स्थापित किए। इसके साथ ही दिल्ली प्रशासन का चालू शैक्षिक सत्र से महिलाओं के लिए प्रायोगिक विज्ञान का एक कालेज शुरू करने का प्रस्ताव है।

दाखिलों के सम्बन्ध में स्थिति की दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की

जाती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्र सरकार के सहयोग से समस्याओं के समाधान के लिए इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान

478. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था;

(ख) इसकी स्थापना के पश्चात से अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(ग) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1984 में निम्नलिखित उद्देश्य से की गई थी :

(i) आदि प्ररूप उत्पादनों को उत्पादित करना तथा उनका मूल्यांकन करना जिनका उपयोग राष्ट्रीय उपग्रह वितरण के लिए और राज्य उत्पादन केन्द्रों के रूप में किया जाएगा।

(ii) उपग्रह प्रसारणों के लिए शिक्षक और शिक्षु सहयोग सामग्री तैयार करना।

(iii) बहुमाध्यम सामग्री का उपयोग करने के प्रभावी तरीकों में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों के पूर्व सेवा प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना और उन्हें प्रदान करना।

(iv) मूल उद्देश्यों के रूप में वांछित लक्ष्य श्रोताओं से सम्बन्धित बहु-माध्यम कार्यक्रमों के दूरदर्शन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर उपयोग करने के वास्ते उपयुक्त मूल्यांकन नीतियां तैयार करना।

(v) उपयोगिता-पद्धतियों का निरीक्षण करने के लिए कार्यविधियां तैयार करना और शिक्षकों, अनुदेशकों तथा उत्पादन केन्द्रों से सम्बन्धित अध्ययन वर्गों से सतत आधार पर सहायता स्पष्ट करना।

(vi) राज्य शैक्षणिक कक्षों अथवा राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के चालू कार्यक्रमों को सहयोग देना और उन्हें प्रदान करना।

(vii) देश में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

(viii) विशिष्ट लक्ष्य वर्गों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षण अध्ययन सामग्री तैयार करना।

(ख) केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान पर इनकी स्थापना के समय से अब तक खर्च की गई कुल राशि लगभग 22.10 करोड़ रुपये है ।

(ग) केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर 1 अप्रैल, 1988 से ई० टी० वी० प्रसारण के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व की कल्पना की है जिसकी अब तक दूरदर्शन के साथ 50:50 के आधार पर भागेदारी की जा रही थी । केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने अब तक लगभग 15-20 मिनट की अवधि के 418 कार्यक्रम तैयार किए हैं । इसके अतिरिक्त, 744 भाषा डब किए गए रूपांतरण तैयार किए गए हैं और 459 कैपसूल 1986-89 के दौरान स्कूल शिक्षकों के व्यापक अनुस्थापन के लिए तैयार किए गए हैं । 1987 में, एक केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यक्रम ने टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक फिल्म तथा दूरदर्शन प्रतियोगिता में जापान विशेष पुरस्कार जीता । लगभग 30 देशांतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण, संचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध में आयोजित किए गए हैं और 600 केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है । के० शै० प्रौ० सं० ने रा० शै० प्रौ० स० स्टूडियो भवनों के निर्माण का समन्वय किया है और उपस्कर की आपूर्ति और उन्हें स्थापित करने का निरीक्षण किया है । 910 रेडियो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और एक श्रव्य-टेप पुस्तकालय विकसित किया गया है । के० शै० प्रौ० सं० प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर शैक्षणिक फिल्मों, फिल्म पट्टियों तथा टेप-स्लाइड कार्यक्रमों के निर्माण, ग्राफिक सहायक सामग्री तैयार करने, तथा पुस्तकों, नियम-पुस्तकों तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में श्रव्य-दृश्य सामग्री के निर्माण में भी कार्यरत है, के० शै० प्रौ० सं० ने अपने ही कार्यक्रमों की जांच करना, उनका अनुसंधान करना तथा मूल्यांकन करना भी शुरू किया है । जैसाकि ऊपर से स्पष्ट है, संस्थान ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति की है ।

नेपाल में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति

[अनुवाद]

479. **श्री के० प्रधानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मई, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेपाल सरकार इस देश में भारतीय मूल के लाखों लोगों के दर्जे पर पुन: विचार करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार स्थिति पर निकट से नजर रखे हुए है । यदि समीक्षा की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नेपाल में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के दर्जे में और गिरावट आती है तो सरकार यथोचित कार्रवाई करेगी ।

हज समिति अधिनियम, 1959 के स्थान पर लाये जाने वाले विधेयक का प्रारूप

480. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड ने हज समिति अधिनियम, 19-9 के स्थान पर लाये जाने वाले विधेयक के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विधेयक को चालू सत्र में संसद में प्रस्तुत करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड ने अक्तूबर, 1988 की अपनी बैठक में हज समिति अधिनियम, 1959 के स्थान पर लाये जाने वाले विधेयक के प्रारूप पर विचार किया था और अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी थीं। सरकार केन्द्रीय हज सलाहकर बोर्ड की सिफारिशें और विधेयक के प्रारूप को संबद्ध मंत्रालयों/विभागों से सलाह-मशविरा कर अन्तिम रूप देने के आखिरी मुकाम पर है। तथापि, संसद के वर्तमान सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश करना सम्भव नहीं हो पायेगा।

जनसंख्या मानदंडों की तुलना से कम प्राथमिक विद्यालयों वाले गांव

481. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने गांवों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित जनसंख्या मानदंडों के अनुसार अपेक्षित संख्या से कम है;

(ख) उन गांवों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है जिनमें क्रमश: 100 से अधिक जनसंख्या 1000 से 501 के बीच जनसंख्या, 500 से 301 के बीच जनसंख्या तथा 300 से कम जनसंख्या के पीछे एक स्कूल है; और

(ग) क्या देश के सभी गांवों में जनसंख्या मानदंडों के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्कूलों के निर्माण की लागत के बारे में कोई अनुमान लगाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि सातवीं योजना के दौरान 300 की जनसंख्या वाली (आदिवासी, पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्रों के मामले में 200) सभी बस्तियों में एक प्राइमरी स्कूल उपलब्ध कराया जायेगा। 30 सितम्बर, 1986 की संदर्भ तारीख सहित रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा किए गए पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 300 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली 94.01% बस्तियों में अथवा एक किलो मीटर की पैदल दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल/कक्षा होनी चाहिए। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में उन गांवों की संख्या के सम्बन्ध में जहां प्रति स्कूल की जनसंख्या 1000 से अधिक है, 1000 तथा 500 के बीच है, 500 तथा 301 के बीच है अथवा 301 से कम की जनसंख्या वाले स्कूलों की सूचना एकत्र नहीं की गयी।

(ग) पांचवे अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 31815 ऐसी बस्तियां हैं जिनकी जनसंख्या 300 अथवा इससे अधिक है और वहां एक किलोमीटर की पैदल की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल/कक्षा नहीं है। पर्वतीय, मरुस्थल तथा आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिनकी जनसंख्या 200 अथवा इससे अधिक है, की सूचना एकत्र नहीं की गयी है। इस संबंध में आठवीं

पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि आठवीं योजना के दौरान लगभग 35,000 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे जिनमें उनके भवनों पर 350 करोड़ रु० व्यय होगा।

विवरण

प्राइमरी स्कूलों/कक्षाओं द्वारा पोषित 300 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां

सभी बस्तियां

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या	बस्तियों में पोषित (%)	1 कि० मी० तक पोषित (%)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	35245	91.96	99.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	574	80.31	87.80
3.	असम	21579	78.38	92.71
4.	बिहार	63131	73.70	95.05
5.	गोवा	1037	59.59	91.61
6.	गुजरात	19798	96.50	99.23
7.	हरियाणा	6456	94.03	98.81
8.	हिमाचल प्रदेश	3587	64.12	89.41
9.	जम्मू और कश्मीर	5807	83.90	94.06
10.	कर्नाटक	26055	92.89	97.36
11.	केरल	6066	76.16	88.34
12.	मध्य प्रदेश	51108	87.92	95.69
13.	महाराष्ट्र	36910	93.12	98.37
14.	मणिपुर	1262	88.99	98.18
15.	मेघालय	1566	89.34	95.79
16.	मिजोरम	407	97.79	98.28
17.	नागालैंड	709	98.59	99.58
18.	उड़ीसा	29333	82.76	96.24
19.	पंजाब	10763	96.26	99.58

1 2	3	4	5
20. राजस्थान	28746	87.09	90.83
21. उत्तरी सिक्किम	346	83.53	90.46
22. तमिलनाडु	32071	80.15	95.44
23. त्रिपुरा	2372	58.52	86.72
24. उत्तर प्रदेश	102238	47.61	86.01
25. पश्चिम बंगाल	42230	73.07	96.71
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	171	72.51	88.30
27. चंडीगढ़	21	90.48	100.00
28. दादर और नगर हवेली	99	65.66	89.90
29. दमन और द्वीव	45	60.00	93.33
30. दिल्ली	199	95.48	100.00
31. लक्ष्यद्वीप	6	100.00	100.00
32. पांडिचेरी	239	82.00	98.74
सम्पूर्ण भारत	530176	76.98	94.01

सीमा समस्या संबंधी भारत-चीन संयुक्त कार्य दल

482. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच सीमा समस्या पर विचार करने हेतु अधिकारी स्तर पर जिस संयुक्त कार्य दल के बनाने पर सहमति हुई थी उसका गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल के सदस्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या कार्यदल ने प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बना लिये हैं;

(घ) क्या कार्य दल की अभी तक कोई बैठक हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसने क्या परिणाम रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० गटवर सिंह) : (क) और (ख) सीमा के सवाल पर भारत-चीन संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। इसमें भारतीय पक्ष के नेता विदेश सचिव शीलेन्द्र कुमार सिंह और चीन पक्ष के नेता वहां के उप विदेश मंत्री ल्यू शुकिंग हैं।

(ग) इस बारे में विचार-विमर्श के बाद सहमति हो गई है कि यह संयुक्त कार्यदल सामान्यतः किन दिशाओं में काम करेगा।

(घ) इस दल की पहली बैठक 1 जुलाई, 1989 को बीजिंग में हुई थी।

(ङ) दोनों पक्षों ने प्रधान मंत्री की चीन यात्रा से उत्पन्न बेहतर समझबूझ के वातावरण में सीमा के सवाल का शीघ्र समाधान ढूंढने के सम्बन्ध में बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाए रखने के अपने इरादे की पुनः पुष्टि की। विश्वास पैदा करने से सम्बन्धित व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के अन्तर्गत बिहार को धनराशि का आवंटन

483. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान बिहार को जिलावार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) ऐसे महिला वर्गों की संख्या कितनी है और कुल लाभार्थियों की जिलावार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के लिए राज्यवार और जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो बिहार में राष्ट्रीय और राज्य लक्ष्य और जिला सम्बन्धी लक्ष्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के अन्तर्गत लक्ष्य भौतिक रूप में अर्थात महिलाओं के ग्रुपों की संख्या के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय सहायता प्रति ग्रुप 5100 रुपये की दर से केन्द्रीय अंश के रूप में और प्रति ग्रुप 5000 रुपये यूनिसेफ अंश के रूप में रिलीज किए जाते हैं। 5100 रुपये की समान रिलीज राज्य सरकार करती है। 1989-90 के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य महिलाओं के 7500 ग्रुपों का है। बिहार को आवंटित ग्रुपों की संख्या 620 है। ग्रुपों का जिलावार आवंटन संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	जिला	1986-87		1987-88		1988-89	
		केन्द्रीय	यूनिसेफ	केन्द्रीय	यूनिसेफ	केन्द्रीय	यूनिसेफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हजारीबाग	6.838	8.75	—	—	—	—
2.	मधुबनी	6.838	8.75	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गोपालगंज	4.160	6.00	—	—	—	—
4.	समस्तीपुर	7.220	9.00	—	—	—	—
5.	पालामऊ	5.100	5.00	—	—	—	—
6.	सिवान	—	—	5.10	5.00	—	—
7.	लोहार-डग्गा	—	—	5.10	5.00	—	—
8.	देवघर	—	—	5.10	5.00	—	—
9.	सारन	—	—	—	—	5.10	5.00
10.	गोडा	—	—	—	—	5.10	5.00
11.	गया	—	—	—	—	5.10	5.00
12.	पटना	—	—	—	—	5.10	5.00
13.	औरंगाबाद	—	—	—	—	5.10	5.00
14.	जहानाबाद	—	—	—	—	5.10	5.00
	कुल	30.156	37.50	15.30	15.00	30.60	30.00

विवरण-2

जिला	1986-87		1987-88		1988-89	
	ग्रुपों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	ग्रुपों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	ग्रुपों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या
1. हजारीबाग	118	2338	40	573	54	1051
2. मधुबनी	46	2058	134	1624	80	1815
3. गोपालगंज	63	1326	95	1900	4	98
4. समस्तीपुर	220	1727	52	1030	45	900
5. पलामू	शून्य	शून्य	17	340	100	2000
6. सिवान			असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
7. लोहार डग्गा						
8. देवघर						
9. सारन						
10. गोड्डा						
11. गया						
12. पटना						
13. औरंगाबाद						
14. जहानाबाद						
कुल	447	7449	338	5467	283	5864

विवरण 3

जिला	ग्रुपों की संख्या
बिहार	
1. हजारीबाग	100
2. मधुबनी	100
3. गोपालगंज	—
4. समस्तीपुर	60
5. पलामू	100
6. सिवान	100
7. लोहार डग्गा	50
8. देवघर	110
9. सरोन	—
10. गोड्डा	—
11. गया	—
12. पटना	—
13. औरंगाबाद	—
14. जहानाबाद	—
कुल	620

केन्द्रीय विद्यालयों में वरिष्ठता-एवं-योग्यता पदोन्नति योजना

484. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में अध्यापकों की वरिष्ठता-एवं-गुणों के आधार पर पदोन्नति दिए जाने के स्थान पर वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने सम्बन्धी मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो नया प्रावधान किस तारीख से लागू किया गया है;

(ग) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने इस प्रावधान की केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों पर भी लागू करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह मांग स्वीकार कर ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1989 से।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सभी शैक्षिक पदों के लिए वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान विद्यमान है। तथापि, मुख्याध्यापकों/मुख्याधिपिकाओं/उप-प्रधानाचार्यों, प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती है, जिनके लिए प्रशासनिक दक्षताओं की भी आवश्यकता होती है। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि, ये प्रवरण पद हैं, जिनके लिए योग्यता को महत्व दिया जाना है।

शुष्क भूमि पर कृषि के विकास हेतु केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान

485. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क भूमि पर कृषि के विकास हेतु सभी दृष्टि से पूर्ण एक केन्द्रीय अनुसंधान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो कहां और इस संस्थान के कार्य क्या हैं;

(ग) संस्थान की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में शुष्क भूमि पर कृषि के विकास हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) यह संस्थान हैदराबाद में स्थित है जिसका मुख्य काम मूल और व्यावहारिक अनुसंधान करना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को भंडारित करना और बारानी दशाओं में उगने वाली फसलों की उत्पादकता में सुधार करना है।

(ग) प्रमुख उपलब्धियों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(I) वर्षा के पानी का उसी स्थान पर संरक्षण और जल उपयोग की तकनीकों का विकास।

(II) मौसम की प्रतिकूलता को कम करने के लिए संभावित फसल योजना।

(III) दुहरी और अन्तः फसल पद्धति और विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल प्रबंध पद्धतियों का विकास।

(IV) सीमान्त मिट्टियों और विशेष प्रकार के बारानी क्षेत्रों के लिए एकान्तर (एवजी) मितव्ययी सक्षम भूमि उपयोग पद्धति का विकास।

(V) नमी वाले क्षेत्रों में फलीदार फसलें उगाकर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर मूल अध्ययन ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बारानी टेक्नोलॉजी को केन्द्रीय और राज्य सरकार विस्तार एजेन्सियां किसानों तक पहुंचाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से इन कृषि क्रियाओं का प्रथम स्तर का प्रदर्शन आयोजित करती है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा सोने के भंडारों का पता लगाया जाना

486. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, उत्तरी क्षेत्र के भू-वैज्ञानिकों ने कुछ सोने भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (उत्तरी क्षेत्र) को मध्य प्रदेश के सीधी जिलांतर्गत सोन-करवा और समीप के क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश की सीमा से संलग्न), पश्चिमी हिमालय की सिवालिक पट्टी तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलांतर्गत पाथा क्षेत्र में लघु स्वर्ण निक्षेप मिले हैं। सोन-करवा क्षेत्र में 1100 मीटर के विस्तार में स्वर्ण युक्त क्वार्टज् धारियां पाई गईं, लेकिन जांच के दौरान स्वर्ण अंश सामान्यतः 1 ग्राम प्रति टन से कम पाया गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू में सिवालिक पहाड़ी से जुड़े जलोढ़ तराई क्षेत्र में भी स्वर्ण युक्त मलबा पाया गया है। परन्तु इसमें स्वर्ण अंश बहुत ही कम है। ललितपुर जिलांतर्गत पाथा क्षेत्र में धारायी तलछाटन और तल-चट्टान नमूनों से 0.1 से 0.2 ग्रा०/टन तक मामूली स्वर्ण होने के संकेत हैं।

भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि का वितरण

487. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितनी अतिरिक्त भूमि वितरित की गयी; और

(ख) वितरण के लिए राज्यवार अब भी कितनी अतिरिक्त भूमि अभी भी उपलब्ध है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान फालतू भूमि के वर्षवार/राज्यवार वितरण, वितरण के लिए उपलब्ध क्षेत्र और मार्च, 1989 तक इस कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वितरित किया गया फालतू भूमि क्षेत्र			मार्च, 89 के अनुसार वितरण के लिए उपलब्ध फालतू भूमि (एकड़ में)
		1986-87	1987-88	1988-89	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11579	24131	23178	115837
2.	असम	9874	5074	961	37678
3.	बिहार	12204	16185	15098	8785
4.	गुजरात	6344	3477	2739	30873*
5.	हरियाणा	1264	शून्य	552	402
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	125396†
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	6000 =
8.	कर्नाटक	1572	शून्य	4593	986
9.	केरल	840	1228	1149	5194
10.	मध्य प्रदेश	2533	5509	18725	28915
11.	महाराष्ट्र	6607	10103	10809	1332
12.	मणिपुर	323	51	शून्य	15
13.	उड़ीसा	4587	2353	1811	352
14.	पंजाब	1483	735	396	24
15.	राजस्थान	7636	1820	20160	267@
16.	तमिलनाडु	2119	2683	3018	1789
17.	त्रिपुरा	शून्य	42	शून्य	7
18.	उत्तर प्रदेश	4508	4083	6408	1597
19.	पश्चिम बंगाल	16262	4284	24405	70898%
20.	दादरा व नगर हवेली	764	381	356	शून्य
21.	दिल्ली	18	24	शून्य	68**
22.	पांडिचेरी	शून्य	35	शून्य	248
	अखिल भारत	90517	82198	134458	478574

* गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र को नर्मदा परियोजना के विस्थापित लोगों को पुन: बसाने के लिए आरक्षित किया गया है। यह विभाग इसके लिए सहमत नहीं हुआ है।

% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह क्षेत्र पहुंच से बाहर के क्षेत्र में स्थित है इसलिए वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। इस विभाग ने इस दावे को अभी तक नहीं स्वीकार किया है।

= जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों से स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है।

@ राजस्थान की राज्य सरकार ने रूपरेखा और सिंचाई सुविधा को अंतिम रूप दिए जाने तक राजस्थान नहर परियोजना चरण-II में स्थित 35954 एकड़ क्षेत्र के वितरण का प्रस्ताव नहीं किया है। इस विभाग ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है।

% पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है। इस विभाग ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है।

** कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संघशासित क्षेत्र दिल्ली को 1988-89 और 1989-90 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छूट दी है।

"राक फास्फेट" और गन्धक की कमी

488. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राक फास्फेट" और गन्धक का भारी अभाव है जिसके फलस्वरूप सिंगल सुपर फास्फेट का धीमा उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार से क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जून, 1989 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान एस० एम० पी० का अनुमानित उत्पादन तथा जून, 1988 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उत्पादन के तत्संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

1. अप्रैल-जून	1989	6,45,630 मी० टन
2. अप्रैल-जून	1988	6,62,300 मी० टन

इस प्रकार जून, 1989 को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के दौरान एस० एस० पी० के उत्पादन में 1988 की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में केवल 16,670 टन या 2.5 प्रतिशत की कमी हुई है। यह अंशत: विभिन्न पत्तनों में लदान के लिए उपयुक्त जलयानों की प्राप्ति में कठिनाइयों के कारण एस० एस० पी० एककों की राक फास्फेट तथा सल्फर की आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ विलम्ब के कारण तथा अंशत: बम्बई तथा कांडला की तरह के कुछ प्रेषण पत्तनों में भीड़ के कारण हुआ। अप्रैल, 1989 के दौरान मुख्य पतनों में पत्तन श्रमिकों की हड़ताल ने भी

प्रेषण पत्तनों में माल उतारने के कार्य पर कुप्रभाव डाला और इससे भारतीय पत्तनों पर आने वाले नए जलयानों की तिथि निर्धारण/आगमन में विलम्ब हुआ।

(ग) एम० एम० टी० सी० ने एककों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से वर्तमान व्यस्ततम मौसम अर्थात जुलाई-सितम्बर, 1989 के दौरान, कच्चे माल की पर्याप्त मात्राओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ करारों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रेषण पत्तनों पर जलयानों के सामयिक समय निर्धारण तथा पर्याप्त घाट प्रदान करने के लिए एम० एम० टी० सी० तथा भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच घनिष्ट समन्वय कायम रखा जा रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है।

शिपयार्डों द्वारा अग्निरोधी दरवाजों/शटरों का आयात

489. **डा० बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
डा० बी० वेंकटेश :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड अच्छी किस्म के अग्नि से रक्षा करने वाले दरवाजे या अग्निरोधी शटरों का आयात कर रहे हैं क्योंकि वे देश में उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक शिपयार्ड द्वारा ऐसे कितने दरवाजे किन-किन देशों से आयात किए गए तथा उनकी लागत क्या थी और इन दरवाजों की लम्बाई-चौड़ाई आदि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सार्वजनिक शिपयार्डों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए अग्नि से रक्षा करने वाले दरवाजों के ब्यौरे

क्र० सं०	शिपयार्ड का नाम	दरवाजों की संख्या	लागत (लाख रु०)	ओरिजिन	विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	244	11.82	स्वीडन	ए-60, ए ओ और बी सोलास-74 के अनुसार (1981 83 के संशोधनों सहित)
2.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	332	19.25	स्वीडन	—वही—

1	2	3	4	5	6
3.	हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता	661	6.12	यू० के०	"ए", "बी-बी ओ" "बी-15" और "सी" फायर क्लास दरवाजे और विभिन्न आकारों के शटर

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों की प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त हुए लोगों को प्रशिक्षण

490. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त हुए लोगों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रशिक्षण के लिए ऐसे लोगों के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस हेतु निर्धारित आयु सीमा में ऐसे लोगों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, उद्योग, सेवा तथा व्यापार गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। लक्षित वर्ग के परिवार जिनकी आय 4800 रु० से कम है, के कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्ति उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों की निर्धारित आयु सीमा अब 18-45 वर्ष है।

(ग) जी, हां।

(घ) ट्राइसेम के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों की आयु सीमा को 35 से 45 वर्ष तक बढ़ा देने का निर्णय किया गया है।

ग्रामीण जल सप्लाई और सफाई कार्यक्रमों के लिए धनराशि

491. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई और ग्रामीण सफाई कार्यक्रमों के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न राज्यों को कुल कितना आवंटन किया गया है और इन कार्यक्रमों पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या नीति तैयार की गयी है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1282.00 करोड़ रुपए का कुल आबंटन और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल परिव्यय 2253.25 करोड़ रुपए है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए कुल आबंटन 4.00 करोड़ रुपए है।

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए कुल आबंटन और अभी तक खर्च की गई वास्तविक राशि निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	1989-90 के प्रावधान सहित आबंटित राशि	खर्च की गई राशि (30-6-1989 तक प्राप्त सूचना के आधार पर)
क. ग्रामीण जल सप्लाई		
(क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम/मिनी मिशन/उप-मिशन आदि	1832.19	1388.59
(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	2535.70	1936.98
ख. ग्रामीण स्वच्छता		
(क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	28.74*	9.52
(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	33.36	8.68

*1986-89 में दी गई और 1989-90 के लिए आबंटन।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में ग्रामीण जल सप्लाई और ग्रामीण स्वच्छता के लिए नीति और उसके परिव्ययों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बिहार में मकानों का निर्माण

492. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा :**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मकानों का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए इस योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण हेतु बिहार राज्य को क्रमश: कितनी धनराशि आवंटित की गई है और गरीबों को आज तक कितने बने-बनाये मकान आवंटित किये जा चुके हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89 के लिए, बिहार राज्य को इंदिरा आवास योजना (आई० ए० वाई०) के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए 1750 लाख रुपए की नकद राशि आवंटित की गई थी। वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य को उपलब्ध कराए गए संसाधनों (खाद्यान्नों के मूल्य सहित) से 19327 मकानों का निर्माण किया जा सकता था। राज्य सरकार से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) के दौरान 14230 मकानों का निर्माण किया गया है और इन्हें लक्षित वर्ग को आवंटित किया गया है।

2. 1989-90 के दौरान इन्दिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना के एक घटक के रूप में जारी रखा था। 1989-90 के दौरान बिहार को इन्दिरा आवास योजना के लिए 1859.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। 1989-90 की पहली तिमाही (जून, 1989 को समाप्त होने वाली) के लिए योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण प्रगति की सूचना राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

भारत-चीन सीमा पैनल की बैठक

493. **श्री वी० तुलसीराम :**
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री सनत कुमार मण्डल :
श्री काली प्रसाद पांडेय :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सीमा पैनल की बैठक दोनों के बीच सीमा समस्याओं को हल करने हेतु हाल ही में बीजिंग में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम आदि क्या हैं;

(ग) इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(घ) क्या उस क्षेत्र को खाली करने हेतु भी बैठक में बातचीत की गई थी, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक खाली किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ङ) सीमा सम्बन्धी सवाल पर भारत-चीन संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 1 जुलाई, 1989 को बीजिंग में हुई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव एस० के० सिंह ने किया था। चीनी प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वहां के उप विदेश मंत्री लि शूकिंग ने किया।

इस बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा के सवाल का शीघ्र, निष्पक्ष और उचित समाधान ढूंढने की दिशा में बातचीत शुरू की और उस सामान्य रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया जिसके आधार पर संयुक्त कार्य दल भविष्य में काम करेगा। दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाए रखने के अपने इरादे की पुनः पुष्टि की। विश्वास पैदा करने से सम्बन्धित व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि सभी मतभेदों और समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

संयुक्त उद्यमों के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की मंजूरी

494. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने लोहा और इस्पात में आदानों के निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम आरम्भ करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये संयुक्त उद्यम कितने लाभदायक सिद्ध होंगे ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) "सेल" ने प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी है। किन्तु इस तरह के उद्यम के लिए किसी विशिष्ट प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इस तरह के उद्यम से प्राप्त किए जाने वाले लाभ विशिष्ट परियोजना पर निर्भर करेंगे।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर संयंत्र में उर्वरक का उत्पादन बन्द होना

495. **श्री वी० तुलसीराम** :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर संयंत्र में उर्वरक का उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संयंत्र में वर्ष 1986-87 से 1988-89 की अवधि के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य संयंत्रों के उत्पादन में भी कमी आई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संयंत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों को बन्द होने से रोकने तथा बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के दुर्गापुर संयंत्र को अमोनिया संयंत्र में स्टार्ट अप हीटर कायल में आग लगने के कारण 27-3-89 से बन्द करना पड़ा। भूतपूर्व ठेकेदार के श्रमिकों के आन्दोलन के कारण क्षतिग्रस्त उपस्कर के मरम्मत कार्य में विलम्ब हो रहा है।

(ग) 1986-87 से 1988-89 तक वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	नाइट्रोजन का उत्पादन 000 मी० टन में
1986-87	50.8
1987-88	59.0
1988-89	27.4

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य संयंत्रों में उत्पादन निम्न प्रकार है

नाइट्रोजन का उत्पादन 000 मी० टन में

	1986-87	1987-88	1988-89
बरौनी	61.6	76.3	65.5
नामरूप-I	8.8	4.6	4.1
नामरूप-II	86.9	87.1	52.6
नामरूप-III	—(*)	63.2	90.6

(*) वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर, 1987 में आरम्भ हुआ।

(ङ) एच० एफ० सी० ने क्षतिग्रस्त उपस्कर की मरम्मत के लिए एक ठेकेदार नियुक्त कर लिया है परन्तु भूतपूर्व ठेकेदार के आन्दोलनकारी श्रमिकों द्वारा इस कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। राज्य सरकार को भी स्थिति से पूर्णतः अवगत कराया गया है।

मोटर वाहनों की आयु सीमा निश्चित करना

496. **श्री हेत राम :**

श्री वी० तुलसी राम :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री पी० एम० सईद :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री पी० कुलनवईवेलु :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री शरद दिघे

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए आयु सीमा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसमें क्या अड़चनें हैं तथा इसके परिणाम-स्वरूप सभी प्रकार के अनुमानतः कितने वाहनों के बेकार हो जाने की सम्भावना है;

(ग) इसका वाहन मालिकों, विशेष रूप में मध्यम वर्ग के वाहन मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार का इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 के तहत सरकार को विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के लिए आयु सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। यह अधिकार प्रदान करने वाला प्रावधान है। वाहनों की आयु सीमाएं निर्धारित करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रीलंका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा

497. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** :
श्री महेन्द्र सिंह :
डा० दत्ता सामंत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान का बहिष्कार करने एवं सभी भारतीय व्यापारिक संगठनों के साथ सम्बन्ध न रखने के लिए जनता विमुक्ति पेरामुना द्वारा किए गये आह्वान के कारण श्रीलंका में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश में रह रहे भारतीयों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। सरकार इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के बारे में पाकिस्तान का प्रस्ताव

498. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत परीक्षण प्रतिबन्धन सन्धि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रस्तावों के बारे से छपी रिपोर्टें देखी हैं। तथापि, नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव का प्रश्न चूंकि सार्वभौम निहितार्थ रखता है, इसलिए इस प्रश्न का कोई द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय समाधान हो ही नहीं सकता।

न्हावा शेवा पत्तन

499. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेवा पत्तन के काम-काज का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या विशिष्ट उपलब्धियां होने की आशा है;

(ग) क्या सरकार का कुछ और पतनों का कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) न्हावा शेवा पर जवाहर लाल नेहरू पत्तन में बल्क और कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं के प्रचालन के कम्प्यूटरीकरण करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जहाजों के तीव्रतर प्रचालन तथा उनके तेजी से आवागमन होने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ) भारत के महापत्तनों में, बिलिंग कंटेनरों की ट्रेकिंग इत्यादि सहित पत्तन कार्यों के विभिन्न पहलुओं का कम्प्यूटरीकरण एक चली आ रही प्रक्रिया है।

विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ वाणिज्यिक सहयोग

500. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ नौवहन क्षेत्र में कोई वाणिज्यिक सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेलजियम की नौवहन कम्पनियों के साथ ऐसा कोई वाणिज्यिक सहयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाना

501. **श्री अब्दुल हमीद :**
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और चीन के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने हेतु कोई विशेष प्रयास करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि भारत और चीन के बीच अच्छे पड़ौसी सम्बन्ध बनें और विकसित हों। दिसम्बर, 1988 में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा इस इच्छा की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थी।

सरकार बराबर ऐसे काम करती है कि जिससे चीन के साथ ऐसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्पर्कों का दायरा व्यापक हो जो दोनों ही देशों के लिए परस्पर लाभदायक हों। सरकार की यह भी नीति है कि अनिर्णीत सीमा सम्बन्धी प्रश्न शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से निपटाये जाएं और उनके सम्बन्ध में शीघ्र, निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप में स्वीकार्य सीमा सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। सीमावर्ती प्रश्न पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल के बीच हो रही बातचीत इसी उद्देश्य से की जा रही है।

दिल्ली के स्कूलों के लिए अलग परीक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

502. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की परीक्षा के लिए अपना पृथक परीक्षा बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो वह कब तक लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) हाल ही में विभिन्न सरकारों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालय, अल्मोड़ा के लिए भवन का निर्माण

[हिन्दी]

503. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष केन्द्रीय विद्यालय, अल्मोडा, उत्तर प्रदेश के लिए भवन का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर व्यय की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही): (क) अल्मोडा, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य भवनों और प्राक्कलन प्राप्त होने होने के बाद ही आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) परियोजना की लागत प्राक्कलनों के उपलब्ध होने के बाद ही पता लगेगा ।

पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में नवोदय विद्यालय

504. **श्री हरीश रावत :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नवोदय विद्यालय खोलने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) योजना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक जिले में औसतन एक-एक नवोदय विद्यालय खोला जाता है । तथापि वित्तीय कठिनाइयों के कारण नवोदय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया में सरकार के लिए गति को धीमा करना जरूरी हो गया था । पिथौरागढ़ जिले में अभी तक नवोदय विद्यालय उपलब्ध/संस्वीकृत किया जाना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चावल की नई किस्म का विकास

[अनुवाद]

505. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री शांतिलाल पटेल :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेती के लिए चावल की कोई नई किस्म जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई किस्म से चावल की खेती को कितना बढ़ावा मिलने की सम्भावना है;

(घ) इस किस्म की खेती किन-किन राज्यों में की गई हैं; और

(ङ) इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां। वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न चावल उगाने वाले क्षेत्रों में सामान्य कृषि के लिए 29 किस्में जारी तथा अधिसूचित की गई थीं ।

(ख) विभिन्न चावल उगाने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रमुख किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा संबद्ध फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से चावल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की आशा है ।

(घ) हाल ही में जब से इन किस्मों को रिलीज तथा अधिसूचित किया गया है तब से संबद्ध राज्यों में किसानों के लिए वितरण हेतु बीज की पर्याप्त मात्रा उत्पादित करने के लिए प्रयास सम्मिलित किए जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	किस्म का नाम	उपज (टन/हैक्टर)	उगाये जाने वाले क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आई० ई० टी०-7253	4-5	कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बारानी उपजाऊं भूमि।
2.	आई० ई० टी०-7613	4-5	उत्तर प्रदेश. आ० प्र० तथा म० प्र० की बारानी उपराऊं भूमि।
3.	आई० ई० टी०-7614	4	पूर्वी उ० प्र०, बिहार. आंध्र प्रदेश की बारानी उपराऊं भूमि।
4.	आई० ई० टी०-6262	3-4	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा की बारानी उपराऊं भूमि।
5.	आई० ई० टी०-7590	3-5	पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश की जल ठहराव (35 से० मी० पानी की गहराई) के लिए उपयुक्त।
6.	आई० ई० टी०-7946	5-6	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गाल मिज और ब्राउन प्लॉट हापर महामारी वाले क्षेत्रों तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त।
7.	चैतन्य	5	आन्ध्र प्रदेश की इकहरी तथा दोहरी फसल वाली आर्द्र भूमियों के लिए उपयुक्त।
8.	चिक्काना	5-5	आन्ध्र प्रदेश में मछेली बुआई के लिए उपयुक्त।
9.	एस० वाई० ई०-2	—	महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त, बासमती 370 से बेहतर बासमती किस्म महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त लम्बी, खुशबू वाली।

1 2	3	4
10. एस० के० एल०-47-8	—	महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त लम्बी, खुशबू वाली ।
11. पालघर-1	4-5	महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त ।
12. पनवेल-1	3.5-4.0	महाराष्ट्र की तटीय लवणीय भूमियों के लिए सिफारिश की गई, बड़िया दाने वाली किस्म ।
13. इन्द्रायनी	4.0-4.5	महाराष्ट्र के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई ।
14. ए० डी० टी-39	5-5	कावेरी डेल्टा में पिछेती थालन्डी मौसम के लिए इसकी सिफारिश की गई, नये जीवाणु पत्ती मुरझान और बदरंग दाने वाले रोगों की प्रतिरोधी
15. राजश्री	3-4	बिहार के बारानी तराऊं भूमि के लिए उपयुक्त ।
16. सुधा	3-4	बिहार के गहरे जल वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त ।
17. एच० के० आर०-120	4-5	हरियाणा के सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त, मध्यावधि में पककर तैयार होने वाली ।
18. हीरा	2.5-4.0	उड़ीसा के बारानी उपराऊं भूमि के लिए उपयुक्त ।
19. अन्नदा	3.5-4.5	बारानी उपराऊं भूमि के लिए उपयुक्त ।
20. कल्याणी	2.5-4.0	उड़ीसा के बारानी उपराऊं भूमि तथा बाढ़ के बाद वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त ।
21. बनप्रभा	3.5-4.5	उड़ीसा की बारानी उपराऊं भूमि के लिए उपयुक्त ।

1	2	3	4
22.	क्षीरा	3.5-4.5	बारानी निचली जमीन के लिए उपयुक्त जहां 50 से० मी० तक पानी इकठ्ठा होता है।
23.	पद्मिनी	3.5-4.5	
24.	मोती	3.5-4.5	
25.	गायत्री	3.5-5	बारानी निचली भूमियों के लिए उपयुक्त, प्रकाश अवस्था संवेदनशील. अक्तूबर के तीसरे सप्ताह से नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक फूल आते हैं।
26.	तुलसी	3.5-5.5	
27.	कान्ताश्री	3.5-5	
28.	पामधन	3.5-5.5	
29.	वि० एस०-163	3-3.5	उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ियों के बारानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त।

"सार्क" विदेश मन्त्रियों की बैठक

506. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री शान्ति लाल पटेल :

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री पी० कुलनदईवेलू :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्रीमती किशोरी सिंह :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री शरद दिघे :

चौधरी खुर्शीद अहमद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के विदेश मंत्रियों की उस बैठक को स्थगित करना पड़ा, जो इस्लामाबाद में 1 जुलाई, 1989 को होने वाली थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब इस बैठक का आयोजन कब किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) "सार्क" मन्त्री परिषद का जो सातवां अधिवेशन 1 और 2 जुलाई, 1989 को इस्लामाबाद में होना था, वह इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि श्रीलंका सरकार ने मेजबान देश पाकिस्तान को अपने इस निर्णय की सूचना दी कि वह इस बैठक में भाग नहीं लेगा । चूंकि मंत्री परिषद् किसी भी एक सदस्य देश की अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं ले पाती इसलिए इस बैठक को किसी भावी तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था जिसका फैसला सदस्य राज्यों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा ।

कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में लघु भट्टियों की स्थापना

507. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार, चीन और ब्राजील की भांति, कच्चा लोहा तैयार करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में भट्टियों की स्थापना करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में कच्चे लोहे के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने और कच्चे लोहे की मांग की किस सीमा तक पूर्ति होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) कच्चे लोहे के उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। चूंकि प्रौद्योगिकी आयात तथा पूंजीगत उपस्करों के सम्बन्ध में अभी तक किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। अतः ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भट्टियों की स्थापित संख्या के अनुसार देश की मांग के अन्तराल को आयातों द्वारा पूरा किया जा सकेगा।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के बारे में जनता की राय जानना

508. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक ओपीनियन द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के बारे में किये गये जनमत के निष्कर्षों के अनुसार 78 प्रतिशत से भी अधिक यात्रियों ने दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के प्रति असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण में सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) प्रेस में छपी खबर के अनुसार भारतीय जन मत संस्थान द्वारा किया गया सर्वेक्षण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अधिकतर यात्री डी० टी० सी० के प्रचालनों के कुछ पहलुओं से संतुष्ट नहीं थे। इसमें सुधार लाने के लिए ट्रिपों को छोड़ने, बस को स्टाप पर न रोकने की प्रवृत्ति को दूर करने, बसों के अनुरक्षण और यात्रियों के प्रति प्राइवेट बसों के कर्मियों के व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम ने एक निरंतर उपाय के रूप में गति समय पाबंदी और स्टापों पर बसों को रोकने की विनियमित करने के लिए नियमित रूप से जांच करने की एक प्रणाली आरम्भ की है। बसों के अनुरक्षण पर कड़ी नजर रखने से सभी कार्य दिवसों पर डी० टी० सी० के बेड़े का अब 97% होती है। ब्रेन डाउन और ट्रिपों को छोड़ने की दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, डी० टी० सी० के चालकों और संवाहकों के लिए व्यावहारिक पहलुओं पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उत्तरोत्तर सुधार प्राप्त करने की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम ने प्रशासनिक, वित्तीय और प्रचालन शक्तियों का रीजनल अध्यक्षों में विकेन्द्रीकरण करने, कंप्यूटर के द्वारा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली में सुधार करने, वाहन जांच तथा रूटों के यौक्तिकीकरण द्वारा राजस्व के रिसाव को रोकने के उपाय भी किए हैं।

प्राइवेट प्रचालकों के बस प्रचालनों के संबंध में दिल्ली परिवहन निगम विशिष्ट शिकायत के मिलने पर सहमत शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना करने की कार्रवाई करती है और गम्भीर मामलों में करार को समाप्त कर देती है।

उड़ीसा में नयागढ़ में इस्पात परियोजना की स्थापना

509. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में नयागढ़ में पांच लाख टन की क्षमता वाली इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को आशय-पत्र जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो नयागढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को आशय-पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० ने न कि मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक प्रवर्तन तथा निवेश निगम लि० ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में प्रतिवर्ष 4,74,400 टन की कुल क्षमता की गर्म बेल्लिन स्ट्रीपों/क्वायलों, सीवनहीन इस्पात ट्यूबों तथा सीवनहीन इस्पात के गोल बिलैटों के निर्माण के लिए लाइसेंस हेतु अभ्यावेदन दिया था। इस आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था।

उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

510. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को वर्षवार कितनी राशि का आवंटन किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में इस कार्यक्रम से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार और राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों को नीचे दी गई राशि आवंटित की गई :

1986-87	238.10 लाख रुपये
1987-88	329.40 लाख रुपये
1988-89	321.54 लाख रुपये

(ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 2.25 लाख, 2.57 लाख और 2.78 लाख थी।

(ग) और (घ) निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच-पड़ताल करने पर वे असत्य पाई गईं।

उड़ीसा में व्यावसायिक शिक्षा

511. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की योजना के अन्तर्गत अब तक उड़ीसा के कितने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई है; और

(ख) सातवीं योजना की शेष अवधि में इसे कितने स्कूलों में प्रारम्भ किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) उड़ीसा में 181 स्कूलों में अब तक 724 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की मंजूरी दी गयी है ।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्ताव उड़ीसा राज्य सरकार से अभी प्राप्त होना है ।

कच्चे लोहे की कमी और सप्लाई

[हिन्दी]

512. **श्री विनेश गोस्वामी** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों देश में कच्चे लोहे की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा वे कच्चे लोहे का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन करते हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में कच्चे लोहे की खपत के संदर्भ में कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो कच्चे लोहे की प्रति वर्ष कितनी आवश्यकता होती है और यह मांग किस प्रकार पूरी की जाती है; और

(च) देश में कच्चे लोहे की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर समाप्त करने के लिए इसका आयात करने के बजाय गैर सरकारी लघु उद्योगों में इसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्र तथा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वी०आई०एस०एल०) सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन करते हैं। "सेल" से कच्चे लोहे का उत्पादन गर्म धातु तथा अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन पर निर्भर करता

है। विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० में प्रतिवर्ष 1.8 लाख टन कच्चे लोहे के उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम —उड़ीसा विकास निगम (ओ०आई०डी० सी०) संयंत्र भी कच्चे लोहे का उत्पादन करता है। वर्ष 1988-89 के दौरान इन संयंत्रों का उत्पादन निम्नानुसार था :

	(मात्रा लाख टनों में)
1. सेल (इस्को सहित)	10.09
2. वी०आई०एस०एल०	0.12*
3. ओ०आई०डी०सी० इकाई	1.00 (अनुमानित)

(* गर्म धातु सहित)

(घ) जी, हां।

(ङ) मांग प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। मांग को पूरा करने के लिए देशी उपलब्धता को आयात से पूरा किया जाता है।

(च) कच्चे लोहे का उत्पादन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम और निजी बसों द्वारा की गई दुर्घटनायें

[अनुवाद]

513. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री कमल चौधरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की तथा इसके अन्तर्गत चलने वाली निजी बसों की जनवरी, 1989 से अब तक कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुईं और इनमें मरने और घायल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं तथा दिल्ली परिवहन निगम के चालकों तथा निजी बसों के मालिकों और चालकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में मरने वालों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(घ) इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में दिल्ली पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1989 से 10-7-1989 तक हुई दुर्घटनाओं और मृत/घायल व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	दिल्ली परिवहन निगम	दिल्ली परिवहन के रूटों पर प्राइवेट प्रचालक
दुर्घटनाओं की संख्या	2174	80
मृत व्यक्तियों की संख्या	111	30
घायल व्यक्तियों की संख्या	982	77

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कुल संख्या 4260 है और प्राइवेट प्रचालकों की कुल संख्या 735 है।

(ख) ड्राइविंग आदतों जैसे सामान्य उत्तरदायी कारकों के अलावा, यानों की संरचना, जिनमें धीरे चलने वाली और तेज चलने वाली दोनों प्रकार के मिले-जुले यान शामिल हैं, में वृद्धि का होना भी सड़क दुर्घटनाओं का कारण है। डी०टी०सी० बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि डी०टी०सी० बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाना, जजमेंट में त्रुटि होना, मकेनिकल दोषों, डी०टी०सी० कर्मचारियों और अन्य लोगों में सड़क के नियमों का ज्ञान न होना कारण रहे हैं। यात्रियों द्वारा चलती बस पर चढ़ना और उतरना भी दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है।

ड्राइवर के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में सेवाओं की समाप्ति करना, निलम्बन करना, क्षति की वसूली करना, चेतावनी देना, निन्दा करना, सतर्क करना, मौखिक चेतावनी देना, फटकार लगाना इत्यादि शामिल है। दिल्ली परिवहन निगम उन प्राइवेट बसों को हटा देती है जिनके ड्राइवर घातक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं।

(ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 की शर्तों के अनुसार सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति अथवा उसके कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे के लिए आवेदन पत्र सड़क दुर्घटना होने के छह महीने की अवधि के अंदर देना होता है और संबंधित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुसार मुआवजा देय हो जाता है। दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अवधि से संबंधित दुर्घटनाओं के मामलों में भुगतान करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल से अब तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) चालकों को समय-समय पर हिदायतें दी जाती हैं कि वे ध्यानपूर्वक वाहन चलाएं और यातायात के सभी नियमों का पालन करें। ड्राइवरों के कार्य पर हमेशा नजर रखी जाती है। लाइन ड्यूटी पर लगे ड्राइवरों की वाहन चलाने संबंधी आदतों की जांच करने के लिए विशेष दस्ते भेजे जाते हैं और अक्सर दुर्घटना करने वाले ड्राइवरों का पता लगाया जाता है और उन्हें दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षित रूप से वाहन चलाने को प्रेरित करने की दृष्टि से कैलेंडर वर्ष में दुर्घटना रहित रेकार्ड वाले ड्राइवरों को 1000 रु० की राशि का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है।

दिल्ली में महाविद्यालयों का खोलना

514. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय इस वर्ष बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को अपने विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं दे पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण काफी छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में और महाविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी पात्र छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में प्रवेश देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा 40% या अधिक के साथ पास की है, कालेज में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए योग्य हैं बशर्ते कि उनकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया कि 51,679 विद्यार्थी जिन्होंने दिल्ली से वरिष्ठ माध्यमिक व समकक्ष परीक्षा (कक्षा-XII) 40 प्रतिशत या अधिक से पास की है वे विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य हैं। इसकी तुलना में, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 54,586 की प्रवेश क्षमता है। इनमें से 27,801 स्थान कालेजों में, 3935 स्थान नॉन-कालिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में तथा 22,800 स्थान पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत् शिक्षा स्कूल में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1989-90 के शैक्षिक सत्र से 500 छात्रों की प्रवेश क्षमता के दिल्ली के कालेजों में विभिन्न नए पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव मंजूर कर लिए हैं। दाखिलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने 1987-88 में तीन नए कालेज स्थापित किए हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू शैक्षिक सत्र से महिलाओं के लिए एक प्रायोगिक विज्ञान कालेज शुरू करने का प्रस्ताव है।

क्योंकि अनेक छात्रों ने एक से अधिक पाठ्यक्रमों में तथा एक से अधिक कालेजों में साथ-साथ आवेदन किया है तथा प्रवेश प्रक्रिया जारी है अतः प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले तथा प्रवेश न पा सकने वाले छात्रों की संख्या ठीक-ठीक नहीं बताई जा सकती। फिर भी विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि वह व्यावहारिक रूप से सभी योग्य छात्रों को प्रवेश देने की स्थिति में है।

दिल्ली में प्राइवेट कारों का टैक्सी के रूप में चलाया जाना

515. **श्री पी० एम० सईद :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्राइवेट कारें टैक्सी के रूप में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो टैक्सी के रूप में कितनी प्राइवेट कारें चल रही हैं तथा दिल्ली प्रशासन को इससे लगभग कितना नुकसान हो रहा है; और

(ग) सरकार ने इस अवैध प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिल्ली

प्रशासन ने सूचित किया है कि 1-1-89 से 30-6-89 तक 166 प्राइवेट कारें टैक्सियों के रूप में प्रयोग की जाती हुई पाई गईं। उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं। जांच कार्य निरंतर आधार पर किया जाता है और उल्लंघनों के मामलों पर विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि प्राइवेट कारों को टैक्सियों के रूप में चलाए जाने के कारण कितना वार्षिक राजस्व का घाटा होता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं को जांचने का बहिष्कार

516. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने उत्तर-पुस्तिकाओं के जांचने के कार्य का बहिष्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने विभिन्न परीक्षा परिणामों के प्रकाशन की अनिश्चितता को देखते हुए उप-कुलपति के कार्यालय के सामने 20 जून, 1989 को रोष प्रकट किया था;

(घ) यदि हां, तो परीक्षा परिणामों को घोषित करने में विलम्ब को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या कुछ संकाय सदस्यों द्वारा अभी भी बहिष्कार जारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) व्यावसायिक अध्ययन के कालेज की कार्यपद्धति से संबंधित कुछ आरोपों के बारे में आंदोलन के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने पेपर मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

(ग) 20-6-1989 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ छात्र, परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग को लेकर कुलपति के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए।

(घ) मूल्यांकन कार्य में भारी संख्या में विश्वविद्यालय अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करके विश्वविद्यालय, अधिकांश परिणामों की घोषणा कर सका है।

(ङ) जी, नहीं।

काठमांडू में भारतीय दूतावास में जाने वाले लोगों और पत्रकारों के साथ व्यवहार

517. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने काठमांडू में भारतीय दूतावास में जाने वाले लोगों और पत्रकारों को परेशान किए जाने के मामले पर नेपाल सरकार से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार ने भी इस संबंध में पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-श्रीलंका समझौते का कार्यान्वयन

518. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-श्रीलंका समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में ताजा स्थिति क्या है;

(ख) क्या समझौते के कार्यान्वयन और/अथवा भारतीय शान्ति सेना की वापसी के संबंध में गत तीन महीनों के दौरान कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) इस वर्ष के आरम्भ तक समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में बहुत सी कानूनी और कार्यकारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थीं और राष्ट्रपति प्रेमदास ने इस बात के संकेत दिए थे कि वे प्रांतीय परिषदों को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए और समझौते की शेष धाराओं के क्रियान्वयन के लिए कदम उठायेंगे। इसी के आधार पर भारतीय शांति सेना की चरणबद्ध वापसी आरम्भ की गई थी । तथापि, मई, 1989 से श्रीलंका में कुछ ऐसे काम हुए और ऐसे वक्तव्य जारी किए गए हैं जिससे इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि श्रीलंका की सरकार भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, विशेष रूप से वे वचन जिनके अनुसार उत्तर-पूर्वी प्रांतीय परिषद को प्रभावी अधिकार सौंपे जाने हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कोलम्बो स्थित हमारा हाई कमीशन तो श्रीलंका की सरकार के साथ नियमित सम्पर्क रखता ही है इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सचिव ने कोलम्बो की यात्रा की। श्रीलंका के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री की हरारे में एक बैठक हुई। श्रीलंका के विदेश सचिव दिल्ली-यात्रा पर आए तथा प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में कोलम्बो की यात्रा की। इन सभी बैठकों में भारत ने श्रीलंका की सरकार से यह अनुरोध किया है कि एक ओर भारतीय शांति सेना की वापसी और दूसरी ओर साथ-साथ ही भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में बातचीत की जानी चाहिए।

केरल के प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु सहायता

519. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को खेल प्रशिक्षण कैम्पों हेतु वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी सहायता दी गई;

(ख) केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान कितने राज्य स्तर के तथा कितने महिला-कैम्प आयोजित किए गए; और

(ग) केरल को वर्ष 1989-90 के दौरान प्रशिक्षण कैम्प आयोजित करने हेतु विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी सहायता दी जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने 1988-89 के दौरान केरल में दो प्रशिक्षण शिविरों के लिए 23,672.50 रु० का अनुदान स्वीकृत किया है।

(ख) 1988-89 के दौरान केरल में जूनियर बालकों एवं बालिकाओं के लिए एक जोनल स्तर का प्रशिक्षण शिविर तथा महिलाओं के लिए राज्य स्तर का एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था।

(ग) 1989-90 के दौरान प्रशिक्षण शिविरों के लिए सहायता हेतु केरल से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत और सोवियत संघ के बीच पत्तनों के विकास के लिए समझौता

520. **श्री शांतिलाल पटेल :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों के विकास संबंधी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम का तथा उनके मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषकों का एक दल ने सोवियत संघ का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सोवियत संघ के साथ यदि किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो उक्त समझौते सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रधानाचार्यों की भर्ती

521. **श्री शान्तिलाल पटेल :**

श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रधानाचार्यों के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे;

(ख) क्या विज्ञापन में सेवा-निवृत्त होने की आयु 60 वर्ष बताई गई थी;

(ग) क्या पद पर चयन किये जाने के पश्चात् सेवा-निवृत्त होने की आयु दो वर्ष कम कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका औचित्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां। आवेदन जुलाई, 1988 में आमंत्रित किये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

522. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने पर कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी

523. **श्री आर० एम० भोये** :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों से ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भूमि की उपजाऊ क्षमता/उत्पादकता कम हो गई है और खेती की प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती जा रही है, जबकि की गई सिफारिश के अनुसार अधिक कीमती आदानों का उपयोग किए जाने के बावजूद प्रति इकाई पैदावार में गिरावट आ रही है और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समाधान खोजने के लिए उक्त मामले की गहराई से जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पानी भरा रहने और मिट्टी में नमक की समस्या सिंचाई सुविधाओं के विकास के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन, ऐसी समस्यायें स्थानिक हैं। आमतौर पर मिट्टी की उर्वरता शक्ति तथा फसल की उत्पादकता में कोई स्पष्ट कमी नहीं आई है और सरकार ने मृदा संरक्षण, कमान क्षेत्र के विकास और उर्वरता शक्ति के सुधार के कार्यक्रम प्लान कार्यक्रमों के रूप में लगातार चलाये हैं।

यद्यपि, खेती की यूनिट-लागत बढ़ गई है, तथापि साथ ही पिछले वर्षों में कृषि उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठा है।

आन्ध्र प्रदेश में स्पंज आयरन परियोजनाओं की स्थापना

524. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :**

श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड आन्ध्र प्रदेश में तीन नई परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड ने काकीनाडा के निकट 400 करोड़ रुपए की लागत से एक गैस पर आधारित स्पंज आयरन संयंत्र और विजयनगर में 200 करोड़ रुपए की लागत से कोयले पर आधारित संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम विशाखापत्तनम में 400 करोड़ का "पैलेट प्लांट" स्थापित करने की योजना बना रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "सेल" की काकीनाडा के निकट गैस-आधारित स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। विजयनगर में एक स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

भारत द्वारा चकमा लोगों को अस्त्र सहायता दिया जाना

525. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने यह आरोप लगाया है कि भारत बंगला देश के चकमा लोगों को अस्त्र सहायता दे रहा है और वे बंगला देश से भाग कर हजारों की संख्या में सीमा में प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार को बंगला देश सरकार के ऐसे किसी आरोप की जानकारी नहीं है कि बंगला देश के चकमाओं को भारत से शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई भी आरोप पूर्णतः निराधार होगा।

खरीफ की फसल की बुवाई के संबंध में रिपोर्टें

526. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को खरीफ की फसल की बुवाई के सम्बन्ध में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसल बुवाई के इस सीजन के दौरान अधिक पैदावार देने वाले नये बीजों का उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका उपयोग करने से खरीफ की फसल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकतर राज्यों में खरीफ की बुवाई का कार्य पूरे जोरों पर है और बहुत से इलाकों में यह पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है।

(ग) और (घ) खरीफ मौसम के दौरान देश में धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की नई किस्मों सहित अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का सम्भावित वितरण 19-21 लाख क्विंटल के बीच होने की आशा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग का खरीफ उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ने की आशा है।

न्हावा शेवा पत्तन को चालू करना

527. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा शेवा पत्तन चालू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अन्तिम लागत कितनी है और यह मूल अनुमानित लागत की तुलना में कितनी अधिक है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस परियोजना के लिए मार्च, 1989 में 986.08 करोड़ रु० के संशोधित लागत अनुमान को संस्वीकृति दी है जिसमें पूंजीगत ब्याज शामिल है, जबकि 1983 में संस्वीकृत मूल अनुमान 506 करोड़ रु० का था।

निर्गुट देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से नामीबिया की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अनुरोध

528. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में मई के तीसरे सप्ताह में हरारे में निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यह आग्रह किया गया था कि वह संयुक्त संकल्प 433 के अंतर्गत नामीबिया की स्वतंत्रता कायम करने के सम्बन्ध में अपने अधिकार की पुनः घोषणा करे;

(ख) यदि हां, तो निर्गुट देशों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर भारत का रुख क्या था; और

(ग) निर्गुट देशों के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उपयुक्त कार्रवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प संख्या 435 में निहित संयुक्त राष्ट्र योजना का बिना शर्त कार्यान्वयन हो तथा उसमें और कोई बाधा न आए। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संक्रमण सहायता दल के सैन्य अंग का पूर्ण नियोजन किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र की इस क्षमता का सुनिश्चय हो सके कि वह अपनी देख-रेख और अपने नियंत्रण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से, बिना किसी प्रकार के डर और धमकी के नामीबिया को शीघ्र स्वतंत्रता दिलाने के प्रादेश को, बिना किसी पूर्वाग्रह के क्रियान्वित करने के लिए तैयार है।

(ख) हरारे में सम्पन्न गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की बैठक में कायम एक राय के आधार पर लिए गए निर्णय का भारत ने समर्थन किया।

(ग) गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष, जिम्बाब्वे ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की हरारे घोषणा को अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सरकारी दस्तावेज के रूप में परिचालित नहीं किया है। हरारे की बैठक के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 435 के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है।

आई० आर० बी० एम० का प्रक्षेपण

529. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ बाहरी देशों ने 22 मई, 1989 को भारत द्वारा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़े जाने पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे इस उप-महाद्वीप में शांति के लिए खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत की तत्संबंधी स्पष्ट परिभाषित नीति को ध्यान में रखते हुए उसकी निर्मूल आशंकाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) विदेश सरकारों के साथ इस संदर्भ में जो बातचीत हुई है, वे गोपनीय राजनयिक विचार-विमर्श के स्वरूप की है और इसका ब्यौरा देना जन-हित में नहीं होगा।

दिल्ली में आटोरिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा किराया मीटरों से छेड़छाड़

530. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या अन्तर-भूत परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि दिल्ली में भारी पैमाने पर आटोरिक्शा और टैक्सी चालक किराया-मीटरों से छेड़छाड़ करते हैं जिससे उनमें यात्रा करने वाले लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 और 1989 में अब तक प्रत्येक तिमाही के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ग) त्रिपाहिया स्कूटर और टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों का इस प्रकार से किये जा रहे शोषण को रोकने के लिये क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जून, 1989 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान टैक्सी मीटरों के संबंध में 9 मामले और आटोरिक्शा मीटरों के सम्बन्ध में 374 मामले दर्ज किए गए हैं। 1988 और 1989 में पहले की तिमाहियों में उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किया था। भाड़ा-मीटरों की आवधिक जांच दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय के इंफोर्समेंट विंग की सहायता से तोल एवं माप नियंत्रक द्वारा की जाती है।

उड़ीसा में सन्तरों का वृक्षारोपण

531. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पल्लाहारा और देवगढ़ उप-मंडलों को जलवायु सन्तरों के वृक्षारोपण के लिए बहुत ही अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो इन उप-मंडलों में सन्तरों के वृक्षारोपण के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई अथवा दिए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार उत्पादकों को बीजांड ग्रंथ वाली कलमें और कलीदार पौधे सप्लाई कर रही है। तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) सन्तरे के उत्पादन की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

चावल उत्पादन का लक्ष्य

532. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में चावल उत्पादन का राज्यवार कितना लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अब लक्ष्यों में कोई वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित किए गए संशोधित लक्ष्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए चावल के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और संशोधित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान चावल के उत्पादन के मूल रूप में निर्धारित लक्ष्य और अब संशोधित लक्ष्य

(लाख मीटरी टन)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य	1989-90 के लिए संशोधन लक्ष्य
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.68	1.40
2.	आन्ध्र प्रदेश	104.25	93.00
3.	असम	40.00	32.00
4.	बिहार	70.00	66.00
5.	गोवा	1.62	2.00
6.	गुजरात	10.0C	9.00
7.	हरियाणा	17.00	19.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.40	1.40
9.	जम्मू व कश्मीर	8.45	6.20
10.	कर्नाटक	32.47	25.00
11.	केरल	16.00	13.00
12.	मध्य प्रदेश	59.00	56.00
13.	महाराष्ट्र	29.40	26.50
14.	मणिपुर	4.41	4.00
15.	मेघालय	1.84	1.25
16.	मिजोरम	0.90	0.55
17.	नागालैण्ड	1.60	1.30
18.	उड़ीसा	65.00	56.00
19.	पंजाब	55.00	59.50
20.	राजस्थान	2.55	2.00
21.	सिक्किम	0.20	0.20

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	75.00	60.00
23.	त्रिपुरा	4.75	4.50
24.	उत्तर प्रदेश	110.00	93.05
25.	पश्चिम बंगाल	87.00	91.00
	अखिल भारत	**	725.10

* दमन एवं दीव सहित

** देश के लिए कुल लक्ष्य 730.00 लाख मीटरी टन से 750.00 लाख मीटरी टन था ।

खारा पानी झींगा पालन को प्रोत्साहन

533. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खारा-पानी झींगा पालन को विकसित करने में कौन-सी मुख्य कठिनाइयां पेश आ रही हैं; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने तथा इस संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार की सहायता करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उड़ीसा में खारा पानी झींगा पालन को विकसित करने में आने वाली कुछ मुख्य कठिनाइयों निम्नलिखित हैं —

(1) पालन की प्रक्रिया के लिए समय पर झींगा के जीरा की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता;

(2) पेलेटाइज्ड अनुपूरक खाद्य की अनुपलब्धता;

(3) खारा पानी के स्थलों पर सड़क संसार, ताजा जल की आपूर्ति तथा बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता;

(4) विशेषकर चिल्का आदि क्षेत्र में वैयक्तिक किसानों और उद्यमियों को उपयुक्त खारा जल क्षेत्रों की लीज पर देने में विलम्ब ।

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं—

(1) भारत सरकार ने 7 खारा पानी झींगा क्षेत्रों की स्थापना की मंजूरी दी है जो उड़ीसा के विभिन्न भागों में सब मिलाकर लगभग 524.5 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करते हैं । सरकार ने अग्रीपल्ली में एक झींगा हैचरी, तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति एजेंसी 50 हैक्टेयर खारा पानी क्षेत्र के विकास के लिए कटक और गंजम जिले में दो खारापानी मत्स्य विकास एजेंसियों की स्थापना की मंजूरी दी है ।

(2) यू० एन० डी० पी० तटवर्ती एक्वाकल्चर परियोजना के तहत झींगा जीरा हैचरी की स्थापना के लिए चन्द्रभागा में स्थल अभिज्ञात किया गया है।

(3) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गोपालपुर में एक झींगा जीरा हैचरी की स्थापना की गई है जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष टाईगर झींगा के लगभग 25 मिलियन पोस्ट लावा-20 (पी० एल० 20) है।

(4) सरकार ने खारा पानी भूमि पट्टा और खारा पानी एक्वाकल्चर के उपयोग के के विकास के लिए समान नीति तैयार करने के लिए उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

दुधारू पशुओं की उत्पादकता

534. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध क्रांति के फलस्वरूप दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो वर्ष 1970 से अब तक विभिन्न दुधारू पशुओं की उत्पादकता में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न डेयरी और पशुपालन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1970 से अब तक राज्यवार कितना पूंजीनिवेश किया गया है;

(ग) क्या इस समय सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली सभी दुग्ध सहकारी समितियों को अधिक उत्पादन के लिए पंचायतों को सौंपे जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां। विभिन्न पशु पालन और डेयरी विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के कारण देश में दुग्ध उत्पादन 1960-61 में 20.0 मिलियन टन और 1973-74 में 23.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 1986-87 में 45.6 मिलियन टन हो गया है। 1987-88 और 1988-89 के वर्षों के दौरान दूध का संभावित उत्पादन क्रमशः 46.0 और 48.7 मिलियन टन था। यह दुधारू गोपशुओं और भैंसों की उत्पादकता में समग्र वृद्धि दर्शाता है। विभिन्न वर्षों में विभिन्न राज्यों के लिए गायों और भैंसों की उत्पादकता के उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) चौथी योजना के प्रारंभ से लेकर छठी योजना के अंत तक पशु पालन और डेयरी क्षेत्र पर राज्य पूंजी निवेश (प्लान) 1398 करोड़ रुपये का है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985-86 से 1988-89 तक की गई पूंजी-निवेश और विभिन्न राज्यों में 1989-90 के लिए किया गया आवंटन संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत डेरी सहकारी समितियां पंचायतों को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत डेरी सहकारी समितियां ग्राम स्तर पर दूध उत्पादकों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी निकाय है, जो उनसे संबंधित ग्राम समितियों में दूध के संचयन परीक्षण और भुगतान का प्रबंध करती हैं।

विवरण-1

प्रतिदिन प्रति दुधारू पशु दुग्ध उत्पादन

(कि० ग्राम० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गाय का दूध		भैंस का दूध	
		1985-86	1986-87	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	1.754	1.764	3.610	3.620
2.	गुजरात	2.565	2.599	3.584	3.561
3.	हरियाणा	3.384	3.391	4.580	4.578
4.	हिमाचल प्रदेश	1.397	1.502	3.008	3.146
5.	कर्नाटक	1.692	1.722	2.266	2.268
6.	केरल	3.089	3.110	3.011	2.829
7.	मध्य प्रदेश	1.220	1.380	2.470	2.540
8.	महाराष्ट्र	1.301	1.297	2.482	2.548
9.	मेघालय	—	—	2.070	2.070
10.	उड़ीसा	0.513	0.512	1.214	1.282
11.	राजस्थान	2.710	2.720	3.800	3.850
12.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	2.332		
13.	तमिलनाडु	2.524	3.019	3.464	3.543
14.	उत्तर प्रदेश	1.826	1.912	3.148	3.249
15.	पश्चिम बंगाल संघराज्य क्षेत्र	उपलब्ध नहीं	1.372	उपलब्ध नहीं	3.796
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	2.674	2.821	2.834
17.	दिल्ली	4.229	उपलब्ध नहीं	5.625	5.885
18.	लक्षद्वीप	4.000	2.450	—	—
19.	पांडिचेरी	2.786	3.120	—	—

विवरण-2

पशुपालन तथा डेरी पर राज्य पूंजीनिवेश

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक						प्रत्याशित		नियतन	
		1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
		पशु-पालन	डेरी	पशु-पालन	डेरी	पशु-पालन	डेरी	पशु-पालन	डेरी	पशु-पालन	डेरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	280	170	413	210	643	200	521	180	671	180
2.	अरुणाचल प्रदेश	143	17	153	18	166	23	215	14	200	30
3.	असम	620	215	790	270	877	305	864	240	1080	385
4.	बिहार	545	376	907	452	554	388	435	322	658	483
5.	गुजरात	257	23	330	25	426	36	400	40	475	50
6.	गोवा*	85	6	97	12	83	13	112	18	120	18
7.	हरियाणा	269	84	364	80	404	89	450	90	598	45
8.	हिमाचल प्रदेश	111	48	144	45	172	53	155	75	226	98
9.	जम्मू व कश्मीर	451	34	555	95	806	45	697	30	820	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	कर्नाटक	171	154	221	279	303	260	434	260	689	322
11.	केरल	231	140	244	332	208	232	295	230	350	240
12.	मध्य प्रदेश	514	42	562	83	604	140	723	171	871	282
13.	महाराष्ट्र	599	728	649	726	888	928	1148	779	1371	790
14.	मणिपुर	68	9	95	16	123	21	170	30	195	31
15.	मेघालय	119	18	139	20	150	22	195	25	227	30
16.	मिजोरम	150	5	178	7	171	12	200	8	225	7
17.	नागालैंड	111	9	129	14	200	10	205	30	375	36
18.	उड़ीसा	299	41	457	95	466	121	565	134	641	141
19.	पंजाब	392	71	527	67	502	80	721	155	806	186
20.	राजस्थान	348	200	367	248	451	171	500	170	700	200
21.	सिक्किम	137	13	144	16	151	19	184	21	215	25
22.	तमिलनाडु	339	43	362	36	431	83	507	70	567	86
23.	त्रिपुरा	179	32	270	38	238	46	170	50	335	66
24.	उत्तर प्रदेश	681	519	954	531	1197	536	1252	599	1592	421
25.	पश्चिम बंगाल	320	137	396	199	516	177	590	171	653	202
	संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	61	—	53	—	100	—	80	25	80	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	चंडीगढ़	7	—	12	—	15	—	19	—	20	—
3.	दादर तथा नगर हवेली	14	3	15	1	19	3	20	5	21	5
4.	दिल्ली	62	—	75	—	105	—	83	—	115	50
5.	लक्षद्वीप	49	—	56	—	58	—	63	—	61	—
6.	पांडिचेरी	48	2	56	7	53	10	55	12	70	9

* दमन और दीव शामिल हैं।

पंजाब में समन्वित बाल विकास सेवा योजना

535. **श्री कमल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में समन्वित बाल विकास सेवा योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समन्वित बाल विकास सेवा योजना को कब तक और कौन-कौन से क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई गई एक मुश्त सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 तक पंजाब को स्वीकृत की गयी 48 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

पंजाब को पहले से स्वीकृत की गई इन 48 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अतिरिक्त, 1989-90 के लिए राज्य की ऐसी 12 परियोजनायें और आवंटित की गयी हैं। इन 12 परियोजनाओं के स्थानों का निर्धारण राज्य सरकार के परामर्श से किया जा रहा है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की सामूहिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस राज्य में पूरक पोषाहार और स्कूल-पूर्व शिक्षा सेवाओं के लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या 31-3-88 और 31-3-89 की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार है —

(क) पूरक पोषाहार सेवाओं के लाभप्राप्तकर्त्ता

(1) 31-3-88 के अनुसार

बच्चे	2,05,870
महिलायें	43,340
कुल	2,49,210

(2) 31-3-89 के अनुसार

बच्चे	2,00,530
महिलायें	43,560
कुल	2,44,090

(ख) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के लाभ प्राप्तकर्ता (3 से 6 वर्ष के बच्चे)

(1) 31-3-88 के अनुसार	1,36,170
(2) 31-3-89 के अनुसार	1,39,610

विवरण

31-3-89 तक पंजाब में स्वीकृत आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के स्थान

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मंजूरी का वर्ष
1	2	3
	जिला अमृतसर	
1.	अमृतसर	1981-82
2.	खुदूर साहब	1982-83
3.	अजनाला	1983-84
	जिला भटिंडा	
1.	नथाना	1978-79
2.	फूल	1982-83
3.	भुनीर	1983-84
4.	बुढलाडा	1985-86
5.	तलबंडी साबो	1985-86
	जिला फरीदकोट	
1.	लाम्बी	1978-79
2.	कोटकपूरा	1983-84
	जिला फिरोजपुर	
1.	धालकुदं	1982-83
	जिला गुरदासपुर	
1.	नरोद जयमल सिंह	1979-80
2.	बटाला	1982-83
3.	धारकलां	1983-84
4.	बामियल	1988-89
	जिला होशियारपुर	
1.	बलाचौर	1979-80
2.	भुंगा	1 83-84
3.	होशियारपुर-II	1983-84

1	2	3
4.	होशियारपुर-I	1986-87
5.	महिलपुर	1988-89
	जालन्धर	
1.	बंगा	1981-82
2.	नकोदर	1981-82
3.	जलन्धर शहर	1982-83
4.	आदमपुर	1986-87
5.	अठर	1986-87
6.	भोगपुर	1986-87
7.	पूर्वी जलन्धर	1986-87
8.	नवांशहर	1986-87
9.	शाहकोट	1986-87
10.	फिलौर	1988-89
11.	नूर महल	1988-89
	जिला कपूरथला	
1.	नाडला	1983-84
2.	सुल्तानपुर लोधी	1983-84
3.	फउवाड़ा	1986-87
	जिला लुधियाना	
1.	मानगढ़	1980-81
2.	समराला	1982-83
3.	लुधियाना सिटी	1985-86
4.	लुधियाना-I	1985-86
5.	लुधियाना-II	1986-87
	जिला पटियाला	
1.	बस्सी पवानां	1982-83
2.	भुनेर-हेरी	1983-84
3.	पटियाला सिटी	1985-86

1	2	3
	जिला रोपड़	
1.	नूरपुर बेदी	1975-76
2.	आनन्दपुर साहेब	1983-84
3.	मजरी	1983-84
	जिला संगरूर	
1.	बरनाला	1982-83
2.	लेहड़ा गारा	1983-84

पंजाब में निरक्षरता दूर करने के काम में लगी स्वैच्छिक एजेंसियां

536. **श्री कमल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में निरक्षरता दूर करने के काम में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने राज्य से निरक्षरता दूर करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार ने राज्य में निरक्षरता उन्मूलन के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं :—

(i) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत, स्वच्छिक संस्थाओं को संलग्न विवरणों के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र से 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 30 प्रौढ़ निरक्षरों को नामांकित किए जाने की आशा की जाती है।

(ii) ग्रामीण कार्यकारी साक्षरता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 2432 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए पंजाब सरकार को 98,14,161 रु० की राशि जारी की गई।

(iii) पंजाब सरकार ने राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 521 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी स्थापित किए।

(iv) 8970 छात्रों ने कार्यकारी साक्षरता के व्यापक कार्यक्रम में भाग लिया तथा उन्होंने 8982 निरक्षरों प्रौढ़ों का नामांकन किया।

विवरण

निरक्षरता उन्मूलन के लिए पंजाब में अनुबंधित स्वैच्छिक संस्थाएं

क्र० सं०	स्वैच्छिक संस्था का नाम व पता	प्रौ० शि० के०/ज० शि० नि० की अनुमोदित संख्या	कार्य का क्षेत्र
1.	महिला व बाल कल्याण के लिए कस्तूरबा गांधी शैक्षिक सोसाइटी मु० 3097 सेक्टर 44-डी चंडीगढ़	15 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	रूपनगर जिले की खरार तहसील
2.	स्थानीय समिति मुख्य खालसा, दीवान, तरनतारन, अमृतसर जिला, पंजाब-143401	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	तरनतारन, जिला अमृतसर
3.	सर्वभारती श्री रविदास प्रचार फाउंडेशन 393, सैक्टर-38 चंडीगढ़-160036	(i) 100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (ii) 10 जन शिक्षा निलायम	कपूरथला जिला कपूरथला जिला
4.	पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड मु० 1143, सैक्टर-36-सी, चंडीगढ़-160036	300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	चोला साहिब नौशेरा पन्नौआ

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निदेशक-मण्डल की बैठक

537. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निदेशक-मण्डल की हाल ही में 53वीं बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां। यह 13-7-1989 को आयोजित की गयी थी।

(ख) बैठक के कार्यवृत्त अभी तक जारी नहीं किये गये हैं।

कम्प्यूटर विज्ञान की शिक्षा और प्रशिक्षण दिलाने वाले संस्थान

538. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कम्प्यूटर विज्ञान का शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कितने संस्थान हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनमें से अधिकतर संस्थान पंजीकृत नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी संस्थानों का प्रतिबंध लगाने अथवा उन्हें मान्यता प्रदान करने का है क्योंकि उन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले मान्यता-प्राप्त संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट सेक्टर में 20 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त संगठन है जो विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर संबंधी पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।

(ग) सरकार प्राइवेट संस्थाओं में अथवा स्वतः अध्ययन के जरिए कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की योजना को आरम्भ करने पर विचार कर रही है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्र सरकार में रोजगार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

विवरण

दिल्ली में विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
2. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
3. दिल्ली विश्वविद्यालय, कला संकाय
4. जामिया मिलिया इस्लामिया
5. दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान
6. दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कालेज :—
   (i) हंस राज कालेज
   (ii) करोड़ी मल कालेज
   (iii) मिरांडा हाउस
   (iv) एस० जी० टी० बी०, खालसा कालेज
   (v) मोतीलाल नेहरू कालेज
   (vi) देशबंधु कालेज
   (vii) दयाल सिंह कालेज
   (viii) शिवाजी कालेज
   (ix) सेंट स्टीफंस कालेज
7. IV. बायज पालिटेक्नीक, पूसा
8. कस्तूरबा गांधी महिला पालिटेक्नीक, महारानी बाग।

9. पूसा पालिटेक्नीक

10. टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर, वजीरपुर

11. प्रोटोटाइज डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेन्टर, ओखला इनडस्ट्रियल स्टेट

12. इनडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पूसा

13. राष्ट्रीय महिला व्यावसायीकरण प्रशिक्षण संस्थान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

14. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अंतर्गत सात स्कूल :

(i) गवर्नमेंट बायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नं० 3, सरोजनी नगर

(ii) गवर्नमेंट बायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नं० 4, सरोजनी नगर

(iii) गवर्नमेंट बायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लक्ष्मी नगर

(iv) गवर्नमेंट बायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एस० यू० ब्लाक, पीतमपुरा

(v) गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नं० 1, रूप नगर

(vi) गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ए ब्लाक, जनकपुरी

(vii) गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डी ब्लाक, जनकपुरी

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

539. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग मई, 1989 में तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इन क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास संबंधी उपाय करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ भाग मई, 1989 में आए समुद्री तूफान के कारण प्रभावित हुए थे। इन राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा के कारण जान-माल की हुई क्षति निम्न प्रकार हैं :

क्र०सं०	मद	उड़ीसा	पश्चिमी बंगाल
1	2	3	4
1.	प्रभावित जिलों की संख्या (पूर्ण रूप से)	4 बालासोर/कटक	10 मिदनापुर

1	2	3	4
			हुगली बर्द्धवान बांकुरा मालदा पश्चिमी दीनाजपुर बीरभूम मुर्शीदाबाद कूच-बिहार दार्जिलिंग
	(आंशिक रूप से)	मयूरभंज/ पुरी	
2.	प्रभावित गावों की संख्या	5546	17643
3.	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	25.16	29.0
4.	हुई मानव मौतें	24	42
5.	मृतक मवेशी	716	1808
6.	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	24080	सूचना नहीं मिली है।
7.	क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या (पूरी तरह से)	7095	64816
	(आंशिक रूप से)	26110	245533

(ग) इन राज्य सरकारों से इस आपदा हेतु केन्द्रीय सहायता मांगने सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिए वर्ष 1989-90 हेतु क्रमशः 46.25 करोड़ रुपए और 23.75 करोड़ रुपए की सीमान्त धनराशि प्राप्त की है। मृतकों और हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को सहायता देने के लिए प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से पश्चिम बंगाल सरकार को 4.22 लाख रुपए और उड़ीसा सरकार को 2.66 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय संदर्शी योजना में की गई सिफारिशों को स्वीकार करना

540. **डा० ए० के० पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय संदर्शी योजना की सिफारिशों के संबंध में निर्णय के बारे में 2 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय संदर्शी योजना में ली गई किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और ऐसी प्रत्येक सिफारिश पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ख) कौन-सी सिफारिशें किन-किन कारणों से स्वीकार नहीं की गई हैं;

(ग) कौन-सी सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं; और

(घ) शेष सिफारिशों पर निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की सिफारिशों पर सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालयों में योग और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति

[हिन्दी]

541. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और योग दोनों के प्रशिक्षण हेतु एक अध्यापक नियुक्त करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या अब शारीरिक शिक्षा और योग के लिए पृथक-पृथक अध्यापकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में योग अध्यापकों की भर्ती करने पर विचार कर रही है;

(घ) ये भर्तियां कब तक की जायेंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने दिनांक 26-11-86 को हुई अपनी बैठक में शारीरिक शिक्षा के साथ योगा शिक्षण को समाविष्ट करने का निर्णय किया।

(ख) उपर्युक्त निर्णय को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड द्वारा दिनांक 27-12-88 को हुई इसकी बैठक में समीक्षा की गयी जिसने यह निर्णय किया कि योगा एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और बड़े स्कूलों में जहां शिक्षण भार इसे न्यायोचित ठहराता है, वहां पूर्णकालीन योगा शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए और छोटे स्कूलों में अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति करके या विद्यमान शिक्षकों में से एक को जो योगा में प्रशिक्षित हो का प्रयोग करके प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

(ग) से (ङ) योगा शिक्षकों की भर्ती तब की जाएगी जब इनकी आवश्यकता होगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में शिकायत पेटी

542. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों में यात्रियों की शिकायतों के लिए शिकायत पेटियां उपलब्ध करायी हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम ने ऐसी पेटियां उपलब्ध कराने में कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या इन पेटियों के माध्यम से यात्रियों की शिकायतें मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह पेटियां उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 3 लाख रु०।

(ग) जी, हां।

(घ) 249

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

[अनुवाद]

543. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां औसतन रूप में 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं अथवा भूमिगत खानों में 75 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उन खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कर्मचारियों की संख्या 75 से अधिक है किन्तु 150 से कम अथवा भूमिगत खानों में 30 से अधिक हैं; और

(ग) उन खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो उक्त दोनों श्रेणियों में से किसी श्रेणी में नहीं आती हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

1987 में ऐसी खानों* की राज्य-वार संख्या जहां 150 से अधिक अथवा भूमिगत खानों में 75 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

आन्ध्र प्रदेश	9
असम	1
बिहार	31
दिल्ली	—
गोआ	16

गुजरात	6
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	—
कर्नाटक	29
केरल	5
मध्य प्रदेश	28
महाराष्ट्र	14
मणिपुर	—
मेघालय	1
उड़ीसा	62
राजस्थान	28
सिक्किम	1
तमिलनाडु	12
उत्तर प्रदेश	7
पश्चिम बंगाल	2

* इन आंकड़ों में ईंधन, परमाणु तथा अप्रधान खनिजों की खानें शामिल नहीं हैं।

न्यूआगढ़ (अस्तरंग) में मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण

544. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में न्यूआगढ़ (अस्तरंग) मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्राप्ति हुई है;

(ख) इस बन्दरगाह के लिए उड़ीसा सरकार को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बन्दरगाह का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) न्यूआगढ़ मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण में करीब 20 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में अभी तक 60 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) मौजूदा समय-सूची के अनुसार मत्स्य बन्दरगाह का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1991 तक पूरा हो जाने की आशा है।

उड़ीसा में बागवानी को बढ़ावा देना

545. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटवर्ती राज्यों में बागवानी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में सब्जियों तथा फलों की उपज को बढ़ावा देने के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान कौन से विशेष उपाय किये गये हैं; और

(ग) उड़ीसा को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव), (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं अर्थात् गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री का उत्पादन तथा सप्लाई, किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अन्तरण, उन्नत कृषि तकनीकों को लोकप्रिय बनाना, सब्जियों के मिनिकिटों का वितरण, रियायती लागत पर आदानों की सप्लाई आदि।

(ग) भारत सरकार और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 24.602 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता विस्तृत रूप में नीचे दी गयी है—

कार्यक्रम	केन्द्रीय सहायता
(1) फलों और सब्जियों का उत्पादन -- सब्जियों के बीज उत्पादन में वृद्धि करना।	6,52,000 रुपए
(2) सूखा 1987 हेतु आकस्मिक योजना -- सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना।	7,00,000 रुपए
(3) सूखा से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के आस-पास सब्जियों की आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु आकस्मिक योजना।	1,01,800 रुपए
(4) मिनिकिटों के वितरण के जरिए सब्जियों की खेती को बढ़ाना।	8,14,400 रुपए
(5) फल वृक्षों के गुणवत्ता वाली फोध सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति।	1,62,500 रुपए
(6) फल एवं सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अन्तरण।	29,500 रुपए
योग :	24,60,200 रुपए

उड़ीसा में मत्स्य उद्योग के विकास हेतु विदेशी सहायता

546. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग के विकास हेतु उड़ीसा में कुछ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी हां, उड़ीसा मत्स्य जिला विकास कार्यक्रम अप्रैल, 1986 से अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए स्थापित नार्वे की एजेंसी की सहायता से उड़ीसा के बालासोर जिले के कैसाफल क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति तथा समाज सेवा में सुधार लाते हुए गरीब तबके तथा मछुआरा समुदाय के परिवारों पर विशेष बल देकर उस क्षेत्र के लोगों के सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस कार्यक्रम में पहुंच पथ प्राथमिक विद्यालय भवनों, अस्पताल भवन, स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण, बीकन लाइट की व्यवस्था, बहाबलपुर समुद्र तट पर घाट का निर्माण, पेय जल आपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालयों के लिए उपस्करों की व्यवस्था शामिल है।

(ग) इस परियोजना के लिए एन० ओ० के 25 मिलियन (जो लगभग 5.8 करोड़ रुपये के बराबर है) की वचनबद्धता है, जिसमें से अब तक भारत सरकार के खाते में जमा की गई राशि 2.85 करोड़ रुपये है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का आधुनिकीकरण

547. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का आधुनिकीकरण किया जाएगा;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक की सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण की एक योजना आरम्भ की है। बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खडगपुर और मद्रास स्थित सभी 5 भा० प्रौ० सं० भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल हैं और वर्ष 1986-87 से 1988-87 की अवधि के दौरान 2044 लाख रु० की एक राशि भा० प्रौ० सं० को उनके प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए पहले ही संस्वीकृत कर दी गई है। वर्ष 1989-90 के लिए 550 लाख की राशि निर्धारित की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

548. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियमों में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 हाल ही में संशोधित किया जा चुका है और ये संशोधन 10 फरवरी, 1987 से लागू हैं। खनिज रियायत नियम, 1960 में भी 1987 और 1988 में तदनुरूप संशोधन किए गए हैं। इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में संशोधन करने संबंधी कुछ और प्रस्ताव राज्य सरकारों से मिले हैं और उन पर विचार किया गया है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अधिकांशतः नये प्रावधानों से संबंधित हैं तथा उन प्रावधानों को संशोधित करने या निरस्त करने पर विचार करना अभी सामयिक नहीं होगा। खनिज रियायत नियम, 1960 में शीघ्र ही कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में शिक्षित युवकों को सम्मिलित करना

549. **श्री तम्पन थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में शिक्षित युवकों को सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में ग्रामीण विकास हेतु बेरोजगार शिल्पियों (टेक्नोक्राफ्ट्स) की सहायता से वर्ष 1972 से 1976 के बीच काफी संख्या में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की थी; और

(ग) यदि हां, तो चालू योजना को सशक्त बनाने की बजाए, ग्रामीण विकास हेतु एक और योजना शुरू किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से शिक्षित युवकों को लाभ पहुंचाने के लिए और ग्रामीण विकास की योजनाओं में उनको शामिल करके अभिवृद्धि की पहले ही योजनाएं विद्यमान हैं। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत ग्रामीण समाज के सबसे अधिक निर्धन वर्गों से संबंधित ग्रामीण युवक कृषि के विशाल क्षेत्र और उससे संबंधित गतिविधियों, उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापारिक गतिविधियों में स्वरोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कुशल शिल्पियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिसमें युवा स्वैच्छिक संगठन जिनमें युवा, तकनीकी संस्थान आदि सदस्य हो सकते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवाओं तथा व्यापारिक क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवक केन्द्र जैसी योजनाओं के अन्तर्गत, युवकों को ग्रामीण विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस समय ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए शिक्षित युवाओं हेतु किसी नई योजना का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 1971 में कृषि सेवा केन्द्र नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के उद्देश्य (1) कृषि सेवा केन्द्रों को स्थापित करने के लिए चुने हुए उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देना और (2) किसानों को निवेश और तकनीकी सेवा की व्यवस्था करना था। यह योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के इस संबंध में एक निर्णय के परिणामस्वरूप 1-4-79 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन

550. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वैधानिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ०भा०त०शि०प०) ने निम्नलिखित मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं जिन्हें निजी (प्राइवेट) तकनीकी संस्थाओं के प्रबन्धों द्वारा देश में तकनीकी शिक्षा की पद्धति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नई संस्थाओं/नए पाठ्यक्रमों के लिए अ०भा०त०शि०प० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाना है :—

(1) संगठन की वित्तीय स्थिति सही है।

(2) संगठन की वास्तविक रूप से तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि है और केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की सहायता से अथवा बिना सहायता के शैक्षिक सुविधाओं को विकसित करने का इतिहास/पृष्ठभूमि है।

(3) अभिशासी परिषद सहित प्रबन्ध पद्धति को अ०भा०त०शि०प० द्वारा निर्धारित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार होना चाहिए।

(4) अभिशासी परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति अ०भा०त०शि०प० द्वारा निर्धारित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार की जाएगी।

(5) अवस्थापना तथा अन्य सुविधाएं अ०भा०त०शि०प० द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए।

(6) दाखिले योग्यता के आधार पर कड़ाई से किए जाने चाहिए और संबंधित संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहिए अथवा राष्ट्रीय महत्व की प्रौद्योगिकी संस्थाओं अथवा ऐसे ही अन्य निकायों द्वारा संचालित परीक्षाओं में सहयोजित

किया जाना चाहिए और छात्रों को योग्यता के क्रम में इन परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में से लेना चाहिए।

(7) शिक्षा तथा अन्य शुल्क अ०भा०त०शि०प० द्वारा निर्धारित समग्र मानदण्ड में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

(8) संस्था को वित्तीय रूप से और शैक्षिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए।

(9) आरम्भ किए जाने वाले पाठ्यक्रम आंकलित तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए और जहां तक सम्भव हो उभरते हुए क्षेत्रों में होने चाहिए अथवा जहां रोजगार की संभाव्यता का स्पष्ट रूप से आभास हो जाता है।

(10) संस्था के लेखों की लेखा परीक्षा सनदी लेखापाल द्वारा की जानी चाहिए और अ०भा०त०शि०प० द्वारा अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए जांच के लिए खुले होने चाहिए।

(11) स्टाफ की नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर अ०भा०त०शि०परि० द्वारा यथा निर्धारित अर्हताओं और अनुभव के अनुसार खुले चयन द्वारा की जानी चाहिए।

(12) इन प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण सम्बन्धित राज्य सरकारों की नीति के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए।

ये मार्गदर्शी रूपरेखाएं सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचना और अनुपालन के लिए जारी कर दी गई हैं।

सातवीं योजना के दौरान नवोदय विद्यालयों की स्थापना

551. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान नये नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इन विद्यालयों को खोलने के लिए किन स्थानों का चयन किया है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में भंजनगर अथवा बड़गाडा में नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है जहां पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं सहित भवन उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) योजना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में औसतन एक-एक नवोदय विद्यालय खोला जाना है। 1987-88 में गंजम जिले में सुरंगी ग्राम में एक ऐसा नवोदय विद्यालय पहले ही खोला जा चुका है। अतः इस समय गंजम जिले में बड़गाडा अथवा भंजनगर में उसी जिले में कोई दूसरा नवोदय विद्यालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सुधार करने के लिए भारत का आवाहन

552. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हरारे में आयोजित बैठक में गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सुधार लाने का आवाहन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय सुझाये गये थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सितम्बर, 1988 में साइप्रस में विदेश मंत्रियों की बैठक में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, उसकी तैयारियों, संगठनों, विषय, प्रलेखन का स्वरूप, प्रपत्र और कार्य पद्धतियों और प्रभावकारिता के संबंध में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के आलोचनात्मक मूल्यांकन कमने का निर्णय लिया गया था। भारत उस मंत्री स्तरीय समिति का एक सक्रिय सदस्य था जो इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी। समिति ने, जिसकी अध्यक्षता साइप्रस के विदेश मंत्री ने की, मंत्री-स्तरीय समन्वय ब्यूरो की हरारे में हुई बैठक पर एक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जिस पर बेलग्रेड में होने वाले 9वें शिखर-सम्मेलन में राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों द्वारा विचार किया जाएगा।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों के दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के परीक्षाफल

553. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गत अनेक वर्षों की तुलना में सरकारी स्कूलों के दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के परीक्षाफल इस वर्ष काफी खराब रहे हैं;

(ख) इस वर्ष उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है और गत तीन वर्षों की तुलना में यह किस प्रकार तुलनीय है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सरकारी स्कूलों के कक्षा X और कक्षा XII के परिणाम और उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता निम्नलिखित हैं –

वर्ष	माध्यमिक परीक्षा	सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
1987	52.1%	74.5%
1988	64.8%	84.8%
1989	52.1%	81.5%

(ग) कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, शिक्षण स्टाफ सहित अवस्थापना सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध ग्रहण करना

554. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार कर्नाटक में किन्हीं इस्पात संयंत्रों का प्रबन्ध-ग्रहण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका प्रबन्ध ग्रहण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) और (ख) कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० (बी० आई० एस० एल०) के अधिग्रहण की शक्यता की जांच की जाए। यह संयंत्र राष्ट्रीय गौरव का है, जिसका नाम इंजीनियर-राजनेता, श्री विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। सरकार ने विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० के शीघ्र ही अधिग्रहण के लिए "सेल" को निदेश देने का निर्णय लिया है।

सरकार ने "सेल" को यह भी निदेश दिया है कि वह इक्विटी सम्पत्ति के स्थानान्तरण की विस्तृत प्रक्रियाओं को तैयार करने हेतु शीघ्र कार्यवाई करें। "सेल" को यह भी निदेश दिया गया है कि वे इस संयंत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाएं तथा सामरिक महत्व के अति परिष्कृत उपयोगी इस्पात मिश्र का उत्पादन करें और इस संयंत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए संयंत्र को पुनः स्थापित करने हेतु ठोस कदम उठाएं।

मंगलोर में "हाट ब्रिकेटिड" लौह संयंत्र की स्थापना

555. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने मंगलौर "हाट ब्रिकेटिड" लौह-संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की कुल लागत कितनी है;

(ग) यह संयंत्र कब से उत्पादन करना आरम्भ कर देगा; और

(घ) क्या मंगलोर में इस प्रस्तावित संयंत्र के लिए भूमि और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 310 करोड़ रुपये है।

(ग) निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद लगभग 3-1/2 वर्ष लगेंगे।

(घ) जी, नहीं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लिया जाने वाला समय

556. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता में पासपोर्ट जारी करने में औसत कितने दिन लग जाते हैं; और

(ख) प्रतीक्षा अवधि को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,

कलकत्ता में प्रक्रियात्मक अपेक्षायें पूरी हो जाने के बाद अर्थात् पुलिस से स्पष्ट सुरक्षा और पहचान रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर 5 कार्य दिवसों में नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है।

(ख) हाल ही में विभाग में सभी पुराने शेष काम को निपटाने के लिए एक शेष कार्य निकासी अभियान चलाया गया था। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह पासपोर्ट आवेदकों के बारे में रिपोर्टें शीघ्र भेजने के लिए अपने पुलिस प्राधिकारियों पर जोर दें। पासपोर्ट कार्यालय पुलिस प्राधिकारियों को नियतकालिक स्मारक भेजते हैं।

कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना

557. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोवा में महिलाओं के लिए पुनर्वास योजनायें

558. **श्री शांताराम नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुसीबत में पड़ी महिलाओं के पुनर्वास के लिए गोवा में कौन-कौन-सी योजनायें चलाई गई हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास की योजना का कार्यान्वयन उन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता है जिनके आवेदन पत्र राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। संबंधित स्वयंसेवी संगठन, और राज्य सरकार कुल व्यय का क्रमशः 10% और 45% वहन करते हैं। यह योजना गोवा में क्रियान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) शून्य।

गोवा में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम में सहायता योजना का कार्यान्वयन

559. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम में सहायता योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजनावधि में गोआ में इस पर हुए मद-वार खर्च और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता

कार्यक्रम (स्टेप) की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना को देश भर में क्रियान्वित किए जाने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा में महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने हेतु शिक्षा का योजना कार्य कार्यान्वयन

560. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में "महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने हेतु शिक्षा कार्य" संबंधी योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में यह योजना कार्यान्वित होने के पश्चात कितनी धनराशि खर्च की गई और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार है और इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) महिलाओं के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य की योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। गोवा के किसी भी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस योजना के अंतर्गत गोवा राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया जा सका।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोवा में महिलाओं के लिए "इम्प्लायमेंट एण्ड इनकम जैनरेटिंग प्रोडक्शन यूनिट्स" योजना का कार्यान्वयन

561. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इम्प्लायमेंट एण्ड इनकम जेनरेटिंग प्रोडक्शन यूनिट्स" योजना के अंतर्गत गोवा में महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं। महिलाओं के लिए रोजगार तथा आय उत्पादक प्रशिक्षण-सह-रोजगार-सह उत्पादन यूनिटें स्थापित करने की योजना के अंतर्गत, गोवा से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमानों और अन्य उपकरणों की सप्लाई

562. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री राधाकांत डिगाल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 विमान और अनिश्चित संख्या में "अपाचेज" हेलीकाप्टर, जो विश्व में घातकतम टैंक-भेदी हेलीकाप्टर हैं, बेचने तथा अन्य आणविक उपकरणों की सप्लाई करने के प्रस्ताव के बारे में भारत ने उसे अपनी चिंता से अवगत कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को जो वह सुरक्षा सहायता देता है उससे अमरीका के इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है; दक्षिण एशिया में स्थिरता की स्थिति बेहतर होती है; इस्लामिक परिषदों और गुट निरपेक्ष आंदोलन में संतुलन बनाए रखने की भूमिका में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होती है; मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को दबाने में पाकिस्तान के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है; और पाकिस्तान को इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है कि वह संयुक्त राज्य अमरीका के नाभिकीय फैलाव को रोकने के लक्ष्य के प्रति अधिक सकारात्मक रवैया अपनाए।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजूरी

563. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मजूरी, न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजूरी के अनुसार दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, हां।

कोचीन में एक कला दीर्घा स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता

564. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन में एक कला दीर्घा स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"मैटनचेरी" निकर्षण पोत का बचाव

565. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में पड़े मैटनचेरी निकर्षण पोत को बचाने हेतु कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) ड्रेजर को बाहर निकालने और उसे फिर से चलाने में निहित विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की अभी जांच की जा रही है।

केरल में विपीन-इर्नाकुलम पुल का निर्माण

566. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विपीन-इर्नाकुलम पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) यह परियोजना राज्य सड़कों पर पड़ती है और इसलिये केरल सरकार इसके निर्माण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तथापि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से परियोजना के संबंध में विस्तृत सूचना मंगवाई गई है ताकि 50% तक की ऋण सहायता के लिए आर्थिक महत्व की केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत इसे शामिल करने पर विचार किया जा सके।

बिहार के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

[हिन्दी]

567. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री बिहार के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान के बारे में 6 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5135 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा मगध विश्वविद्यालय को बहुत कम धनराशि दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान बिहार के विश्वविद्यालयों को दिये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है और 1989-90 के दौरान कितना अनुदान देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों को विकास सहायता प्रदान करता है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अन्तर्गत उपयुक्त घोषित किया गया है। इस सहायता का प्रमुख भाग विश्वविद्यालयों की संस्थागत अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए है। सामान्यतया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, इसके द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के स्वरूप तथा किस्त, छात्र और संकाय परिमाप और अन्य संबद्ध तथ्यों के आधार पर अनुदानों का आबंटन करता है। सातवीं योजना के दौरान, आयोग ने इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में विश्वविद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया है, अर्थात 125 लाख रुपये, 100 लाख रुपये, 75 लाख रुपये और 50 लाख रुपये। विश्वविद्यालयों को अनुदान देना

विश्वविद्यालयों द्वारा दर्शाए गए व्यय की प्रगति पर निर्भर करता है और अगली किश्तें अनुदान की पहली किश्तों को पूर्ण उपयोग हो जाने के बाद दी जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा दिसम्बर, 1988 में ही संस्थागत विकास अनुदानों की सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था। अतः वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान, शिक्षावृत्तियां प्रदान करने, अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन, आदि के उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों को नाममात्र अनुदान दिए जा सके।

(ख) आयोग ने अब तक के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को VII योजना में 1988-89 तक 12.00 लाख रुपये की राशि के अनुदान दिए हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान बिहार के विश्वविद्यालयों को अनुदान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	1988-89	1989-90 (आज की तारीख तक)
1	2	3	4
1.	भागलपुर विश्वविद्यालय	45.42	11.40
2.	बिहार विश्वविद्यालय	9.04	36.86
3.	के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	7.00	—
4.	मगध विश्वविद्यालय	40.17	0.08
5.	एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय	0.68	45.00
6.	पटना विश्वविद्यालय	35.53	5.94
7.	रांची विश्वविद्यालय	55.60	4.47

7वीं योजना के अंत तक अर्थात 31-3-1990 तक अगले अनुदान देना, विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता की प्रगति पर निर्भर करेगा।

वृक्ष संरक्षण उपाय

[अनुवाद]

568. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वृक्ष संरक्षण के समुचित उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) उड़ीसा में कौन से विभिन्न वृक्ष संरक्षण उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :—

1986-87	—	44,05,000.00 रुपए
1987-88	—	82,01,500.00 रुपए
1988-89	—	1,38,84,000.00 रुपए

(ग) यह राज्य नियमित कीट प्रबोधन पर आधारित कीटनाशियों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के अलावा समेकित कीट प्रबन्ध नीति, जिसमें बीज उपचार, कल्चरल, मेकेनिकल और बायोलोजिकल नियन्त्रण कार्य शामिल हैं, को अपनाने की लोकप्रिय बना रहा है ।

केरल के लिए सूखा राहत सहायता

569. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को सूखा राहत सहायता के रूप में वर्ष 1989 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) केरल सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान 30 जून, 1989 तक सूखा राहत हेतु खर्च करने के लिए केरल सरकार को 5.65 करोड़ रुपए व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर कर दी गई है । राज्य सरकार ने इस व्यय सीमा में से किए गए खर्च की कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र को हुआ लाभ

570. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को वर्ष 1988-89 के दौरान लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस इस्पात संयंत्र के कार्य-निष्पादन में और सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1988-89 का लेखा-परीक्षा पूरा हो जाने के बाद ही लाभ के सही आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे।

(ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र के निष्पादन के दीर्घावधि सुधार के लिए सरकार इस समय इस संयंत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। 415 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत वाले आधुनिकीकरण प्रस्ताव के चरण-I को जुलाई, 1988 में मंजूरी दे दी गई है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० उत्पादकता तथा क्षमता उपयोगिता में सुधार के साथ-साथ वित्त की विवेचित उपयोग के अनुरूप उपाय करके इस इकाई के समग्र निष्पादन को बेहतर बनाने हेतु सतत् प्रयास करती रही है। उन्होंने इसमें ये शामिल किया है :— (i)

संयंत्र तथा उपस्करों का बेहतर रख-रखाव, (ii) ऊर्जा की खपत में कमी, (iii) श्रम उत्पादकता में सुधार, (iv) उपोत्पादों की प्राप्ति में सुधार तथा छीजन तथा गौण उत्पादनों से बेहतर पुनर्लाभ, (v) बाजार की आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाने के लिए उत्पाद-मिश्र को समृद्ध बनाना, तथा (vi) सम्पत्ति सूची तथा चल पूंजी का बेहतर प्रबन्धन ।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल और यात्री सेवाओं के संचालन हेतु सोवियत संघ से सहायता

571. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल और यात्री सेवाओं के संचालन हेतु सोवियत संघ से सहयोग और सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सोवियत शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ग) यदि हां, तो शिष्टमंडल द्वारा किन-किन पत्तनों/स्थानों का निरीक्षण किया गया; और

(घ) उक्त दौरे का क्या परिणाम निकला और सोवियत संघ से कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सितम्बर, 1988 में सोवियत संघ का दौरा किया था । इस दौरे के विनिमय स्वरूप सोवियत प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मार्च, 1989 में दौरा किया गया, जब अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) और (घ) सोवियत प्रतिनिधि मण्डल ने मार्च, 1989 में कलकत्ता, कोचीन और गोवा का दौरा किया था और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता और संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ विचार विमर्श किया था । सोवियत पक्ष ने प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए कुछ अंतर्देशीय जल परिवहन जहाजों को भारत लाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की बशर्ते कि इसके लिए खर्च का एक भाग भारतीय पक्ष द्वारा वहन किया जाए ।

वेस्ट कोस्ट केनाल को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना

572. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री वेस्ट कोस्ट केनाल के विकास के लिए योजना के बारे में 2 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन क्विलोन स्टर्रच, चमकारा-केनाल और उद्योग मण्डल केनाल को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वेस्ट कोस्ट नहर चम्पाकारा नहर तथा उद्योग मंडल नहर के क्विलॉन-कोचीन-कोटापुरम खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

केरल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र

573. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा केरल में अब तक कितने अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और ये केन्द्र किन-किन स्थानों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस राज्य में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा केरल के त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट में तीन अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में केरल में कोई और अध्ययन केन्द्र स्थारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

574. **श्री टी० बशीर** :

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान देश में कई केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) अब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1989-90 में छः केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति दे दी है; अन्य लम्बित प्रस्तावो से संबंधित निर्णय तभी लिया जाएगा जब निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

12.00 मध्याह्न

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजय वाड़ा) : प्रधान मंत्री को निश्चय ही त्यागपत्र दे देना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको चर्चा की अनुमति दी है। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तब उस वक्त आप यह बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी कहना चाहें, आपको कहने का अधिकार है। मैंने चर्चा की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कहने का अधिकार है।

[हिन्दी]

आप कहिएगा।

[अनुवाद]

मैंने उस पर चर्चा की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ बातें कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तरीके से, जो मरजी हो, कहिएगा। मैंने तो आपको अलाऊ किया है। आपको रोकता कौन है। आप जरूर कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको चर्चा की अनुमति दी है। आप जो भी कहना चाहते हैं, तब कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको चर्चा की अनुमति दी है। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

अल, भू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, जो 2 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 590 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8025/89]

(दो) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया का० आ० 416 (अ), जो 8 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का० आ० 425 (अ), जो 9 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा मोटर यानों की श्रेणी के अधिकतम गति सीमा नियत की गई है।

(चार) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किया गया का० आ० 436 (अ), जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) कैब किराये पर देने की स्कीम, 1989, जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 437 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) तोषण स्कीम, 1989, जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 440 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(सात) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 213 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किया गया का० आ० 443 (अ), जो 12 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8026/89]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० शाही) : मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) सा० का० नि० 325, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 9 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) सा० का० नि० 326, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के पनिनियम 10 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) सा० का० नि० 327, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 12 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) सा० का० नि० 328, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 में परिनियम 24 जोड़ा गया है।

(पांच) सा० का० नि० 329, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे।

(छह) मुख्यालय में दीक्षांत समारोह के लिए विनिमय (विनियम संख्या 1), जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 330 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8027/89]

आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) विवरण संख्या 20 – छठा सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8028/89]

(दो) विवरण संख्या 17—सातवां सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8029/89]

(तीन) विवरण संख्या 17 – आठवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8030/89]

(चार) विवरण संख्या 13 –आठवां सत्र, 1987 का दूसरा भाग

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8031/89]

(पांच) विवरण संख्या 12—नौवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8032/89]

(छह) विवरण संख्या 10 –दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8033/89]

(सात) विवरण संख्या 6 —ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8034/89]

(आठ) विवरण संख्या 3—बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8035/89]

(नौ) विवरण संख्या 2—तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8036/89]

12.01½ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 12 मई, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात, पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त सात विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं—

(1) वित्त विधेयक, 1989

(2) विनियोग (रेलवे) संख्यांक 3 विधेयक, 1989

(3) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1989

(4) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1989

(5) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1989

(6) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 1989

(7) असम विश्वविद्यालय विधेयक, 1989

2. महोदय, मैं 12 मई, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं—

(1) चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1989

(2) आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1989

(3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1989

(4) पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ तथा दिल्ली निरसन) विधेयक, 1989

(5) रेल विधेयक, 1989

12.02 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

72वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 72 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.02½ म० प०

लोक लेखा समिति

170वां, 171वां और 172वां प्रतिवेदन

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपलयम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) वायु सेना हेतु एक उपस्कर के विकास में विलम्ब के संबंध में समिति के 76वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति का एक सौ सत्तरवां प्रतिवेदन।

(2) क्षेत्रीय दूरसंचार केन्द्र, हैदराबाद में 'कीमती उपस्कर का बेकार पड़ा रहना' के संबंध में समिति के 63वें प्रतिवेदन (आठवी लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति का एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन।

(3) 'बाड़ी बंदर स्थित भूमि का एक फर्म को लाइसेंस दिया जाना' के संबंध में समिति के 88वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति का एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन।

12.03 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

59वां प्रतिवेदन

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : 'मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग— पोर प्वाइंट डिप्रेसेंट की खरीद के संबंध में 70.31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 59वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.04 म० प०

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में [—जारी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा संबंध केवल सदन की कार्यप्रणाली से है। मैं आपको चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। आप इस चर्चा करें। मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं।

12.04½ म० प०

(इस समय श्री सत्यगोपाल मिश्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कहां आ रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या यही तरीका है सदन को चलाने का।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए किंतु इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में कुछ शिष्टाचार होना चाहिए। आप सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप प्रजातंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सदन चर्चा के लिए है। मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? यदि आपमें शिष्टाचार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह तर्क सम्मत चर्चा का प्रश्न है। यह प्रजातंत्र का प्रश्न है, आप इस पर चर्चा करें। आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और मैं इसे स्वीकार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। इस तरह नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में दुख हुआ है। मैं दुख का अनुभव करता हूं। यह कतई अनुचित है। यह बिल्कुल निन्दनीय···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं 2 बजे तक सभा स्थगित करता हूं।

12.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म० प०

लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के लिए समय बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा "अविश्वास प्रस्ताव" पर चर्चा के दौरान श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, संसद सदस्य द्वारा 10 दिसम्बर, 1987 को वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) के विरुद्ध लगाए गए आरोप के बारे में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा "अविश्वास प्रस्ताव" पर चर्चा के दौरान श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, संसद सदस्य द्वारा 10 दिसम्बर, 1987 को वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) के विरुद्ध लगाए गए आरोप के बारे में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.01 म० प०

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

[—जारी]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, मेरी बात सुनिये। आपको इसके बारे में बोलने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी के त्यागपत्र की मांग करना चाहते हैं, तो आपको यह मांगने का अधिकार है। इसलिए आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियम और प्रक्रिया का पालन करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको किस प्रकार मजबूर कर सकता हूं? मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैं आपको केवल सुझाव दे सकता हूं कि सभा के नियमों के अनुसार आप कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके सम्बन्ध में बोल सकते हैं, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप इस मामले के बारे में बोलना चाहते हैं तो यह मामला कार्यसूची में पहले से ही है। नियम 193 के अधीन एक प्रस्ताव है जिसे कार्य सूची में पहले से ही सम्मिलित कर लिया गया है। इस विषय के लिए प्रो० मधु दण्डवते का नाम लिखा हुआ है और वह बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बारे में बोल भी सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नियमों में जो व्यवस्था है, मैं आपको उसी के पालन की अनुमति दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि आपने नियम बनाये हैं और मुझे उनका पालन करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अधिकार है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आपको नियमों और विनियमों का पालन करना है और उनके अनुसार ही कार्य करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा कार्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। सुबह मैंने कहा··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन आप इसके बारे में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको नियम 193 के अधीन इसके बारे में बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आज नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए कार्यसूची में एक विषय है। यह प्रो० मधु दण्डवते के नाम लिखा हुआ है। हम उस पर चर्चा क्यों नहीं करते ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है। यदि आप सब इस प्रकार बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : आपने यह आज की कार्यसूची में सम्मिलित कर दिया है। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते ? यह कार्यसूची में है। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम केवल नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा की समूची कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं या सभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं ? यदि आप मुझे सभा की कार्यवाही चलाने देंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं । यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो इसकी कार्यवाही कैसे चला सकता हूं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला उठाया है । आपने इसे नियम 193 के अधीन दिया है । आप इसके अधीन ही बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए और आप इसके बारे में बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता । वे अपनी जगह पर बैठ जायें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब बैठ जायेंगे तो मैं आपको बुला सकता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए । यह सर्वोच्च स्थान है जहां आप अपनी इच्छा के अनुसार मामले उठा सकते हैं । यदि आप अनुभव करते हैं कि सरकार गलत है तो आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ सदस्य स्पष्ट रूप से आज की कार्यसूची पर विश्वास कर रहे हैं जिसमें विषय संख्या दस है ।

(व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : यदि आप हमारी बात सुनेंगे तो हम भी आपकी बात सुनेंगे···(व्यवधान)

* कार्यवाहीवृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : यदि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊं तो क्या आपके सदस्य चुप रहेंगे ? (**व्यवधान**) इन्द्रजीत गुप्त जी, मैं आपकी बात सुनूंगा परन्तु आपको भी हमारी बात सुननी चाहिए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आप कार्य-सूची का पालन करने को तैयार हैं तो मैं सभा की कार्यवाही चलाने को तैयार हूं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। मैं यही कर सकता हूं···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम पहले नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा कर सकते हैं और तत्पश्चात नियम 193 के अधीन चर्चा कर सकते हैं ?

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल करने की अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, आप सभी लोग अपने-अपने स्थान पर जाएं। तब ही मैं आप लोगों की बात सुन सकता हूं। यदि आप अपने स्थानों पर नहीं जाते, तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह सर्वोच्च मंच है। आपको कुछ अनुशासन में रहना होगा। आप सभी लोग अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। तब ही मैं आपकी बातें सुन सकता हूं।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको साफ-साफ कह दिया है। आप सभी अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात् ही मैं आपको अनुमति दे सकता हूं।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं। सभा 2.45 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

2.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.45 म० प०

लोक सभा 2.45 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

[—भारी]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। कृपया मेरे साथ सहयोग करें। यदि आप सहयोग करते हैं, तो निश्चय ही आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगे तब आप इसकी मांग कर सकते हैं। यह इस देश का सर्वोच्च मंच है। आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसकी मांग कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको नियम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ बोलना चाहती हैं। कृपया उनकी बात सुनें। मैं आपको उनके बाद बुलाऊंगा। महोदया, आप जो भी कहना चाहती हैं, कहें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार को कुछ भी नहीं छुपाना है। आज की कार्य-सूची में नियम 193 के अधीन चर्चा में प्रो० मधु दण्डवते और श्री जयपाल रेड्डी का नाम पहले से ही अंकित है। अब वे इससे बचना चाहते हैं···(व्यवधान)। वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है। वे केवल चिल्लाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने शक को दूर करने के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा करने की स्वीकृति प्रदान कर एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है···(व्यवधान) लेकिन वे ऐसी किसी प्रक्रिया को अपनाना नहीं चाहते हैं। वे श्री राजीव गांधी का त्यागपत्र चाहते हैं···(व्यवधान) वे कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहते क्योंकि वे मात्र असंवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक मार्ग ही अपनाना चाहते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, प्रो० दंडवते जी, क्या आप नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करने के लिए इच्छुक हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप

बैठ जाएं। आपमें से कोई एक बोल सकता है और सभी बैठ जाएं। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं आप लोगों की बातें सुनने को तैयार हूं बशर्ते माननीय सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, अपना स्थान ग्रहण करें। तब मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बैठ जाने दें। अपने साथियों से कहें कि बैठ जाएं। इसके बिना मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले, अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात् ही मैं आपको अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बिना, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं, मैं किसी की भी बातें नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले, उन्हें बैठ जाने दें, तब ही मैं अनुमति प्रदान कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपकी बातें सुनने को तैयार हूं बशर्ते सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। पहले, उन्हें बैठ जाने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले, अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार, मैं आप सभी से फिर अनुरोध करता हूं कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, तभी मैं आपकी बात सुनूंगा। इसके बिना, मैं नहीं सुन सकता। इस पक्ष के सदस्य अनुशासन में बैठे हैं। आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात् ही मैं आपको अनुमति प्रदान कर सकता हूं। यदि आप मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं ? मैंने उनसे अपना-अपना स्थान ग्रहण करने को कहा था और उन्होंने वैसा किया। विपक्ष के सदस्यों द्वारा ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। मैं सभा को एक बार फिर स्थगित करता हूं। सभा 3.45 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

2.53 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.45 म० प०

लोक सभा 3.45 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

[—जारी]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे यर्थार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा था। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बिना हम कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ? पहले अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सभा का समय और जनता का धन बरबाद न करें। पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान कर रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं ? कृपया मुझे बतलायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे किसी से त्याग पत्र मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरा काम नहीं है। यदि आपको यह अधिकार है, आप इस विषय पर बोल सकते हैं, और त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले अपना स्थान ग्रहण करें, तत्पश्चात ही मैं कार्यवाही शुरु कर सकता हूं। अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेंगी।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कुछ भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं; यदि आप इस मामले को उठाना ही चाहते हैं, तो आप इसे नियम 193 के अधीन उठा सकते हैं। आप इसे शीघ्र उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी इसे स्वीकार करते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं चाहते; तो आप क्या चाहते हैं? मुझे बताइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर बात करने को इच्छुक नहीं हैं। आप मेरे सुझाव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तब आप क्या चाहते हैं? मुझे बतलाएं। मैं नियम 193 के अधीन चर्चा कराने को तैयार हूं। या आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा करें। यदि आप चाहते ही हैं कि सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए तो कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत करें। पहले आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इससे हमारे समय की बचत होगी। यह एक लोकतांत्रिक मंच है। यह सर्वोच्च संस्था है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मन्त्री ने सभा को गुमराह किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अनुभव करते हैं कि प्रधान मन्त्री ने सभा को गुमराह किया

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

है, तब आप चाहें तो विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपना अनुरोध पुनः दोहराता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर कहता हूं कि विपक्ष चर्चा के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसलिए, मैं एक बार पुनः सभा को स्थगित करता हूं। सभा 4.30 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

3.50 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

4.30 म० प०

लोक सभा 4.30 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

[—जारी]

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करनी चाहिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि वे अपनी जगह पर बैठ जायें। मैंने सोचा था कि आपने इस मामले अर विचार कर लिया है और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जायेंगे।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं ? यह एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी कोई भी बात कह सकते हैं। यदि आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं और इस मामले पर, जिसे आप उठाना चाहते है, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो मैं आपको नियमों के अनुसार एक अवसर दे रहा हूं। नियमों में जो व्यवस्था है हमें उसका पालन करना है। आप इसके बारे में बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मंच है जहां मसलों को विचार-विमर्श द्वारा हल किया जा सकता है न कि समूहों में एकत्रित होकर तथा शोरगुल करके। यदि आप इसी प्रकार शोरगुल मचाते रहेंगे तो मैं किसी की बात नहीं सुन सकता और सभा की कार्यवाही नहीं चला सकता।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं। कृपया, इस पर विचार करने का प्रयास कीजिए। मैं सभा की कार्यवाही पांच बजे तक स्थगित कर रहा हूं।

4.35 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 5.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

5.00 म० प०

लोक सभा 5.00 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

[—जारी]

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : क्या आपको त्याग पत्र मिल गया है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा कार्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं व्यवस्था

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। सबसे पहले आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइये। केवल तब ही मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाइये और नियमों का पालन कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। क्या यही तरीका है ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं बहुत पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था परन्तु मुझे अनुमति नहीं दी गयी। आपने मुझसे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा था इसलिए मैं अपनी जगह पर बैठ गया···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर बैठ जायें। मैं केवल तब ही सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह दूसरों के खड़े होने के लिए कैसे उत्तरदायी है ?··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी माननीय सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है न कि किसी एक व्यक्ति के उपर। जब सभी सदस्य खड़े होकर चिल्ला रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं और मैं कैसे सुन सकता हूं ? पहले आह अपनी जगह पर बैठ जाइये। केवल तब मैं सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बार पुनः सभा की कार्यवाही 5.45 म० प० तक के लिये स्थगित करता हूं।

5.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 5.45 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

5.45 म० प०

लोक सभा 5.45 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मेरा सुझाव है कि आज सभा की बैठक 7.00 म० प० तक चले।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक का समय 7.00 म० प० तक बढ़ाया जाए क्योंकि आज हमने कोई विधायी कार्य नहीं किया है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने 7.00 म० प० तक बैठने का निश्चय किया है।

(व्यवधान)

5.46 म० प०

इस समय श्री सत्यगोपाल मिश्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : यह क्या है ? आप इस प्रकार सभा की बैठक का समय कैसे बढ़ा सकते हैं ? ((व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चुनौती देंगे तो मत विभाजन होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही 5.55 म० प० तक स्थगित होती है।

5.47 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 5.55 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

5.55 म० प०

लोक सभा 5.55 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना

[—जारी]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले तो वह तोड़ दिया, अब मेरा सिर तो नहीं तोड़ना ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इसकी मांग का तरीका बता दिया। नियमों के अनुसार आप मांग कर सकते हैं जो आपका अधिकार है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नियमों के अनुसार कर सकते हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप परसों मेरे से कह रहे थे कि वह भी मांगते हैं, मैं भी मांगता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज आप वही बात नहीं कर रहे हैं। जो आप परसों मांग रहे थे वह मैंने दिया।

[अनुवाद]

मैं आपको बताता हूं कि मैं वही कर सकता हूं जो नियमों के अन्तर्गत है। मैं कुछ नहीं कर सकता···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं हो। आप शोर करते हो तो करो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं हुई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात ठीक तरह करो, ऐसा नहीं होता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप जो कुछ चाहें, कर सकते हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० आचार्य, मैं भी आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। पार्लियामैंट में या तो बात से बात बनेगी या वोट से बात बनेगी, दूसरी बात नहीं होगी। आप बात करिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मर्जी आये, बोलिये, मुझे कोई एतराज नहीं। आप बोलिये, मुझे कोई एतराज नहीं। दबाकर बोलिये लेकिन···

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : डैमोक्रेसी कानून कायदे से चलानी पड़ेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डण्डाकरी से डैमोक्रेसी नहीं चलती, दूसरी तरह से चलती है। मैं तो यह नहीं कर सकता, मैं तो हाथ जोड़कर यह कह सकता हूं कि जो रूल है वही होगा। जो मेरे

बस में है, मैं वही कर सकता हूं। जो मेरे बस में नहीं है, वह मैं नहीं कर सकता। मेरे बस में एक बात है कि मैं डिस्कशन करवा दूं। मेरे बस में है कि आप जो कहें वह करवा दूं, दूसरा मेरे बस में नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। बस···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रूल में यह नहीं लिखा कि स्पीकर का काइक भी तोड़ दो। कल स्पीकर का सिर भी तोड़ोगे, यह कोई तरीका थोड़े ही है। आप तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, मैंने रोका नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कायदे की बात तो यह है कि मैं आदमी का जवाब दे सकता हूं। मैं यही तो कर रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। बाकी हाउस सामने बैठा है।

[अनुवाद]

मैं सभा में मतदान करा सकता हूं तथा सभा की सहमति ले सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कानूनन जैसा होता है, वैसा होता है। हाउस इज सुप्रीम, हाउस नहीं चाहेगा तो बन्द कर देंगे।···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि वे सभा का मत जानना चाहते हैं तो वे जान सकते हैं। मैं इसे सभा में मत विभाजन के लिए रख सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किससे करूं, बाहर तो मैं कर नहीं सकता।

[अनुवाद]

मैं इसे सभा के समक्ष रख सकता हूं। यह सभा की इच्छा के ऊपर है। हम सुबह के 4 बजे

तक भी बैठे हुए हैं। मैं केवल वही कर सकता हूं, जो सभा चाहती है। मैं सभा के अधीन हूं। सभा सर्वोच्च है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा मालिक तो हाउस है। मैं तो आप के हाउस को चलाना चाहता हूं, अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो मेरे तो आप भी मालिक हैं और आप भी मालिक हैं, मैं आपकी साझी राय से चल सकता हूं, जो हाउस कहेगा, वह कर दूंगा। अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो हाउस के सामने रख देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो बिल्कुल रूल के अधीन काम कर रहे हैं न?···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तानाशाह नहीं हूं। मैं केवल आपका मत विभाजन करा सकता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आपके निवेदन पर विचार किया जायेगा। हम अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उसकी चिंता मत कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार मैं संरक्षक हूं। आपने उन नियमों को निर्धारित किया है। मैंने उन्हें निर्धारित नहीं किया है। मैं तो आपके अधीन हूं।

[हिन्दी]

आप पास कर देंगे, वही कर दूंगा। आपने कहा मोशन दे दो, मैंने मोशन दे दिया। आप कल कहेंगे नो-कान्फिडेंस मोशन दे दो, वह भी दे दूंगा। बाकी तो मेरे बस की बात नहीं है। आप जानते हैं प्रोफेसर साहब, रजिगनेशन मांग नहीं सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : नियम और परम्परायें हैं। जब प्रधान मंत्री के विरुद्ध ऐसा गम्भीर आरोप लगाया जाता है तो वह सभा में नहीं आते हैं। प्रधान मंत्री आरोपों में घिरे हुए हैं। वह सभा में नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका एक ही तरीका है कि आप डिसकस करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री सभा में आने से क्यों डर रहे हैं। (व्यवधान) सभा का नेता अनुपस्थित है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक बात तो कर लें, आप चाहते हैं डिवीजन आन एक्सटेंशन आफ दि टाइम करवा देते हैं।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यही राय है कि सभा की बैठक का समय बढ़ा दिया जाये ? जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हों वे कृपया "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ। अतः बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : बरबाद हुए समय की पूर्ति के लिये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : जब भी बैठक का समय बढ़ाया जाता है, हमेशा विपक्ष से परामर्श किया जाता है। इस सम्बन्ध में न केवल नियम हैं बल्कि परम्परायें भी यही रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रत्येक मानदण्ड और परम्परा का उल्लंघन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कन्वैंशन तो यह है कि जब स्पीकर खड़ा हो, तो आप सब बैठ जायें, आप बैठते नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : प्रत्येक नियम को ताक पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महदय : मेरे ख्याल में आप बहुत प्रापर हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध केवल आम सहमति से है। सभा के निर्णय को मानने के लिये मैं बाध्य हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया प्रधान मंत्री को सभा में आने के लिये कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकार में नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, आप उन्हें बर्खास्त करें।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकार में नहीं है। मैं तो कभी सदस्य को भी बर्खास्त नहीं कर सकता। यह मेरे अधिकार में नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अतः, सभा की अवधि 7 बजे तक के लिये बढ़ा दी जाती है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शायद आधे घण्टे बाद कुछ ठंडक आ जाए, दिमाग में शान्ति आ जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अतः सभा 6.45 म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 6.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

6.45 म० प०

लोक सभा 6.45 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना

[—जारी]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति है अभी कुछ या नहीं या गर्मी है अभी भी।

[अनुवाद]

कृपया कुछ ठंडक और शान्ति होने दें।

[हिन्दी]

शान्ति, शान्ति।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, प्रत्येक आधे घंटे के पश्चात् आप सभा को क्यों स्थगित कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति हो और काम हो जाए और डिस्कशन हो जाए। और क्या हो सकता है। हम तो ठंडा पानी डाल सकते हैं, हम घी तो डाल नहीं सकते।

[अनुवाद]

मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सिवाय···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, बार-बार सभा स्थगित किए जाने का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में शान्ति बनाए रखने तथा समस्या पर चर्चा किए जाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, टाइम से आदमी ठंडा हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है। मैंने समझा था कि शायद गर्मी कम हो जाएगी और काम चल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते, तो दूसरी बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके इस तरह से करने से काम चल सकता, तो बड़ा बढ़िया हो जाता लेकिन इस तरह से तो काम नहीं चलता।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, आप उनसे बात करें और उन्हें त्यागपत्र देने को कहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम तो आपका हाऊस चलाना है। मेरा यह काम नहीं है, यह आपका काम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो हाथ जोड़कर यह सकता हूं कि आप बात कर लीजिए।

(व्यवधान)

6.48 म०प०

सभा की बैठक का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री* (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सभा की बैठक 8.00 म० प० तक बढ़ा दी जाये।"

(व्यवधान)

हमें अभी अनेक कार्य निपटाने हैं। क्या मैं सदस्यों से कह सकती हूं कि वे सहयोग दें। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): महोदय, एक सयानी महिला बच्चों की तरह व्यवहार कर रही है। **(व्यवधान)**

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर रही हूं, मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही हूं। हमारे ऊपर सभा के संचालन की जिम्मेदारी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप बिल्कुल ही गम्भीर नहीं हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : क्या आप यह कहते हैं कि मैं गंभीर नहीं हूं। मैं बहुत ही गम्भीर हूं क्योंकि सभा के संचालन की जिम्मेदारी हमारी है, और हमें सरकार चलानी है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सीरियस कौन है, यह जानने के लिए जज को बैठाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : समय बढ़ाये जाने का क्या उद्देश्य है ?

श्रीमती शीला दीक्षित : इस बात की आशा की जाती है कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तथा हम सभा के कार्य निपटा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि '8 म० प०' की जगह '12 मध्य रात्रि' प्रतिस्थापित किया जाये।"

श्रीमती शीला दीक्षित : जब हम सभा के कार्य करेंगे तो हम 12 बजे की बात पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सोमनाथ जी की बात मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है। हम इस बात को निपटाना चाहते हैं और हम समय बढ़ाये जाने की बात कर रहे हैं, वे इसे मजाक समझ रहे हैं। लेकिन जब वे प्रत्येक दस मिनट पर सभा को स्थगित कराना चाहते हैं तो वे इसे मजाक नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम प्रधान मंत्री का त्यागपत्र चाहते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : प्रधान मंत्री से त्यागपत्र की मांग करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। या तो आप अविश्वास प्रस्ताव लायें या फिर कुछ महीनों में चुनाव का सामना करें।

श्री बसुदेव आचार्य : हम गंभीर हैं। इसलिए हम प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत किया गया ? 8 बजे के बदले उन्होंने रात्रि 12 बजे तक सभा की बैठक करके की राय दी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए तो यह सभा ही सर्वोच्च है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : मैंने 8 बजे का प्रस्ताव किया है और मैं इस बात पर बल रखना चाहती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव में संशोधन यह है कि 8 ब० प० के स्थान पर 12 बजे मध्य रात्रि प्रतिस्थापित किया जाए।

श्रीमती शीला दीक्षित : नहीं, महोदय ! इस समय मैं संशोधन रद्द करती हूं। यह सभा अपने समय का स्वयं निर्धारण करेगी। इस समय मैं 8 बजे का प्रस्ताव कर रही हूं···(व्यवधान)

महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है। समय बढ़ाने की बात का वे मजाक उड़ा रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : भारतीय संसद में जान आ जाएगी। सभा की बैठक 12 बजे तक बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, यह एक गम्भीर बात है। मैंने प्रस्ताव किया है कि सभा की अवधि 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, वे मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि उनमें सामर्थ्य है तो उन्हें इस सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे समक्ष दो बातें आयी हैं। एक तो 8 बजे तक समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है और दूसरा संशोधन किये जाने की बात है। पहले मुझे संशोधन को मतदान के लिए रखना है।

श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन का समय बढ़ाकर 8 बजे तक करने के

बारे में है और फिर उस पर श्री सोमनाथ चटर्जी का संशोधन है कि सदन का समय बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया जाए।

पहले मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"8 म०प०" के स्थान पर "12 बजे मध्य रात्रि" प्रतिस्थापित किया जाये।

दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

7.00 म० प०

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"8 म० प०" के स्थान पर "12 बजे मध्य रात्रि" प्रतिस्थापित किया जाए।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, पहले ही सात बज चुके है। आप मतों की गणना नहीं कर सकते ···(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, सदन का समय बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया गया था। जब तक समय नहीं बढ़ाया जाता तब तक इसे सभा के मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि यदि इस दिशा में कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तब हम नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। यदि इस दिशा में कार्य शुरू नहीं हुआ है तब हम नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इस दिशा में कार्य 7 बजे से पहले शुरू हो चुका है।

(व्यवधान)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 1 **7.02 म० प०**

पक्ष में

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण

आचार्य, श्री बसुदेव

कलानिधि, डा० ए०

करुपना देवी, डा० टी०

कुरूप, श्री सुरेश

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री मोहम्मद महफूज अली

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोस्वामी, श्री दिनेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चालिहा, श्री पराग

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जायनल अबेदिन, श्री

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०

डोरा, श्री एच० ए०

तिरकी, श्री पीयूष

तुलसीराम, श्री वी०

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्ता, श्री अमल

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

पटेल, डा० ए० के०

पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम भाई

पाटिल, श्री डी० बी०

पाठक, श्री आनन्द

प्रधान, श्री के० एन०

बनातवाला, श्री जी० एम०

बर्मन, श्री पलास

भूपति, श्री जी०

मंडल, श्री सनत कुमार

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मसूदल हुसैन, श्री सैयद

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

रमैया, श्री वी० वी०

राजू, श्री विजय कुमार

राम बहादुर सिंह, श्री

राय, डा० सुधीर

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

राव, डा० जी० विजय रामा

राव, श्री बी० शोभनाद्रीश्वर

राव, श्री श्रीहरि

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र

रेड्डी, श्री बी० एन०

रेड्डी, श्री बेंजावाड़ा पपी

रेड्डी, श्री मानिक

रेड्डी, श्री सी० माधव

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

शाहबुद्दीन, श्री सैयद

सम्बु, श्री सी०

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सैकिया, श्री मुही राम

सोमू, श्री एन० वी० एन०

स्वामी, श्री डी० नारायण

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हेत राम, श्री

विपक्ष में

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान

अख्तर हसन, श्री

अरुणाचलम, श्री एम०

अलघाराम, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओडेयर, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
कुजूर, श्री मौरिस
कुन्जम्बु, श्री के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कृष्ण सिंह, श्री
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
गंगा राम, श्री
गुप्त, श्रीमती प्रभावती
घोष, श्री विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चार्ल्स, श्री ए०
चौधरी, श्री नन्दलाल
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जीवरत्नम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री बुद्धि चन्द्र

जैनुल बशर, श्री

तिग्गा, श्री साइमन

तिवारी, प्रो० के० के०

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री बिपिन पाल

दास, श्री सुदर्शन

दिग्विजय सिंह, श्री

दिवे, श्री शरद

दीक्षित, श्रीमती शीला

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

धारीवाल, श्री शांति

नामग्याल, श्री पी०

नायक, श्री जी० देवराय

नायक, श्री शांताराम

पटनायक, श्री जगन्नाथ

पनिका, श्री राम प्यारे

पांडे, श्री मदन

पांडे, श्री मनोज

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाठक, श्री चन्द्र किशोर

पणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

पूरन चन्द्र, श्री

पोतदुखे, श्री शांताराम

बनर्जी, कुमारी ममता

बलरामन, श्री एल०

बशीर, श्री टी०

बसवराजेश्वरी, श्रीमती

बासवराजू, श्री जी० एस०

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, श्री

बूटा सिंह, सरदार

बैरागी, श्री बालकवि

भगत, श्री एच० के० एल०

भरत सिंह, श्री

भूमिज, श्री हरेन

भोई, डा० कृपासिन्धु

मनोरमा सिंह, श्रीमती

मलिक, श्री लक्ष्मण

महन्ती, श्री बृजमोहन

मालवीय, श्री बापूलाल

मिश्र, डा० प्रभात कुमार

मिश्र, श्री राम नगीना

मीरा कुमार, श्रीमती

मुशरान, श्री अजय

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मोतीलाल सिंह, श्री

मोदी, श्री विष्णु

याजदानी, डा० गुलाम

यादव, श्री कैलाश

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणबीर सिंह, श्री

राउत, श्री भोला

राज करन सिंह, श्री

राजहंस, डा० गौरी शंकर

राम अवध प्रसाद, श्री

राम प्रकाश, चौधरी

राम, श्री राम रतन

राम समुझावन, श्री

राम, श्री रामस्वरूप

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री आई० रामा

राव, श्री के० एस०

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभुलाल

लच्छी राम, चौधरी

लाहा, श्री आशुतोष

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शाह, श्री अनूपचन्द

शिंगड़ा, श्री डी० बी०

षण्मुख, श्री पी०

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगरावडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री एन० टोम्बी

सिंह, श्री कमला प्रसाद

सिंह, श्री कृष्ण प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी

सुन्दर सिंह, चौधरी

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सेठी, श्री अन्नत प्रसाद

सोडी, श्री मानकूराम

सोरन, श्री हरिहर

स्पैरो, श्री आर० एस०

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 56

विपक्ष में : 135

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है···(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : किसके व्यवस्था के प्रश्न का ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी के व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । प्रश्न यह है कि यदि हमने इस दिशा में 7.00 बजे से पहले कार्य शुरू नहीं किया होता तो यह नियमों के विपरीत होता ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने अभी सदन के समय को बढ़ाने वाले प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये । हम पहले से ही व्यवस्थित सामान्य प्रक्रिया के

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया—

पक्ष में : सर्वश्री अय्यपू रेड्डी, चित्त महाता, एम० सुब्बा रेड्डी और गोपाल कृष्ण चोटा ।

विपक्ष में : सर्वश्री जनकराज गुप्त, सुभाष यादव, दीप नारायण बन और डालचन्द्र जैन ।

अनुसार कार्य कर रहे हैं। अन्यथा मुझे परेशान होने की क्या आवश्यकता है ? मैं ऐसी किसी भी बात के लिए जोर नहीं दूंगा जो कानूनी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह नियमों का प्रश्न है।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रक्रिया शुरू की गई है उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह सामान्य प्रक्रिया है। हम हमेशा से इसका पालन करते आये हैं। आप कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते। जब आपने कोई प्रक्रिया शुरू की है तो आपको इसे पूरा करना चाहिए। हम हमेशा से ऐसा करते आये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन का समय बढ़ाकर 8 बजे तक करने वाले श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सभा की बैठक 8.00 म० प० तक बढ़ा दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, सरकार भारी भूल कर सकती है लेकिन यह भारी भूल अध्यक्ष पीठ द्वारा नहीं होनी चाहिए। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई भारी भूल नहीं कर रहा हूं। यही सामान्य प्रक्रिया है। हम हमेशा से इसका अनुसरण करते आये हैं। यदि मैंने इस दिशा में कार्य 7 बजे के बाद शुरू किया हुआ होता तब यह नियमों का उल्लंघन होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अत: सदन का समय बढ़ाकर 8 बजे तक किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो, मैं पुन: मत विभाजन करा सकता हूं। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। मैं मजबूत आधार पर यह बात कह रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : नियम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यही सामान्य नियम है। यही सामान्य प्रक्रिया है जिसका हम हमेशा से पालन करते आये हैं। यह हम पहली बार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी नियम को उद्धृत कर सकते हैं जिसके अधीन आप आपत्ति कर रहे हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप किस नियम के अन्तर्गत·····

अध्यक्ष महोदय : इस दिशा में पहले ही कार्य आरम्भ हो चुका था·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले ही इस दिशा में कार्य आरम्भ हो गया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौन-सा कार्य।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस दिशा में पहले ही कार्य आरम्भ कर चुका था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

7.06 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 की संख्या 2)—संघ सरकार— रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 तथा 12 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब, क्या आप चर्चा आरम्भ करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डिसकशन शुरू करें।

[अनुवाद]

क्या आप चर्चा शुरू कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, यह क्या है ? जब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने पूरी सरकार पर इतना स्पष्ट अभ्यारोप लगाया है·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो आप डिसकशन में कहिएगा।

[अनुवाद]

आप चर्चा में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, क्या मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या मुझे अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे सुबह से उठाने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया करिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके उपाध्यक्ष ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। आपको दूसरों से ज्यादा जानकारी है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपको हमें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है।··· (व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौला) : क्या केवल आप ही उपदेश दे सकते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उपदेश नहीं दे रहे हैं।···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप दोनों उपदेश दे सकते हैं लेकिन मैं पहले अपनी बात कह लूं। महोदय, आप औरों से ज्यादा जानते हैं कि जब भी कोई मामला नियम 193 या नियम 184 के अधीन आप स्वीकार करते हैं तो कार्य मंत्रणा समिति में यह चर्चा होती है कि उस मामले पर चर्चा के लिए उस सप्ताह में समय और दिन कैसे निश्चित किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही सामान्य प्रक्रिया है। हम इन बैठकों में जाते रहे हैं। कई बार मंत्री की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाता है, यदि मंत्री कहते हैं कि उन्हें फलां-फलां मंत्री से पूछना होगा कि क्या वह उस दिन आ सकेंगे या नहीं और यदि वह उस दिन नहीं आ सकेंगे तो हम समय बदल देते हैं। इस विशेष मामले में आपने प्रो० दण्डवते और जयपाल रेड्डी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और यह आज की कार्य सूची में भी छपा है। आज सुबह जब हमने अपने संसदीय पत्र खोले तो पाया कि कार्यसूची में मद सं० 10 जोड़ दी गई है। मैंने तुरन्त प्रो० दण्डवते को टेलीफोन किया और उनसे पूछा, "क्या आप की सलाह ली गई थी और क्या आपने यह कहा था कि आज यह समय आपके अनुसार ठीक है?" उन्होंने कहा, "नहीं। मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई थी।" कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में विपक्ष का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं था। उनके साथ अलग से विचार किया जाना चाहिए था। यह संभव है कि यह समय और तारीख उनके लिए उपयुक्त न हों और आज महोदय, हम यह देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूं कि यह एक छोटा-सा मामला है, यह कार्यप्रणाली का मामला है। लेकिन इस मामले में भी उनके अधिकार को अनदेखा कर दिया गया है। सामान्य नियमों और परम्पराओं के अनुसार, प्रस्तावक से हमेशा कम से कम एक बार पूछा जाना चाहिए, "हमें इसे कार्य सूची में इस

दिन और समय पर सम्मिलित करने के बारे में सोच रहे हैं क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है ?" उनसे यह भी नहीं पूछा गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से यह मद आज की कार्य-सूची में सम्मिलित की गयी है वह बिल्कुल असंगत और गैरवाजिब है। इसे इस तरीके से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं—आपके इतने लंबे अनुभव के पश्चात् कि हम काम कैसे करते हैं—आप इस पर ध्यान दीजिए और हमें अपनी निष्पक्ष धारणा बताइये। यह कोई राजनैतिक दल या ऐसी किसी चीज का मसला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई पार्टी शामिल नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनसे पूछे बिना ऐसा क्यों किया गया था ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री से अपने चेम्बर में मिलने के लिए कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कल हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक निश्चित की थी। मेरे विचार से परसों इस बारे में नोटिस जारी किया गया था और कार्यमंत्रणा समिति में प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। अगर किसी सदस्य ने आपत्ति की थी या कहा था कि वह नहीं आ सकता·····

प्रो० मधु दण्डवते : यह आज मिला है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कल हुई थी। कोई व्यक्ति नहीं आया। अगर आपने मुझे सूचित किया होता कि आप नहीं आ सकते या आप चाहते थे इसे स्थगित किया जाये···

प्रो० मधु दण्डवते : हम कैसे जानते कि आज इस पर चर्चा की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बारे में बात कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : कल सदन में क्या स्थिति थी।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचित कर सकते थे। कोई व्यक्ति मुझे सूचित कर सकता था कि आज के लिए समय उचित नहीं है और मैं इस चर्चा को नहीं लेता।

प्रो० मधु दण्डवते : हम कैसे जानते कि यह समय निर्धारित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे मुद्दे की प्रशंसा नहीं कर रहे।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम भेजे गए नोटिस में भी आपने इसका उल्लेख नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल कार्य मंत्रणा समिति के बारे में बात कर रहा हूं जिसके लिए निश्चित नोटिस था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नोटिस में विषय का उल्लेख नहीं था जिस पर उस बैठक में चर्चा की जानी थी। मैं आपको उस नोटिस को दिखा सकता हूं। जब कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न मदों के लिए, विभिन्न विधेयकों के लिए, नियम 193 या नियम 184 के अधीन मामलों के लिए

समय निर्धारित किया जाना था, तो कार्य मंत्रणा समिति के नोटिस के दूसरे पृष्ठ पर उन मदों को शामिल किया जाता है। लेकिन, इस मद का उल्लेख नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मंत्री जी का आधार ठोस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से गुप्त जी आप भूल रहे हैं कि उसमें केवल विधेयक शामिल किए गए थे और हमें इन बातों पर सदन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही चर्चा करनी थी कि यह मद शामिल की जानी चाहिए, इस मद को शामिल नहीं किया जाना चाहिए या इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसे प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। हम इस पर इस तरह चर्चा करते हैं चूंकि सदन में प्रत्येक बात इस ढंग से की जा रही थी हमने सोचा कि हमें इस समस्या पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब ने स्वयं·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन जिस सदस्य के नाम पर यह है, उससे भी नहीं पूछा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है। अब आप मेरी बात सुनिये। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक स्थगित क्यों की ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी ने इसे स्थगित करने के लिए नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : हम नहीं जानते थे कि इस पर आज चर्चा की जानी थी। इसके स्थगन के लिए भी नहीं पूछा गया था। कोई नहीं जानता था कि इस पर आज चर्चा की जानी है। जब आज सुबह हमें पैकेट मिला तो हमें पता चला कि इस पर आज चर्चा की जानी है। आज मुझ पर विश्वास कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। मेरी किसी के पक्ष में रुचि नहीं है। मैं यहां बैठता हूं, आपकी बात सुनता हूं। मेरे विचार से हम हमेशा कार्य मंत्रणा समिति की सहमति से निर्णय लेते हैं कि किस मामले पर चर्चा करनी है और किस मामले पर चर्चा नहीं करनी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और कब चर्चा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, चर्चा कब की जानी है। यह प्रक्रिया है। लेकिन कल कोई नहीं आया। लेकिन कोरम था। अतः हमने निश्चय किया कि हमें इस मामले पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष के बिना कोरम।

अध्यक्ष महोदय : किसी ने सूचित नहीं किया कि हम नहीं आ रहे हैं। अगर आप बैठक में नहीं आते तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं आपको भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : कल जब सभा में अशान्ति थी उत्तेजना थी, हमें आशा थी कार्य मंत्रणा समिति हमें बताये···

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वहां कोई उत्तेजना नहीं थी, आप हमें सूचित कर सकते थे कि आप बैठक में नहीं आ रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कौन जानता था कि इस पर आज चर्चा की जानी थी ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समिति ने यह निर्णय लिया था और मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। अगर आपने विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में बैठक करने का निश्चय किया है और आपने यह निर्णय लिया है कि वह मद शामिल की जानी चाहिए, आपने यह भी जरूरी नहीं समझा कि जिस सदस्य के नाम में यह है उससे पूछना आवश्यक नहीं समझा।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां तक भी कर सकता हूं अगर दण्डवते जी की कोई आपत्ति या कोई कठिनाई थी तो मैं इसे स्थगित कर सकता था।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसे ही मुझे पैकेट (लिफाफा) मिला मैंने महासचिव को बता दिया था। मैंने तुरन्त फोन किया और कहा कि हम उपस्थित नहीं थे···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो हम इस पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : कृपया हमें इस बारे में साफ-साफ बात करने की अनुमति दीजिए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई आपत्ति उठाये जाने से पूर्व इसे मुझे बताया जाना चाहिए था।

सरदार बूटा सिंह : निर्णय लेने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष के रूप में आपको सभा की कार्यवाही चलाने का अधिकार है और आप इसे सभा की सुविधा अनुसार और अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त और दण्डवते जी का यह कहना गलत है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पहले कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक हुई थी। दूसरा, आज की कार्यसूची में कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख। यह प्रतिवेदन इस सभा में विपक्ष की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया था। यह बहुत अनोखी बात है कि आप सभा की कार्यवाही में उपस्थित रहें और आप कहें कि आप इसे स्वीकार नहीं करते। विपक्ष द्वारा यह नया रुख अपनाया गया है। (व्यवधान) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार, संसदीय कार्य मन्त्री ने कार्यसूची में मद संख्या 6 के अनुसार आज सुबह सभा में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसे इस सभा में स्वीकार किया है। इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने के पश्चात अब विपक्ष कैसे इसका विरोध कर सकता है ?

महोदय, यह आप पर निर्भर करता है, आप समय बढ़ा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप समय बढ़ा सकते हैं। हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) लेकिन, महोदय, विपक्ष को इस सभा की जिम्मेदारियों से अवगत कराना चाहिए (व्यवधान) वे इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं, हमने पहले ही आपत्ति की थी। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं सरसरी तौर से नहीं कह रहा हूं। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त की सलाह या उपदेश या आप जो भी कुछ कहिए, का हमेशा सम्मान किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : धन्यवाद ।

श्री एच० के० एल० भगत : अब मैं एक बहुत रुचिकर बात कहता हूं । आपका कहने का अभिप्राय यह है कि हर समय वह चर्चा में इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे थे क्योंकि उनके पास समय नहीं था ? क्या ऐसा था ? अगर वह स्पष्टवादी हैं तो अब भी कह सकते हैं "कि मैं इसे आज नहीं करना चाहता, मैं इसे कल करना चाहता हूं" जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है, इसे सोमवार को लेना चाहिए । हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते । हम जानते हैं आप यह क्यों कर रहे हैं । अब भी, अगर आप कहते हैं, "इसे आज न लिया जाए और इसे सोमवार को लिया जाये ।" हमें कोई आपत्ति नहीं है । (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पहले त्यागपत्र फिर चर्चा ।

श्री एच० के० एल० भगत : हम प्रो० मधु दण्डवते से समायोजन करने के लिए तैयार हैं और इसे सोमवार को कर सकते हैं । लेकिन झूठे तर्क मत दीजिए । कृपया स्पष्ट कहिए । (व्यवधान) आप प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो आप कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में संशोधन दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले ।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं कि इसे सोमवार को किया जाए ? हम इसे पुनः कार्य मंत्रणा समिति को भेज सकते हैं ।

[हिन्दी]

मण्डे को आपको एक्सैप्ट है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोलते हो, यह बहुत बुरी बात है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें क्या रह गया है ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में संशोधन दे सकते हैं।

अगर आप पसंद करें तो मैं कल 10 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला सकता हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, ठीक है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप उनसे इस्तीफा देने के लिए कहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे पास नहीं है, वह मुझसे क्यों मांगते हो ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे पास नहीं है; वह मैं कहां से दे सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो डिस्क्शन है, ले लो।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक उन्हें सभा का विश्वास प्राप्त है मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए। हमें वह प्रस्ताव स्वीकार है।

अध्यक्ष महोदय : कल 10 बजे म० पू० बैठक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : प्रधान मंत्री के बारे में क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : इससे मैं संबद्ध नहीं हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता और इस मामले में मैं आपकी बात नहीं मान सकता।

[हिन्दी]

चलिए हो गई बात, आगे चलिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप सभा में प्रधान मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित क्यों नहीं करते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बाद भी हाउस नहीं चलने देंगे तो मैं समझूंगा कि सब काम गड़बड़ है। आप बैठिये।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : जब यह घटना सारे देश में गूंज रही है तो वह सभा में क्यों नहीं आ रहे हैं ? (व्यवधान)

7.21 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से अधिक धनराशि उपलब्ध करके बीड़ी कर्मकारों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बीड़ी कामगार कल्याण कोष में बीड़ी पर उपकर लग कर करोड़ों रुपये जमा हो रहे हैं, परन्तु बीड़ी कामगार कल्याण कोष से बीड़ी मजदूरों को पर्याप्त सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। भारत सरकार से आग्रह है कि बीड़ी मजदूरों के छात्र-छात्राओं को अधिक छात्रवृत्ति दर बढ़ाकर दी जाये। आवासहीन बीड़ी मजदूरों को अधिक संख्या में मकान सहायता देकर बनवाये जायें। बीड़ी मजदूरों के क्षेत्रों में सामुदायिक भवन या मनोरंजन गृह व पार्क अधिक बनवाये जायें। बीड़ी मजदूरों को आवश्यक निशुल्क चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराई जायें तथा प्रत्येक तहसील में बीड़ी मजदूरों के लिए एक अलग से अस्पताल खोला जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में तो एक 50 बिस्तर वाले अस्पताल की तुरन्त आवश्यकता है क्योंकि वहां सबसे अधिक बीड़ी मजदूर रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि बीड़ी मजदूरों की दयनीय जीवनयापन दशा देखते हुए उनके निश्चित भविष्य के लिए उनमें से प्रत्येक का जीवन बीमा कम से कम 10,000 रुपयों तक का आवश्यक रूप से कराया जाय जिसकी किश्तें बीड़ी कामगार कल्याण कोष से जमा कराई जायें। बीड़ी मजदूरों के शिक्षित बेरोजगार युवकों व युवतियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता एवं ऋण विशेष कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराया जाए तथा उन्हें शासकीय सेवाओं में विशेष भर्ती अभियान चलाकर भर्ती किया जाये। भारत सरकार से अनुरोध है कि देश के समस्त प्रदेशों की सरकारों को वह निर्देश दे कि प्रदेश सरकारें बीड़ी मजदूरी की वर्तमान न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले भी आप गड़बड़ करते थे, फिर यहां आ रहे हो ? तुमने तोड़ा था यह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके और मेरे बस में नहीं है, यह गलत काम करते हो ? आपने तोड़ा इसको, यह आपको शोभा नहीं देता, बहुत बुरी बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धींगा-मस्ती से काम नहीं चलता, धींगा-मस्ती औरों के पास भी ज्यादा हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री वो० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : प्रधान मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल सभा को चला सकता हूं।

नियम 377 के अधीन मामलों के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जलील बातें करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के कार्य के बारे में चिन्तित हूं। यह देखना मेरा कार्य और दायित्व है कि यह कैसे चले। यदि सभा मेरे साथ सहयोग करने का प्रयास नहीं करती है तो मेरे पास केवल दो बातें रहती हैं अर्थात या तो सभा को स्थगित कर दूं या फिर कुछ सदस्यों के नाम लूं—मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे धैर्य और भद्रता के बाद मुझे यह सहयोग मिल रहा है। सारे विश्व की हमारे ऊपर नजरें हैं। कुछ नियम हैं जिनके बाहर मैं नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने तो केवल यह देखना है कि सभा कैसे चलती है। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सभा उचित रूप से चले। यह मेरा कर्त्तव्य है। यह एकदम सरल और स्पष्ट है। यदि आप सहयोग नहीं करना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे दोषी नहीं माना जा सकता। आप कहते हैं कि मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि अब कौन नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

(बी) उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिहर सोरेन(क्योंझर) : भारत सरकार ने सातवीं योजना अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में टी० वी० नैटवर्क के विस्तार के लिए कार्यवाही की है। दूरदर्शन की सुविधाओं का विस्तार उड़ीसा में भी कर दिया गया है। लेकिन राज्य में अनेक आदिवासी क्षेत्र अभी तक इस विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आए हैं। ऐसा एक जिला क्योंझर इस सुविधा से वंचित है। सरकार के पास सातवीं योजना के दौरान क्योंझरगढ़ में टी० वी० केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। माननीय मंत्री महोदय ने भी बार-बार यह आश्वासन दिया था कि चालू योजना के दौरान क्योंझरगढ़ में एक टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित किया जाएगा। लेकिन यह खेदजनक है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है हालांकि सातवीं योजना शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। क्योंझर आदिवासी जिले के विकास में दूरदर्शन केन्द्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह आदिवासी संस्कृति के

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संरक्षण तथा शिक्षा के विकास में अत्यधिक सहायक होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि क्योंझर-गढ़ में एक टी० वी० रिले केन्द्र अविलम्ब स्थापित किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित की जाती है।

7.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21 जुलाई, 1989/30 आषाढ़, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53